खण्ड-233, अंक-10
शुक्रवार, 16 भाद्रपद, शक संवत् 1884
(7 सितम्बर, 1962 ई0)

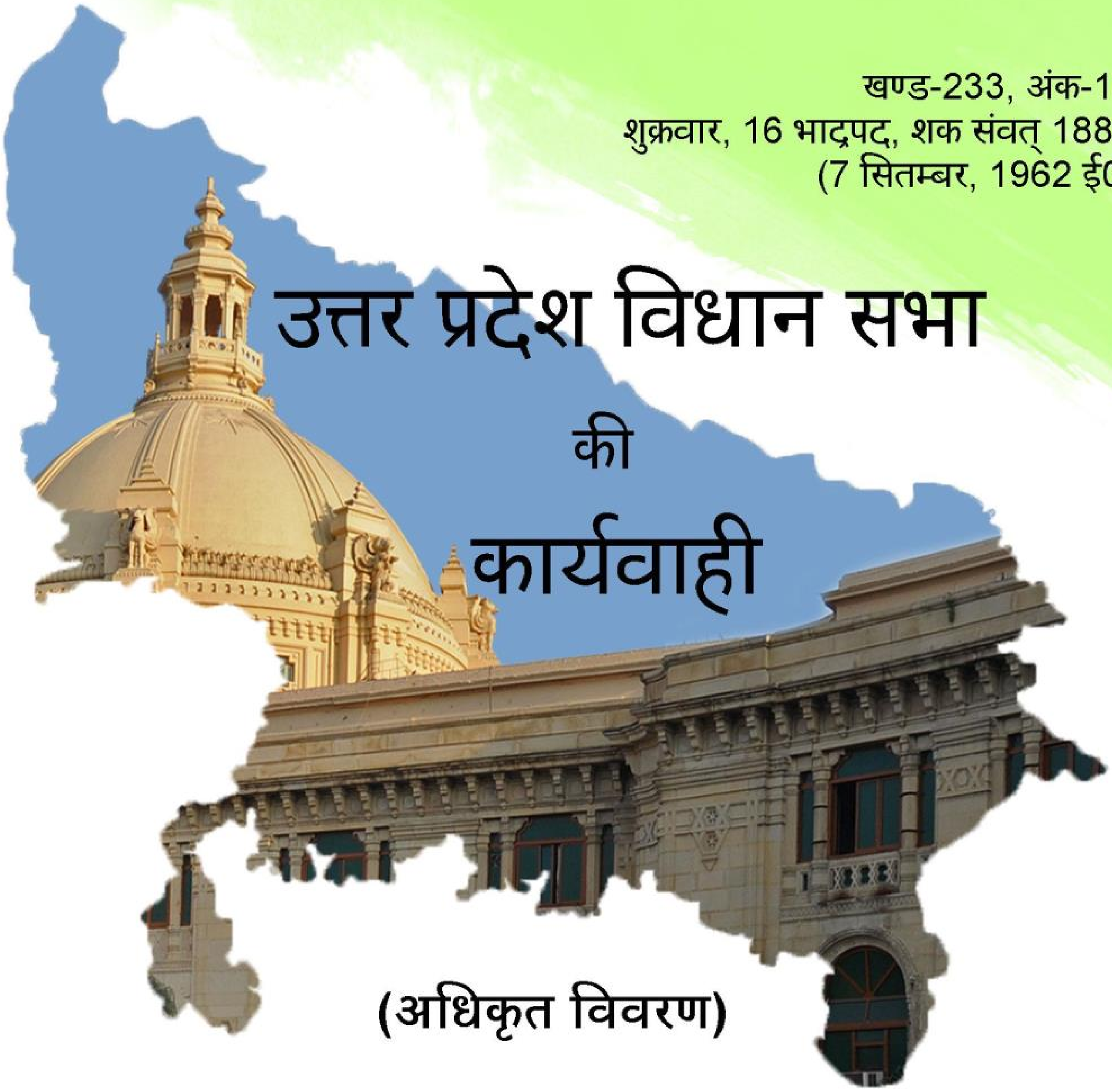

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 233 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	११७७–११८१
प्रश्नोत्तर	११८१–१२१५
हरद्वार कुम्भ मेला नियम, १९६२ (मेज पर रखा किया गया) ..	१२१५–१२१७
उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ के संबंध में याचिका (याचिका समिति को निर्दिष्ट)	१२१७–१२१८
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर विधेयक, १९६२ के संबंध में याचिका (जारी)	१२१८–१२२१
जिलाधीश द्वारा श्री झिलमिट राम, सदस्य, विधान सभा, की गिरफ्तारी की सूचना न दिये जाने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	१२२१–१२२२
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर विधेयक, १९६२ के संबंध में याचिका (जारी)	१२२२
काशी विद्यापीठ के छात्रावास में छुआछूत के प्रश्न के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	१२२२
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर विधेयक, १९६२ के संबंध में याचिका (जारी)	१२२३
सदन का भावी कार्यक्रम	१२२३
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर विधेयक, १९६२ के संबंध में याचिका (याचिका समिति को निर्दिष्ट)	१२२४
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर विधेयक, १९६२ (जारी) ..	१२२४–१२६९
नत्थियां	१२७०–१२७६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—(३५८)

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छेबरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रताप सिंह, श्री
अवधेशकुमार सिन्हा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन सिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषि नारायण शास्त्री, श्री
एस०जी० दत्त, श्री
कंवईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर सैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणेशचन्द काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्द्रावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिन्हा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जगशार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसराम सिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड०ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट राम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायण सिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रबहादुर सिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाजहसन खां, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम दास, श्री

पशुपतिनाथसरन सिंह, श्री
पातोराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वश्य, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगीतीदीन, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगल प्रसाद आर्य, श्री
मंगलदेव, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूदअली खां, श्री
महमूदहसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसेन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाँडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलालसहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल' श्री
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाँडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासतहुसेन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफतहुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शाँतिचन्द शुक्ल, श्री
शाँतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
सईदअहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाँडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री

सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीलारोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काँडपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हुतराम सिंह, श्री
हेमराज सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः—वन मंत्री, श्री अलगू राय शास्त्री तथा नियोजन मंत्री, श्री हरगोविंद सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पी० टी० सी० ट्रेनिंग, मुरादाबाद में आयु की छूट समाप्त करना

*१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर), श्री ऊदल (जिला वाराणसी) तथा श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि पी० टी० सी० ट्रेनिंग, मुरादाबाद के लिये जो पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिये २७ वर्ष तक आयु की छूट थी वह समाप्त कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

गृह उप मंत्री (श्री नवलकिशोर)—जी हां। पी० टी० सी० ट्रेनिंग, मुरादाबाद के लिये पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को जो आयु से छूट दी जाती थी वह सरकार की सामान्य नीति के विरुद्ध होने के कारण समाप्त कर दी गई है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उम्र की रियायत कितनी थी और कब से थी और सरकार की नीति क्या रही?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, १९५१ में जो गृह मंत्री थे उन्होंने यह राय दी थी कि जो शिड्यूल्ड कास्ट के लिये छूट है वही बैकवर्ड क्लासेज के लिये भी दी जाय और उस समय तीन साल की थी। उसके बाद तीन साल के बजाय ५ साल कर दी गई।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकारी सरविसेज में बैकवर्ड क्लासेज का परसेंटेज गिरने की वजह से यह रियायत दी गई थी, वह पूरा होने लगा है या नहीं?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, बैकवर्ड क्लासेज का परसेंटेज तो कभी माना नहीं गया।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो ५ वर्ष की अवधि है यह कब से शुरू हुई है और कब समाप्त हो गई?

श्री नवलकिशोर—श्रीमन्, ५४ में यह रखी गई थी और १९६१ से समाप्त कर दी गई।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सुविधा किस आधार पर और किन-किन कारणों से पहले दी गई थी?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, कारण क्या हैं यह तो मेरे पास नहीं हैं। लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि १९५१ में गृह मंत्री जी की राय थी कि उन को भी यह सुविधा दी जाय।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यदि यह सुविधा दी जाय तो सरकार का क्या नुकसान होगा ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, भारत सरकार की नीति इसके विरुद्ध है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो सुविधा हटाई गई है यह हरिजनों पर भी लागू है या अन्य जातियों पर है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—नहीं, हरिजनों पर लागू नहीं है। अब केन्द्रीय सरकार की नीति जैसा कि उपमंत्री जी ने बताया इस सम्बन्ध में बदली हुई है और उनका कथन है कि बैकवर्ड इकोनोमिक ग्राउन्ड्स पर मानी जानी चाहिये न कि जाति बिरादरी के ग्राउन्ड्स के ऊपर।

रिहन्द बांध की बिजली मध्य प्रदेश को देने का मामला

**२– श्री रामचन्द्र विकल—क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि रिहन्द बांध की बिजली के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से उनकी कुछ बातें हाल में हुई हैं ? यदि हां, तो कब और क्या ?

विद्युत उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश से अभी कोई बातचीत नहीं हो सकी है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मंत्री जी को केन्द्र के सिंचाई मंत्री जी का कोई पत्र मिला है ? यदि हां, तो किस सम्बन्ध में मिला है और किस विषय पर बात करना चाहते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्रीमन्, वह तो बिजली के सम्बन्ध में बात करना चाहते हैं। जब इस बांध की योजना बन रही थी तो रीवां की सरकार से कुछ जमीन लेने के विषय में समझौता हुआ था और उसमें यह कहा गया था कि जब हम बिजली बनायेंगे तो कुछ हिस्सा उनको भी देंगे। वह विषय चल रहा है अभी मैंने और मुख्य मंत्री जी ने बैठ कर बात नहीं की है। उनके कई दफा खत आते रहे हैं लेकिन अभी तक मैं गया नहीं हूं। अब कभी जाने की बात भोपाल में है। इस विषय में वह मुझ से कुछ बात करना चाहते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या बिजली के बटवारे का सवाल है या दरों का भी सवाल है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने अभी बता दिया कि रीवां स्टेट जब मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं थी, उस समय रीवां की सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से जमीन के लेने के सिलसिले में बातचीत हुई थी और वह उस सिलसिले में थी कि अगर रिहन्द डैम की जमीन हम ले रहे हैं और उसमें बिजली बनायेंगे तो उसका कुछ हिस्सा देने के विषय में बात हुई थी। मध्य प्रदेश की सरकार वही पुराने वादे के सिलसिले में याद दिलाती है और उसी सिलसिले में बात करना चाहती है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जिस रीवां स्टेट से पहले समझौता हो चुका है क्या उस समझौते को जो आज मध्य प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार पर दबाव डाल रही है कि आनर किया जाय, माननीय मुख्य मंत्री का ऐसा विचार है कि उसको आनर किया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुख्य मंत्री का क्या विचार और प्रदेश के हित में क्या है, इसकी बहुत खुलासा बात करने की आवश्यकता नहीं है। यह उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता पर निर्भर है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि यह मध्य प्रदेश को बिजली दिये जाने के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार से जो बातें हुईं, या जो पत्र-व्यवहार हुआ इस सिलसिले में इस बात के अलावा यह भी सुझाव मुख्य मंत्री को दिया गया कि रिहन्द डैम की कुछ बिजली दामोदर वैली प्रोजेक्ट को भी दी जाय, ऐसी बात है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, यह बात भी आयी है कि अगर अभी बिजली पूरी इस्तेमाल न हो रही हो, तो दामोदर वैली के सिलसिले में उसका थोड़े समय के लिये इस्तेमाल हो सकता है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो बातचीत होने वाली है इस बात को ध्यान में रखेंगे कि उन्होंने जो जमीन दी, उस जमीन की कीमत इस प्रदेश के किसानों से कई गुना ज्यादा लिया और उसके साथ-साथ वह इस वक्त एलेक्ट्रिसिटी रियायती दाम पर चाहते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह ब्योरे की बातें हैं। इसे मुख्य मंत्री पर छोड़िये। वह हिसाब-किताब के मामले में कोई कमजोर नहीं हैं।

विधायकों का बकाया वेतन

**३—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ७ मार्च, १९६२ से २४ मार्च, १९६२ ई० तक की अवधि के वेतन को भी विधायकों को देने की जो घोषणा सूचना मंत्री जी के द्वारा इस सदन में ४ जून, १९६२ ई० को की गई थी उस घोषणा के अनुसार उक्त वेतन की बकाया रकम को विधायकों को कब दिया जायगा ?

सूचना राज्यमंत्री (श्री बनारसीदास)—विधायकों को दिनांक ७ से २४ मार्च, १९६२ की अवधि का वेतन देने के लिये उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्यों की उपलिब्धयों का अधिनियम, १९५२ को संशोधित करना आवश्यक है। अतः इस सम्बन्ध में एक संशोधन विधेयक शीघ्र ही विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

तारांकित प्रश्न

*१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—[हटा दिया गया।]

घोसी तहसील में लेखपाल की पुनर्नियुक्ति

*२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या राजस्व मंत्री २० अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि लेखपाल कितने समय तक मुअत्तल रहा और सस्पेंशन एलाउन्स कितने समय का और कितना रुपया दिया गया ?

माल मंत्री के सभासचिव (श्री बृजबिहारी)—१३ जनवरी, १९५५ से ३१ मई, १९५५ तक और इस अवधि का उसे रु० ९८·१३ न० पैसे निर्वाह के लिये दिया गया।

*३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के लेखपालों को भी अन्य कर्मचारियों के मुकाबिले में मंहगाई भत्ता दिये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन कब तक रहेगी ?

श्री बृजबिहारी—इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि मुअत्तली के बाद इस लेखपाल को फिर काम देने की कौन तारीख थी ?

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—२७ सितम्बर, १९५७ को जब कमिश्नर ने उनकी अपील मन्जूर की, उसके बाद कोई तारीख है। उस तारीख के लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या राजस्व मन्त्री जी अपने उत्तर में सुधार करने की कृपा करेंगे कि १३ जनवरी से २७ सितम्बर, १९५७ तक वह मुअत्तल रहे, इस बीच में दो साल, ९ महीने, २० दिन उसने काम नहीं किया और सिर्फ चार महीने का उसको सस्पेन्शन अलाउंस दिया गया शेष २ साल, पांच महीने, बीस दिन का अलाउंस न देने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अवल्लन कानूनन उसको सस्पेंशन अलाउंस नहीं मिलना चाहिये। यह रियायत की गयी जो दिया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कमिश्नर ने अपने फैसले में इसके सम्बन्ध में क्या लिखा है, यह उन्हें जानकारी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने जजमेंट पढ़ा तो नहीं लेकिन जानकारी थोड़ी बहुत है। उन्होंने सस्पेंशन एलाउंस एलाऊ कर दिया था लेकिन वह बेकायदे था फिर भी गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव कर दिया।

कन्हैयालाल बसन्त महाविद्यालय, मिर्जापुर में अध्यापकों को वेतन न मिलना

*४—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री कन्हैयालाल बसन्त महाविद्यालय, मिर्जापुर में ६ माह से अध्यापकों का वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कायवाही की गई ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री अजीज इमाम)—प्रिंसिपल तथा एक प्रोफेसर को छोड़ कर सभी अध्यापकों को वेतन अब फरवरी, १९६२ तक दिया जा चुका है। प्रबन्ध समिति इस ओर प्रयत्नशील है।

*५—श्री ऊदल—क्या ३ फरवरी, १९६२ को वाइस चांसलर, गोरखपुर ने ३४ हजार मूल्य के बांड वेतन देने के लिये बन्धन मुक्त कर दिया था ? उसको अब तक समिति ने क्यों नहीं भुनाया ?

श्री अजीज इमाम—गोरखपुर विश्वविद्यालय ने नियोजन विभाग के आडिटर द्वारा की गई कुछ आपत्तियों के कारण ३३,६०० रुपये के मूल्य के बांड बन्धन मुक्त कर दिये थे। बांड के पृष्ठांकन में कुछ त्रुटियां थीं जिनके कारण उन्हें भुनाया नहीं जा सका है। त्रुटियां सशोधन कर भुनाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रिंसिपल और एक प्रोफेसर को तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है, उसके लिये कौन-सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अजीज इमाम—यह तो मैंने पहले ही बता दिया कि यह बांड जैसे ही भुन जायगा उम्मीद है कि उनको तनख्वाह उसमें से मिल जायगी।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि यह बांड जो है यह फरवरी से पहले भुन जाना चाहिये था और आज सितम्बर है, अब तक नहीं भुना तो कब तक आशा की जाती है कि यह बांड भुन जायगा ?

श्री अजीज इमाम—जैसे ही त्रुटियां दूर हो जायंगी, वैसे ही भुन जायगा।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि कुछ जिला परिषदों के चेयरमैन ने यह खत सरकार को लिखा है कि जिस प्रकार देवरिया में चार महीने से वेतन नहीं मिला है अध्यापकों को और ६ महीने से और लोगों को नहीं मिला है, उसी तरह की छूट और जिला परिषदों को भी दे दी जाय जिससे कि वह भी ६ महीने में वेतन दे सकें ?

श्री अजीज इमाम—यह क्वेश्चन जो इसका है उससे यह सवाल नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष—आपको नही मालूम है, यह कह दीजिये।

मौजूबीर-सिधोरा सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*६—श्री ऊदल—क्या सरकार वाराणसी तहसील की मौजूबीर से सिधोरा जाने वाली कच्ची सड़क को जिस पर १०-१२ प्राइवेट बसें चलती हैं उसका राष्ट्रीयकरण करके उसे पक्की बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो तीसरी योजना के किस वर्ष में ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल)—इस समय सड़क को पक्की बनवाना सम्भव नहीं है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर इस समय सम्भव नहीं है तो कब तक सम्भव हो जायगा कि यह सड़क बन जायगी ?

श्री गनेशीलाल—यह निश्चित रूप से कहना असम्भव है कि कब तक हो सकता है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी इस प्रश्न के ऊपर विचार करेंगे कि इस सड़क को तृतीय पंचवर्षीय योजना के आखिरी दिनों के लिए जोड़ लिया जाय ?

श्री गनेशीलाल—श्रीमन्, इस सड़क को अन्तरिम जिला परिषद् ने दसवीं प्राथमिकता दी है इसलिये सवाल ही नहीं उठता इस सड़क को लेने का।

औरैया तहसील कार्यालय में आग लग जाना

*७—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ३० अप्रैल, १९६२ ई० को जिला इटावा के अन्तर्गत औरैया नगर स्थित तहसील कार्यालय में अचानक रात्रि के समय आग लग गयी ?

श्री बृजबिहारी—जी हां, तहसील औरैया के राजस्व संग्रह लेखागार में ३०-४-६२ की रात्रि को आग लग गई थी।

*८—श्री लखीसिंह—क्या यह सही है कि इस आग की भयंकर लपटों से कलेक्शन विभाग के सारे कागजात जल कर भस्म हो गये ?

श्री बृजबिहारी—जी नहीं, आग के कारण लेखागार में रखे हुये पुराने कागजात में से केवल लगभग २० प्रतिशत कागजात जले हैं।

*९—श्री लखीसिंह—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस आग लगने का कारण क्या है और आग से सरकार को कितनी क्षति उठानी पड़ी ?

श्री बृजबिहारी—आग लगने के कारणों का ठीक-ठीक पता नहीं चल सका है। उससे सरकार को अनुमानतः लगभग ३४० रु० की हानि हुई है।

श्री लखीसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह चौथे महीने में आग लगी, क्या कारण है कि अब तक उसका पता नहीं चल सका ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं कि जिनके एविडेंसेज नहीं मिलते हैं या देर में मिलते ह इस वजह से पता नहीं चलता ।

श्री लखीसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने का फिर कष्ट करेंगे कि यह ३४० ह० का जो नुक्सान बताते ह यह किस किस कागज का नुकसान हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसमें कुछ ब्लैंक फार्म्स पुराने थे वह सब जले हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो २० फीसदी नुकसान हुआ है वह कौन-कौन-सी चीजों का हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसमें पुरानी रसीदें थीं जो इस्तेमालशुदा थीं। कुछ ब्लैंक फार्म थे उसमें पुरानी जमाबन्दी भी थी। यह सब कागजात वीडआउट होने के काबिल थे। वही सब जले हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी ने इस बात का पता लगा लिया है कि यह आग जानबूझ कर किसी ने अपना गबन वगैरा छिपाने के लिये तो नहीं लगाई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गबन का कोई कागज वहां पर नहीं है। अगर यह पता लग जाता तो कारण बतला देते कि किस वजह से आग लगी।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कागजात जले हैं उनमें ऐसे कागजात भी हैं जिनसे सरकारी काम में अड़चन पैदा हो सकती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कलेक्शन से सम्बन्धित ऐसी सूचना है कि बहुत से कागजात जल गये हैं जिनसे लाखों किसानों की जिन्दगी का सवाल उपस्थित हो गया है। उनसे मालगुजारी एक बार वसूल कर ली गई ह और फिर दोबारा वसूल की जा रही है ? क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की सूचना है, यदि है तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी सूचना सरकार के पास नहीं है।

खैरागढ़ तहसील के नार्मल तथा माडल स्कूल

*१०—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी) तथा श्री नरोत्तम सिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले में गवर्नमेन्ट नार्मल स्कूल एवं सम्बन्धित गवर्नमेन्ट माडल स्कूल, तहसील खैरागढ़ में ग्राम सयां में जो खोला गया था वह स्कूल अचानक बन्द कर दिया गया तो वह अब फिर चालू हो गया है, तो क्या उक्त स्कूल के बन्द कर देने से जो अध्यापक बेरोजगार हो गये थे, उन्हें सब को फिर से इसी स्कूल में नौकरी दे दी गयी है, या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री अजीज इमाम—दोनों स्कूलों में से कोई भी स्कूल बन्द नहीं किया गया। राजकीय माडल स्कूल, की केवल कक्षायें ६, ७ तथा ८ बन्द की गई थीं। इसके फलस्वरूप तीन सहायक अध्यापकों को अन्य राजकीय माडल स्कूलों में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

*११—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—[१२वें मंगलवार के लिए प्रश्न ४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बांसगांव तथा सदर तहसील में टेस्ट वर्क्स चलाने की मांग

*१२—श्री कल्पनाथसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि गोरखपुर जिले की बाढ़ एरिया में इस वर्ष रबी की फसल खराब हुई और उस एरिया से टेस्ट वर्क चलाने की मांग की गयी ह और खास तौर पर बांसगांव और सदर तहसील में? यदि हां, तो सरकार उस पर कौन-सी कार्यवाही कर रही ह?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्रित की जा रही है।

धरम्मरपुर—सैदपुर, नन्दगंज—शादियाबाद सड़कें बनाने की आवश्यकता

*१३—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार गाजीपुर जिले में धरम्मरपुर से सैदपुर जाने वाली सड़क को उसके व्यापारिक प्रशासकीय महत्व को देखते हुये अपनी तीसरी योजना में बनाने में प्राथमिकता देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री गनेशीलाल—धनाभाव के कारण इस सड़क का निर्माण कार्य तीसरी योजना में सम्मलित करना सम्भव नहीं है।

*१४—श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री नन्दगंज और शादियाबाद के थाने को कनेक्ट करने तथा जनता को राहत देने की दृष्टि से नन्दगंज से शादियाबाद तक एक सड़क की योजना पर विचार करने की कृपा करेंगे?

श्री गनेशीलाल—जी नहीं। धनाभाव के कारण इस समय सम्भव नहीं है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—यह सड़क जिस क्षेत्र में है उसके तीन तरफ गंगा नदी तथा चौथी तरफ गंगा नदी से घिरा होने के कारण बरसात के ४ महीने यह एक टापू के मानिन्द हो जाता है....

श्री अध्यक्ष—उन्होंने उत्तर दिया कि धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—मैं उसके कारण बतला रहा हूं कि क्यों वह सड़क जरूरी है। दूसरा कारण यह है कि यह सड़क दो तहसीलों जमानिया और सैदपुर को जोड़ती है। तीसरा कारण यह है कि इस क्षेत्र का थाना नन्दगंज तथा तहसील गाजीपुर है। चौथा कारण यह है कि इस क्षेत्र में यातायात का साधन कोई नहीं है। पांचवा कारण यह है कि दो पंचवर्षीय योजनाओं में इस क्षेत्र में निर्माण का कार्य कोई नहीं हुआ है। इन तमाम बातों को देखते हुये क्या माननीय मन्त्री महोदय अपनी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस सड़क को प्राथमिकता देने की कृपा करेंगे?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—अध्यक्ष महोदय, यह जितनी बातें उन्होंने रखीं जिनकी वजह से यह सड़क नहीं बनने जा रही है इन तमाम बातों पर जिले के स्तर पर, जब हमारे अधिकारी वहां पर गये, वहां पर विचार किया गया और वहां की अन्तरिम जिला परिषद् ने भी इसके ऊपर विचार किया। जिस हैसियत से उन्होंने प्रायोरिटी फिक्स की उसमें उन्होंने इस सड़क को टाप प्रायोरिटी नहीं दी। इन सब बातों का विचार वहां पर कर लिया गया था।

मलूकदास स्मारक समिति को अनुदान

*१५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या आबकारी मन्त्री यह बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के द्वारा कड़ा जिला इलाहाबाद के संत मलूकदास जी के स्मारकों में से केवल उनकी समाधि के जीर्णोद्धार हेतु कुछ अनुदान निश्चित किया गया है? यदि हां, तो वह धनराशि कितनी है और कैसे उसका व्यय होने जा रहा है?

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—५,००० रुपये अनुदान संत मलूक दास स्मारक समिति को दिया गया है। यह अनुदान उक्त समिति स्वयं ही खर्च करेगी और उसका ब्यौरा सरकार को देगी।

*१६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या आबकारी मंत्री को यह भी पता है कि कड़ा, जिला इलाहाबाद में संत प्रवर मलूकदास जी की समाधि के अलावा उनके आध्यात्मिक साधना का स्थान जो जनता में "मलक स्थल" के नाम से प्रचारित है और जिसका यू० पी० गजेटियर आफ इलाहाबाद (वाल्यूम २३, पृष्ठ २५०, १९०९ ई०) और 'दि पियुपिल्स हिन्दूज' (पृष्ठ ८७) तथा तवारीखे कड़ा-मानिकपुर (पृष्ठ १३७) आदि अनेकों प्रमाणित ग्रन्थों में भव्यता का वर्णन मिलता है, आज भग्नावस्था में पड़ा हुआ है? यदि हां, तो इसके पुनर्निर्माण के बारे में सरकार ने क्या कोई योजना तैयार की है?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*१७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि संत प्रवर मलूकदास जी द्वारा विरचित ग्रन्थों में भरा हुआ मानवता का संदेश जो हमारी तात्कालिक समस्या, राष्ट्रीय और भावात्मक एकता को बल प्रदान कर सकता है अब तक प्रकाशित हो कर जन सुलभ नहीं हो पाया है?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह ५ हजार रुपया जो दिया गया समिति ने कोई योजना बनाकर सरकार को दी थी या सरकार ने स्वयं कोई योजना बनाई?

डाक्टर सीताराम—इस समिति के अध्यक्ष, डाक्टर रामकुमार वर्मा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिन्दी विभाग के जो अध्यक्ष हैं वह हैं। उस समिति को इस समाधि के बनाने के लिये अनुदान के रूप में ५ हजार रुपया दिया गया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस योजना में उनके प्रधान ग्रंथों का प्रकाशन भी शामिल है अथवा केवल समाधि के लिये ही यह है?

डाक्टर सीताराम—सरकार की ओर से अनुदान केवल समाधि के लिये दिया गया है। अन्य कामों के लिये नहीं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि संत मलूक दास द्वारा विरचित ग्रन्थों और संदेशों का प्रकाशन करने पर क्या सरकार विचार करेगी?

डाक्टर सीताराम—इस सम्बन्ध में ८ मार्च, १९६२ को इस कमेटी के एक मेम्बर नानक चन्द जी, कई लोगों के साथ संयुक्त सचिव, वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्यकलाप, से मिले थे और उस समय संयुक्त सचिव ने उनसे कहा कि आप उन सब किताबों को असिस्टेंट कीपर, यू० पी० स्टेट आरकीव्ज, इलाहाबाद को भेज दीजिये। छानबीन के पश्चात् अगर उनकी उपयोगिता सिद्ध हुई तो उनके प्रकाशित करने पर विचार किया जायगा। लेकिन अभी तक इस कमेटी ने असिस्टेंट कीपर के पास उन पुस्तकों को भेजने का कोई यत्न नहीं किया है।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—यह अनुदान कब दिया गया था और क्या इस समाधि का कार्य शुरू हो गया है?

डाक्टर सीताराम—यह अनुदान १९ मार्च, १९६२ को दिया गया था और जिलाधीश ने जो रिपोर्ट सरकार को भेजी है उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि मैटीरियल गिरना शुरू हो गया है और कार्य जारी है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि सरकार को ग्रन्थों के प्रकाशन के लिये कई बार लिखा गया परन्तु सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला? तो क्या सरकार इन ग्रंथों को पुनर्जीवित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

डाक्टर सीताराम—बहुत से लोगों ने बहुत से ग्रंथ लिखने का प्रयास किया और लिखे भी हैं। जहां तक सरकार का प्रश्न है उसे उन किताबों की ओरिजिनैलिटी के बारे में शक है। मैं सब बातें डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। माननीय सदस्य ने जिक्र किया है तो कहता हूं कि इलाहाबाद गजेटियर, १९११ में केवल एक किताब का जिक्र किया गया है और उन्होंने १० किताबों का जिक्र किया है इसलिये उनकी ओरिजिनैलिटी के बारे में डाउट है।

झांसी जिले में डामरों की चोरी

*१८—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में मार्च–अप्रैल, १९६२ में तालबेहट और बांसी के बीच से सार्वजनिक निर्माण विभाग के डामर से भरे हुये बहुत से ड्राम चोरी चले गये हैं ? यदि हां, तो कितने ड्राम, कितनी कीमत के और किस स्थान से ?

श्री गनेशीलाल—जी हां। आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १२७० पर)

*१९—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त ड्रामों की चोरी का पता किस तारीख को किस अधिकारी को चला और अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गनेशीलाल—चोरी का पता सर्व प्रथम ओवरसियर को दिनांक ५ मार्च, १९६२ को चला। इस विषय में अभी जांच हो रही है।

*२०—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त ड्राम किस की जिम्मेदारी में थे ? उसके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री गनेशीलाल—ओवरसियर की जिम्मेदारी में थे। विभागीय तथा पुलिस रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात् चोरी के जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि यह जो ड्रम चोरी गये हैं उनके बारे में एक ठेकेदार ने एस० डी० ओ०, ललितपुर की अदालत में कहा है कि एक ड्रम ८० रुपये में और ११० रुपये में गिट्टी ओवरसियर ने उसे बेची थी ?

श्री गनेशीलाल—इसके बारे में कोई सूचना नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि ओवरसियर को दोषी ठहराते हुये पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जून के अन्त में अधिकारियों को दे दी है ?

श्री गिरधारीलाल—इसकी अभी कोई सूचना नहीं है।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलायेंगे कि ५ मार्च, १९६२ को ओवरसियर के द्वारा जब सूचना लगी तो अब कितना समय लगेगा कि जब यह कार्यवाही पुलिस को दी जायगी ?

श्री गिरधारीलाल---यह तो पूरी इंक्वायरी पुलिस के सुपुर्द की गयी है और वह इसकी देखभाल कर रही है । उसके बाद जो उचित कार्यवाही होगी की जायगी ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इतनी बड़ी चोरी के सिलसिले में किसी कर्मचारी को मुअत्तल भी किया गया है या नहीं, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गनेशीलाल---संबंधित ओवरसियर का ट्रान्सफर कर दिया गया है ।

फूलपुर तहसील के कछार क्षेत्र में लगान माफी की प्रार्थना

*२१---**श्री बंशीलाल** (जिला इलाहाबाद), **श्री मेवालाल** (जिला इलाहाबाद) तथा **श्री केशरी प्रसाद पांडेय**---क्या सरकार वर्तमान सत्र के चौथे शुक्रवार (२५-५-६२) के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या १३० और १३१ के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेगी कि किस साल से दोनों किस्त की लगान एक किस्त में वसूल करने का आदेश दिया गया है और क्यों ?

श्री बृजबिहारी---दोनों किस्तों का लगान एक किस्त में वसूल किये जाने का आदेश दिनांक २४ मई, १९६० से दिया गया है क्योंकि इलाहाबाद जिले में फूलपुर तहसील के कछार क्षेत्र में खरीफ की फसल बिल्कुल ही नहीं या नाम मात्र को होती है ।

*२२---**श्री बंशीलाल, श्री मेवालाल** तथा **श्री केशरी प्रसाद पांडेय**---क्या यह सही है कि जब दोनों किस्तों में लगान वसूल होती थी तब खरीफ की फसल में जिन जोतों और खातों में ५० प्रतिशत से अधिक नुकसान होता था उसमें मालगुजारी की छूट मिलती थी और अब किसानों को उक्त छूट न दी जाय इसलिये केवल रबी में दोनों किस्तों की लगान वसूल की जा रही है ?

श्री बृजबिहारी---जी नहीं । कछार क्षेत्र के जिन २९ गांवों में खरीफ की फसल बिल्कुल ही नहीं या नाम मात्र को होती है वहां मालगुजारी में छूट देने का प्रश्न ही नहीं उठता । इन कछारी गांवों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के जिन खातों में ५० प्रतिशत या इससे अधिक नुकसान होता है मालगुजारी में छूट दी जाती है ।

*२३---**श्री बंशीलाल, श्री मेवालाल** तथा **श्री केशरी प्रसाद पांडेय**---क्या सरकार यह बतायेगी कि इलाहाबाद जिले को छोड़कर किस-किस जिले में उक्त प्रकार का आदेश लागू है ?

श्री बृजबिहारी---इलाहाबाद जिले को छोड़कर इस प्रकार के आदेश मथुरा, हमीरपुर, बलिया, बस्ती तथा उन्नाव के कुछ क्षेत्रों में लागू हैं ।

श्री बंशीलाल---क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब खरीफ की फसल बिल्कुल नहीं होती तो खरीफ की फसल के लिये वे छूट देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसमें छूट का कोई सवाल ही नहीं है ।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कुछ दिन पहले यहां की मालगुजारी की किस्तें दो थीं और अब तोड़कर एक किस्त कर दी गई है ? क्या उसकी वजह से छूट नहीं दी जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पहले २ किस्तों में मालगुजारी ली जा रही थी क्योंकि २ किस्तों में फसलें होती थीं । लेकिन उनकी सुविधा के लिये अब एक किस्त कर दी गई है । रबी में वसूली होती है खरीफ में नहीं ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब उस क्षेत्र में एक ही फस होती है तो मालगुजारी क्यों दो फसली वसूल की जाती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---दो फसली कहां वसूल की जाती है ?

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब वहां एक फसली इलाका है तो क्या वहां की मालगुजारी आधी कर दी जायगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जब मालगुजारी मुकर्रर की जाती है तो सब बातें देख ली जाती हैं । सब फैक्टर्स का खयाल करके ही मालगुजारी ली जाती है और यह भी देखा जाता है कि वह नान इर्रीगेटेड एरिया है या इर्रीगेटेड एरिया है । सब बातों को देखकर ही मालगुजारी की तशखीस होती है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---क्या राजस्व मंत्री बताने के कृपा करेंगे जैसा कि न्होंने अभी अपने उत्तर में कहा कि वहां एक बार मालगुजारी वसूल की जाती है तो क्या वहां के हसानों ने कोई आवेदन-पत्र दिया था कि दो बार न वसूल करके एक बार वसूल की जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसकी सूचना तो नहीं है लेकिन गवर्नमेंट को यह आभास हुआ कि किसानों को इसमें तकलीफ होती है ।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि जो वसूली की मशीनरी है जैसे अमीन, चपरासी और नायब तहसीलदार, उनका धंधा वहां बारहों महीने रहता है ? क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि उन्हें वहां रबी की वसूली के लिये रखा जाय और ६ या ८ महीने जो वे खाली रहते हैं, उसमें उनको हटा दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उनके पास और भी गांव हैं काम करने के लिये लिहाजा वे वहां साल भर रहते हैं ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उस क्षेत्र की रबी और खरीफ अलग-अलग मालगुजरी पहले क्या थी और इस वक्त क्या ली जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अलग अलग मालगुजारी की कोई फाइल हमारे पास नहीं है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---क्या माननीय राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खरीफ और रबी के लगान की एक किस्त करने का एक मात्र कारण यही है कि बाढ़ से जो कतिपय वर्षों में खरीफ की फसल मारी जाती रही है, उससे किसानों को छूट देनी पड़ी है ? तो क्या उसको बचाने के लिये सरकार ने यह साजिश की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय गेंदासिंह जी ने यही प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया है ।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय---माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैं इस क्षेत्र में गया था, वही खरीफ की फस्ल हर साल बोई जाती है और बोई गयी है, तो क्या इसकी सूचना मानकर जांच करायेंगे कि आज भी हजारों बीघा बाजरा और ज्वार बोयी गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बहुत अच्छा है, किसान खुश रहें । लेकिन चूंकि किसानों को अदायगी में दिक्कत थी, इस वजह से रबी में किया ।

संडीला-मेंहदी घाट रोड

*२४---श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---क्या सरकार को यह मालूम है कि संडीला-मेंहदी घाट रोड उत्तर में लखनऊ-शाहजहांपुर व दक्षिण में कानपुर-शाहजहांपुर प्रान्तीय सड़कों को जोड़ती है और ऐडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से सैलाब आदि में अहमियत रखती है ?

श्री गनेशीलाल--जी हां ।

*२५—श्री जे० पी० मिश्र—क्या सरकार सैलाब, चुनावों और शांति व्यवस्था एवं जरायम की रोकथाम के लिये इस सड़क को जिला परिषद् से निकाल कर प्रान्तीय प्रबन्ध में सम्मिलित करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो क्या अगले बजट में इस सड़क का निर्माण किया जा सकेगा ?

श्री गनेशीलाल—(क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

श्री जे० पी० मिश्र—क्या सरकार को पता है कि यह रास्ता ६ माह बिलकुल बन्द रहता है और कृषि की उन्नति और विकास कार्य इतने दिनों तक असम्भव है ?

श्री गनेशीलाल—बिल्कुल पता है ।

श्री जे० पी० मिश्र—क्या सरकार इस अहम प्रश्न पर पता लगाने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—उनको पता है महाराज ।

श्री जे० पी० मिश्र—तो इन कष्टों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गनेशीलाल—श्रीमन्, जिस सड़क का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं वह अंतरिम जिला परिषद् की है और इसकी मुख्यता इसी से मालूम होती है कि अंतरिम जिला परिषद् ने इसको पांचवीं प्राथमिकता दी है, इसलिये इसको बनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

पौड़ी अग्निकाण्ड

*२६—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला चमोली)—क्या सरकार को जानकारी है कि पौड़ी नगर, जिला गढ़वाल में मई के अन्तिम सप्ताह में अग्निकांड से क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका विवरण देने की कृपा करेगी ?

श्री बृजबिहारी—उक्त अग्निकांड से ६ व्यक्तियों के ९ मकान पूर्णतया नष्ट हुये, जिनका अनुमानित मूल्य ९८,००० रु० है । अन्य सम्पत्ति को भी क्षति हुई जिसका अनुमानित मूल्य १८,५७० रु० है ।

*२७—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार अग्निकांड होने के कारणों पर प्रकाश डालते हुये यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्षतिग्रस्त लोगों की क्या सहायता की गई है ?

श्री बृजबिहारी—२०-२१ मई, १९६२ की रात को १२-३० बजे एक मकान में आग लगी और फैल गई । अग्निकांड के कारणों की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है, और उसके परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है ।

अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही आग बुझाने के तथा तात्कालिक सहायता के कार्य प्रारम्भ कर दिये गये थे । अहेतुक सहायता के रूप में २०५ रु० ४ निराश्रित व्यक्तियों में बांटे गये । प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष से भी १०,००० रु० की धनराशि स्वीकृत हो गई है जिसको शीघ्र ही पीड़ितों में वितरित किया जावेगा ।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि स्थानीय पुलिस अधिकारी कौन है जिसके द्वारा इंक्वायरी करायी जा रही है और ४ महीने होने पर अभी तक रिपोर्ट क्यों आपके पास पेश नहीं हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नाम नहीं मालूम है ।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या माननीय मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि जो ६ मकान जले हैं उनमें से एक मकान मालिक ने जिस रोज आग लगी उससे एक रोज पूर्व अपना सारा सामान मकान से उठा दिया था और उस दिन ४ बजे तक वहीं उपस्थित था, उसके बाद गायब हो गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---६ नहीं, ९ मकान जले हैं और उसकी जानकारी नहीं है जो उन्होंने कहा है ।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या मंत्री महोदय इसका ज्ञान करायेंगे कि जो ९ मकान थे उन मकानों का एक मालिक जोकि अलकोहल स्पिरिट का व्यापार करता था, ४ बजे तक उसने अपने मकान का सब सामान खाली कर दिया था और पौड़ी से निकल गया और उसी रात को आग लगी, क्या जानकारी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैंने तो जवाब दे दिया कि नहीं मालूम ।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या माननीय मंत्री इसकी जांच करायेंगे कि ऐसी घटना हुई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जांच तो हो ही रही है ।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या मंत्री महोदय को सूचना है कि उन दिनों पौड़ी में सर्वोदय की तरफ से अलकोहल स्पिरिट की दूकानों पर पिकेटिंग किया जा रहा था और जितने मकान जले हैं उनमें से एक ऐसा था जिसमें अलकोहल स्पिरिट रखी जाती है, क्या इसकी जानकारी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे जानकारी नहीं है ।

बीहर-मौरावां तथा उन्नाव-इलाहाबाद मार्ग

*२८---**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिलान्तर्गत तहसील पुरवा में बीहर से मौरांवा तक ११ मील कच्ची सड़क को पक्की करके बक्सर से लखनऊ तक एक सीधा राजमार्ग बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं ।

*२९---**श्री देवदत्त मिश्र** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव-इलाहाबाद राजमार्ग उन्नाव से १७ वें मील के आगे रायबरेली जिलान्तर्गत लालगंज तक कोलतार की सड़क कब तक बन जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल---उन्नाव से १७ मील से २५ मील तक सड़क का कोलतार करने का कार्य तीसरी योजना में सम्मिलित है और योजना काल में पूरा होने की आशा है ।

अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के पूर्व जोत सम्बन्धी कार्यों की वैधता

*३०---**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के लागू होने पर उससे बचने के लिये भूतपूर्व मध्यवर्तियों ने कुछ फर्जी बैनामा किये ? यदि हां, तो उसका रकबा कितना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसे बैनामों की सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

*३१--श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)--क्या राजस्व मंत्री इसकी घोषणा करेंगे कि अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के लागू होने के ५ वर्ष पहले तक के बंटवारे फर्जी माने जायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं।

ओवरसियरी के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग

*३२--श्री तेजनारायण त्रिवेदी (जिला खीरी)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अपने Office Memo. no. १३१५० ई० ए० (१), dated 22-4-60 में यह निश्चिय किया था कि वह Overseers जो एक वर्ष की Practical Training (Apprentice) पहाड़ों पर करेंगे उनको सरकार द्वारा appointment में preference दिया जावेगा ? क्या कारण है कि सरकार ने उक्त धोषणा का पालन अभी तक नहीं किया है ?

श्री गनेशीलाल--जी नहीं। मुख्य अभियन्ता के कथित मेमो में यह कहा गया है कि जो ओवरसियर एक वर्ष की practical training पहाड़ों पर लेंगे वे विभाग के लिये अपने को अधिक लाभदायक सिद्ध करेंगे और यह भी कहा गया है कि इन apprentice ओवरसियरों को विभाग में नौकरी देने की कोई guarantee नहीं दी जाती।

*३३--श्री तेजनारायण त्रिवेदी--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जिन Overseers ने पहाड़ों पर १ वर्ष की Practical Training (Apprentice) पूरी कर ली है उनको नौकरी नहीं मिली है, और उन Overseers को सरकार द्वारा नौकरी मिल गयी है जिनकी Practical Training भी पूरी नहीं है ?

श्री गनेशीलाल--ऐसा कोई भी ओवरसियर विभाग में नियुक्त नहीं किया गया है जिसने १ वर्ष की Practical tra ining पूरी न की हो।

*३४--श्री तेजनारायण त्रिवेदी--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि कितने Overseers ऐसे हैं जिन्होंने Practical Training (Apprentice) का कोर्स पूरा किया है और वह overa ge भी हो गये हैं ? सरकार ने ऐसी अवस्था में उन सब को नौकरी दिलाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया है ?

श्री गनेशीलाल--Over age होने वाले apprentice ओवरसियरों की लिस्ट इस विभाग में रखी नहीं गई।

लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत होने पर कोई ओवरसियर overage पाया जाता है तो विभाग द्वारा उसे निर्धारित आयु सीमा से छूट देने पर विचार किया जाता है।

श्री तेजनारायण त्रिवेदी--जिन ओवरसीयर्स ने पहाड़ों पर प्रेक्टिकल ट्रेनिंग ली है और अपने को लाभदायक सिद्ध किया है उनकी सेवाओं को सरकार विभागीय लाभ पहुंचाने के लिये क्यों नहीं ले रही है?

श्री गिरधारीलाल--उनको वंचित तो नहीं किया गया सेवा लेने से। सूबे भर के जितने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पाये हुये लोग हैं सब एलिजिबिल हैं और वहां के भी काफी नम्बर में लोग लिये गये हैं और बाद में भी लिये जायेंगे।

श्री तेजनारायण त्रिवेदी--अगर सरकार के पास ऐसे नामों को भेजा जाय जिनकी नियुक्तियां हो गयी हैं और पूरी ट्रेनिंग नहीं की है, तो उस पर सरकार क्या ऐक्शन लेगी ?

श्री गिरधारी लाल--अगर मेरे नोटिस में ऐसी चीज आयेगी तो मैं उसको देखूंगा।

उन्नाव जिला परिषद्, के जे० टी० सी० टीचरों का वेतन

*३५--**श्री द्विजेन्द्र नारायण** (जिला बाराबंकी) अनुपस्थिति तथा **श्री देवदत्त मिश्र** (अनुपस्थिति)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूलों में काम करने वाले जे० टी० सी० टीचरों को क्या ग्रेड दिया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--रु० ७०-३-१००-द० रो०--४-१२० का वेतन-क्रम दिया जा रहा है।

*३६--**श्री द्विजेन्द्र नारायण** (अनुपस्थित) तथा **श्री देवदत्त मिश्र** (अनुपस्थित)--क्या उन्नाव में काम करने वाले सभी जे० टी० सी० ट्रेंड टीचरों को रिवाइज्ड स्केल दिया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां।

*३७--**श्री द्विजेन्द्रनारायण** (अनुपस्थित) तथा **श्री देवदत्त मिश्र** (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि १६ सीनियर जे० टी० सी० ट्रेंड टीचरों को रिवाइज्ड स्केल बजाय १ जुलाई, १९५५ के १ अगस्त, १९६१ से दिया जा रहा है ? इनके बकाया को देने के संबंध में सरकार क्या कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां। अवशेष का भुगतान परिषद् को अपने साधनों से करना चाहिये। परिषद् को आदेश दिया जा चुका है कि वह इन अध्यापकों पर होने वाले समस्त व्यय को अपने आप वहन करें।

जिला परिषद् उन्नाव के संस्कृत अध्यापकों का वेतन

*३८--**श्री देवदत्त मिश्र** (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला परिषद् उन्नाव के संस्कृत शिक्षकों को जनवरी, १९५६ से ५१ रु० प्लस डी० ए० मिलना चाहिये था किन्तु उनको यह ग्रेड अक्तूबर, १९६१ से दिया गया है ? क्या सरकार इन संस्कृत शिक्षकों को वार्षिक वृद्धियों सहित पिछला बकाया जनवरी, १९५६ से सितम्बर, १९६१ तक का दिलाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर--जिला परिषदों के समस्त अध्यापकों का वेतन-क्रम जनवरी, १९५७ से संशोधित किया गया था। उक्त तिथि से जिला परिषद् उन्नाव के संस्कृत अध्यापकों को भी ५१ रु० वेतन तथा वेतन वृद्धियां और महंगाई दी जा रही हैं। पिछला बकाया देने का प्रश्न नहीं उठता।

गाजीपुर जिला परिषद् के अध्यापकों को वेतन विलम्ब से मिलना

*३९--**श्री रामसुन्दर शास्त्री**--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, गाजीपुर के मातहत काम करने वाले शिक्षकों का वेतन अप्रैल सन् १९६१ से अप्रैल, १९६२ तक प्रत्येक मास में किस तारीख तक बटा है ? यदि विलम्ब हुआ है, तो क्या कारण है ?

श्री अजीजइमाम—वेतन वितरण की तिथि निम्नलिखित प्रत्येक मास के सम्मुख अंकित है :—

अप्रैल, १९६१	..	..	..	१ जून, १९६१
मई ,,	..	..	..	१७ जून, १९६१
जून, ,,	..	..	..	१४ अगस्त, १९६१
जुलाई ,,	..	..	..	१६ अगस्त, १९६१
अगस्त ,,	..	..	..	५ अक्तूबर, १९६१
सितम्बर ,,	..	..	..	२ नवम्बर, १९६१
अक्तूबर ,,	..	..	..	२८ नवम्बर १९६१
नवम्बर ,,	..	..	..	२२ दिसम्बर, १९६१
दिसम्बर ,,	..	..	..	२ फरवरी, १९६२
जनवरी, १९६२	..	..	..	१४ मार्च १९६२
फरवरी ,,	..	..	..	३० मार्च, १९६२
मार्च ,,	..	..	..	४ मई, १९६२
अप्रैल ,,	..	..	..	१३ जून, १९६२

आर्थिक संकट होने से परिषद् के कोष में पर्याप्त धन न होने के कारण ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६१ में शिक्षकों का वेतन कितना देना था और परिषद् की मद में कितना धन था ?

श्री अजीज इमाम—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गाजीपुर में ही यह दुर्व्यवस्था नहीं है, बल्कि और भी कई जिला परिषदों में यह दुर्व्यवस्था है ? यदि हों, उसको दूर करने के लिये सरकार क्या उपाय सोच रही है ?

श्री अजीज इमाम—इसके लिये भी सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री गेंदासिंह—क्या इस बात की जानकारी माननीय मंत्री जी को है कि जिला परिषदें इस वक्त बड़ी आर्थिक कठिनाई में हैं और उन्होंने सरकार से इस बात की इजाजत ले ली है कि वे शिक्षकों का और अपने कर्मचारियों का वेतन दो, दो, तीन, तीन, महीने तक न दें ?

आचार्य जुगलकिशोर—ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया कि वे दो-तीन महीने तक वेतन न दें ।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि जिला परिषदें इस वक्त आमतौर पर ४-४ महीनों का वेतन बाकी रख रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—पता लगाने की कोशिश करेंगे अगर माननीय गेंदासिंह जी उन जिलों के नाम लिख कर देंगे जहां पर यह शिकायत है ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बनारस अंतरिम जिला परिषद् की जांच करायेंगे जहां पर ५ महीने से अभी तक लोगों को वेतन नहीं मिला है ?

श्री अध्यक्ष—यह आप उनको लिख कर अलग से भेज दें ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि गाजीपुर अंतरिम जिला परिषद् में आर्थिक संकट के क्या कारण हैं ?

श्री अजीज इमाम—इस के लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

गाजीपुर जिले में गांव समाजों द्वारा भूमि वितरण

*४०—श्री झिलमिट राम (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में बिरनो, मरदह तथा जखनिया ब्लाकों में १ अप्रैल, १९५९ से ३१ मार्च, १९६२ तक कुल कितने भूमिहीनों को जमीन गांव समाजों द्वारा वितरित की गयी है तथा उन गांव समाजों के क्या नाम हैं व प्रत्येक गांव समाज द्वारा कितनी भूमि कितने व्यक्तियों में वितरित की गयी है ?

श्री बृजबिहारी—ब्लाक बिरनो, मरदह तथा जखनिया में १ अप्रैल, १९५९ से ३१ मार्च, १९६२ तक कुल १४९ भूमिहीन व्यक्तियों को ७९.५५ एकड़ भूमि वितरित हुई, जिसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १२७१–१२७२ पर)

श्री झिलमिट राम—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गाजीपुर के बिरनो ब्लाक में गांव समाज बोगना, धनेशपुर तथा गजपतपुर में किन-किन व्यक्तियों को भूमि का वितरण किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसकी लिस्ट इस समय नहीं है।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—क्या राजस्व मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जो भूमि वितरित की गयी है वह भूमिहीनों को न मिल कर, जिनके पास ज्यादा भूमि है उनको वह दी गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम से तो भूमिहीनों के बारे में पूछा गया है, दूसरों की इत्तिला नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—क्या जिलाधीशों को यह हिदायत दी गई है कि ग्राम समाज की जमीनों के दुरुपयोग में वे हस्तक्षेप करें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह तो कायदा ही है। आदेश की जरूरत नहीं है।

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री जी उन नियमों को और उस आधार को बताने की कृपा करेंगे जिनकी बुनियाद पर गांव समाज की जमीन भूमिहीनों को दी जाती है ? कम जमीन हो और अधिक भूमिहीन हों तो किनको प्राथमिकता दी जाती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर रूल पढ़ लें तो सवाल की जरूरत नहीं होगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—जिन भूमिहीनों को जमीन दी गई है उनमें एक परिवार को ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लिस्ट में सब दिया है। बिलहा में ३ आदमियों को १ एकड़ दी गई है, लाई में २ आदमियों को २ एकड़ दी गई है। इसी तरह से लम्बी फेहरिस्त है। अध्यक्ष महोदय, इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष—नहीं।

जौनपुर जिले में कुछ सड़कें पक्की करने की प्रार्थना

*४१—श्री जगन्नाथ राय (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूं, जिला जौनपुर से तरतो होकर कठिरांव तक जाने वाली सड़क को पक्की कराने का वह विचार कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं ।

*४२--श्री जगन्नाथ राव (अनुपस्थित)--क्या सरकार विकास क्षेत्र, मड़ियाहूं के केन्द्र शीतकगंज से मोकलपुर तक जाने वाली सड़क को पक्की बनाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं ।

*४३--श्री जगन्नाथ राव (अनुपस्थित)--क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमालापुर बाजार से (मड़ियाहूं तहसील) वाराणसी तक जाने वाली सड़क पर सई नदी पर पुल बनाने का विचार सरकार करेगी तथा इसके लिये वह जनता से कितना धन चाहती है और कितना वह धन देने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं। इस समय इस पुल के निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

पहेतिया ग्राम से चकबन्दी दफ्तर हटाना

*४४--श्री झिलमिट राम--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिला में ग्राम पहेतिया में किसी चकबन्दी अधिकारी का दफ्तर था ? यदि हां, तो किसका ?

श्री बृजबिहारी--जी हां ।

ग्राम पहेतिया जिला गाजीपुर में सहायक चकबंदी अधिकारी का कार्यालय था ।

*४५--श्री झिलमिट राम--क्या सरकार ने उपरोक्त दफ्तर को वहां से हटा दिया है ? यदि हां, तो कहां और किन कारणों से ?

श्री बृजबिहारी--जी हां,

उक्त क्षेत्र में मौके का कार्य समाप्त हो जाने पर सहायक चकबन्दी अधिकारी को सदर तहसील, गाजीपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया ।

निघासन तहसील में अग्नि-पीड़ितों को सहायता

*४६--श्री कमलासिंह यादव--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि परगना धौरहरा एवं फीरोजाबाद, तहसील निघासन, जिला खीरी के किन-किन गांवों को अप्रैल एवं मई सन् १९६२ में आग लगने से हानि हुई ?

श्री बृजबिहारी--वांछित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १२७३ पर)

*४७--श्री कमलासिंह यादव--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन अग्नि-पीड़ित गांवों के किसानों को क्या-क्या सुविधायें सरकार द्वारा दी गयीं ?

श्री बृजबिहारी--अग्नि-पीड़ितों को ४५० रु० अहेतुक सहायता तथा २,५०० रु० तकावी के लिये दिये गये हैं ।

श्री कमलासिंह यादव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अग्निकान्ड दैवी था या किसी आदमी के आग लगाने से था, या आकस्मिक था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके बारे में मैं नहीं कह सकता ।

श्री कमलासिंह यादव-- सरसावां मौजे में अग्निकान्ड किस तारीख को हुआ और सहायता किस तारीख को दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---८-५-६२ को। सहायता की तारीख के लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---क्या सरकार ने जांच कराई कि आग कैसे लगी? अगर जांच नहीं कराई, तो अब कराने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी तक हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि मैं नहीं जानता।

श्री कमलासिंह यादव---अग्निकान्ड वाले गांवों में सहायता देर से दी गई है, तो क्या सरकार तात्कालिक सहायता का प्रबन्ध करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन---आदेश तो हमारे यही हैं।

राजकीय कालेज, फिजिकल शिक्षा, रामपुर के अध्यापक

*४८---श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)---क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय कालज, फिजिकल शिक्षा, रामपुर में ३ ऐसे अध्यापक हैं जो डिप्लोमा पास नहीं हैं और डिप्लोमा कोर्स के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं?

आचार्य जुगलकिशोर---जी नहीं।

तीन अध्यापकों के पास डिप्लोमा कोर्स के विद्यार्थियों को पढ़ाने योग्य निर्धारित योग्यतायें हैं।

बस्ती जिले में जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता

*४९---श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में वर्ष १९६१-६२ में कितने जूनियर हाई स्कूलों को सरकारी मान्यता प्राप्त हुई है?

श्री अजीज इमाम---४ जूनियर हाई स्कूलों को स्थायी तथा ८ जूनियर हाई स्कूलों को अस्थायी मान्यता प्रदान की गई थी।

*५०---श्री धूमप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामकृष्ण परमहंस जूनियर हाई स्कूल, मुबलिसपुर, जिला बस्ती को १९६१-६२ में सरकारी मान्यता मिली या नहीं?

श्री अजीज इमाम---जी नहीं।

*५१---श्री धूमप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में वर्तमान डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स को रहते हुये कितने वर्ष हुये?

श्री अजीज इमाम---१७ जुलाई, १९६२ से कार्य कर रहे हैं।

आजमगढ़ जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग में हरिजन कर्मचारी

*५२---श्री सुरजन (जिला आजमगढ़)---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में सार्वजनिक विभाग में कुल कितने कर्मचारी हर पदों पर कार्य कर रहे हैं और उनमें हरिजनों की संख्या कितनी है? क्या कुल कर्मचारियों की संख्या को देखते हुये हरिजन अपने अनुपात के अनुसार रख गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गनेशीलाल--संलग्न सूची जो कि सदस्य महोदय की मेज पर हैं, में कुल कर्मचारियों तथा हरिजन कर्मचारियों की संख्या दी हैं।

निर्धारित योग्यता के लोग न मिलने के कारण कुछ पदों पर हरिजनों की संख्या निर्धारित अनुपात के अनुसार नहीं है। शेष पदों के विषय में भविष्य में जहां तक सम्भव हो ध्यान रखने के लिए उचित आदेश दिये जा रहे हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १२७४ पर)

श्री सुरजन--उत्तर में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियों में योग्यता की जरूरत रखी है, लेकिन चौथे और पांचवें में योग्यता की जरूरत नहीं है। तो इनमें इस वर्ग के लोग क्यों नहीं रखे गये ?

श्री गिरधारीलाल--एक बात तो यह है कि पुराने आदमियों को हटाकर परसेंटेज पूरा नहीं किया जा सकता। इस श्रेणी के लिये आगे को आदेश दिये गये हैं और इस कमी को पूरा करने की कोशिश की जायगी।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--हरिजनों का परसेंटेज पूरा करने के प्रश्न पर हमेशा यही उत्तर मिलता है कि योग्य आदमी नहीं मिले। लेकिन जिन जगहों में योग्यता की कोई जरूरत नहीं है और उनमें परसेंटेज पूरा नहीं है, राधाकृष्ण अग्रवाल कमेटी इस बात की खोज करने के लिये बैठायी गयी थी कि कैसे परसेंटेज को पूरा किया जाय, उसने क्या सिफारिशें की हैं और सरकार ने उन पर क्या कदम उठाये हैं ?

श्री गिरधारीलाल--राधाकृष्ण कमेटी की सिफारिशों के लिये तो नोटिस की जरूरत है। टैक्नीकल परसनल के मामले में तो वे सहमत हैं। नान-टैक्नीकल जाब्स में उन लोगों को रखा जा रहा है। आजमगढ़ को छोड़ कर पूरे सूबे की फीगर्स मेरे पास हैं, कम से कम १५ या १५॥ परसेंट आदमी नान-टैक्नीकल जाब्स में, जो कि गवर्नमेंट की रैग्यूलर सर्विसेज में हैं, उनमें लिये गये हैं। इस बात की कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा वे लोग लिये जावें। आजमगढ़ के बारे में मुझे कुछ कमी महसूस हुई। मैंने उन्हें इसे देखने के लिये आदेश दिये हैं।

श्री गेंदासिंह--आजमगढ़ में या समूचे प्रदेश में क्या चपरासियों के पदों के लिये ऐसी व्यवस्था की गई कि जहां आवश्यकता हो वहां इन लोगों को प्राथमिकता दी जाय ?

श्री गिरधारीलाल--मैंने तो कहा कि जितनी इस किस्म की नौकरियां हैं सब के लिये आदेश दिया गया है कि उन लोगों को लिया जायगा।

श्री ऊदल--क्या माननीय मंत्री जी के पास या सरकार के पास भारत सरकार ने कोई ऐसा पत्र भेजा है कि उत्तर प्रदेश के किसी विभाग में ३-४ प्रतिशत से अधिक हरिजनों को भरती नहीं किया जाता, इसलिये रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया जाय ?

श्री गिरधारीलाल--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री भीखालाल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार के प्रान्तीय सरकार को कोई इस प्रकार के आदेश आये हैं कि अगर किसी विभाग में योग्यता के अनुसार व्यक्ति न मिलें तो उन पोस्ट्स को ३ साल तक खाली रखा जाय, जब तक कि योग्यता के अनुसार व्यक्ति न मिल जायें ?

श्री गिरधारीलाल--प्रश्नकर्त्ता जिस दल से संबंध रखते हैं, वह दल स्वयं भी इस बात से सहमत होगा कि किसी देश या समाज का काम किसी विशेष व्यक्ति के आने अथवा न आने से सफर नहीं करता। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर उस समय योग्यता के लोग नहीं मिलते हैं तो पब्लिक सर्विस कमीशन को यह आदेश है कि दूसरे वर्ष उनका ध्यान रखा जाय और अगर दूसरे वर्ष भी नहीं मिलते तो तीसरे वर्ष उनके नम्बर को पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन काम किसी प्रकार से भी सफर नहीं कर सकता।

श्री कमलासिंह यादव--चपरासियों के लिये हरिजन मिल ही सकते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से क्यों नहीं लिये जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष--बतला तो दिया कि इसके लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।

आजमगढ़ जिले के लिए निर्माण योजनायें

*५३--**श्री सुरजन**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निकट भविष्य में सड़क, पुल आदि बनवाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक यह योजनायें लागू की जायेंगी ?

श्री गनेशीलाल--जी हां योजना है और उसको चालू कर दिया गया है।

श्री सुरजन--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वे कौन सी योजनायें हैं और किस जगह लागू की गयीं हैं ?

श्री गनेशीलाल--यह तो एक बड़ी लिस्ट है। अगर आपकी आज्ञा हो तो पढ़ दी जाय।

श्री सुरजन--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता को वह लिस्ट क्यों नहीं दी गयी ?

श्री अध्यक्ष--वह तो आपने मांगी नहीं थी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन योजनाओं में सबसे बड़ी योजना पुल और सड़क की कौन-सी है ?

श्री गनेशीलाल--इलाहाबाद-गोरखपुर सड़क का टोंस नदी पर आजमगढ़ में जो पुल बनना है वह योजना १२ हजार रुपये के ऐस्टीमेट की है।

शिक्षा सर्वेक्षण कार्य हेतु टी० ए० तथा डी० ए० का भुगतान

*५४--**श्री जगन्नाथ राव** (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मन्त्री दिनांक १ जून, को रामचरण शाह द्वारा पूछे गये प्रश्न १११ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७-५८ में जिन अध्यापकों द्वारा शिक्षा सर्वेक्षण का कार्य लिया गया था उनमें से कुछ अध्यापकों के ही बिल प्री आडिट में क्यों चले गये ?

आचार्य जुगलकिशोर--प्री आडिट हेतु कुछ ही नहीं वरन् ऐसे सभी बिलों को महालेखापाल की स्वीकृति हेतु भेजा गया था जिनकी यात्रायें उस वर्ष (१९५७-५८) धनराशि उपलब्ध होने के ६ मास पूर्व की गयी थी।

*५५--**श्री जगन्नाथ राव** (अनुपस्थित)--यदि प्री आडिट में चले गये तो अब तक उनका भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर--कुछ बिलों का भुगतान धनराशि के समय से न उपलब्ध होने के कारण नहीं किया जा सका।

*५६--श्री जगन्नाथ राव (अनुपस्थित)--अध्यापकों के भुगतान की व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--महालेखापाल से बिलों के भुगतान की स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान किया जावेगा ।

*५७-५८--श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--[२७ सितम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न ४१-४२ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

ग्राम खीरों दोकनहा से माफी लगान के लिए प्रार्थना-पत्र

*५९--श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली के अन्तर्गत परगना खीरों में ग्राम खीरों दोकनहा तथा पाहों की जनता ने भूदान समिति को दी हुई भूमि के सम्बन्ध में बकाया लगान की माफी की कोई दरख्वास्त सन् १९६१ में माननीय राजस्व मंत्री को दी थी ?

श्री बृजबिहारी--जी हां, ग्राम खीरों दोकनहा की जनता से एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था ।

*६०--श्री गुप्तारसिंह--क्या सरकार उपरोक्त किसानों की भूमि जो भूदान समिति को दी हुई है और जिस पर किसानों का कब्जा नहीं है उनके बकाया लगान के संबंध में कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री बृजबिहारी--अभी जांच जारी है । २६ जून, १९६२ को जिलाधीश, रायबरेली को आदेश दे दिया गया है कि जब तक इस विषय में कुछ निश्चय नहीं हो जाता, बकाया लगान की वसूली रोक दी जाय ।

श्री गुप्तारसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मालगुजारी वसूल कर ली गयी है, क्या वह वापस कर दी जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--तहकीकात के बाद अगर यह समझा जाय कि गैरवाजिब वसूली हुई है तो वापस कर दी जायगी ।

श्री गुप्तारसिंह--क्या सरकार बतायेगी कि इसकी जांच कितनी अवधि के भीतर हो जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह कहना बड़ा मुश्किल है ।

श्री मैनेजरसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के और सदन के आदेश के बावजूद भी जो लगान वसूल किया गया है, तो उन लगान वसूल करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह तो तहकीकात के बाद ही मालूम हो सकेगा कि उन्होंने बाकायदा वसूली की या बेकायदा वसूली की ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन किसानों ने किस सन् में भूदान में अपनी जमीन दी और कितने साल की मालगुजारी उनसे वसूल की गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--डिटेल के लिये सूचना की आवश्यकता है ।

नोट--तारांकित प्रश्न ६० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

बहादुरगंज-मऊ, अलावलपुर-जहूराबाद सड़कें तथा भैंसही नदी का पुल

*६१--श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर, थाना कासिमाबाद से जो सड़क बहादुरगंज होती हुई मऊ जाती है यह सड़क और भैंसही नदी का पुल बनना कुछ समय पूर्व मंजूर हुआ था ? यदि हां, तो अब तक पुल के न बनने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां, पुल बन गया है।

*६२--श्री रघुवीर--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर, तहसील मुहम्मदाबाद, ग्राम अलावलपुर से जो सड़क जहूराबाद होती हुई जाती है यह सड़क तृतीय पंचवर्षीय योजना में पक्की कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं।

विदेश में शिक्षा प्राप्त करने वालों को सहायता देने के नियम तथा विश्वविद्यालय आयोग प्रतिवेदन

*६३--श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ से जून, सन् १९६२ तक राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा विदेश में जाकर अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति या अन्य सहायता के रूप में सरकार ने कुल कितना रुपया दिया ?

आचार्य जुगलकिशोर--मार्ग व्यय के लिये २,६८,७०० रुपया दिया।

*६४--श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को राज्य सरकार से दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुये हैं ? यदि हां, तो उन नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--सरकार ने कुछ सिद्धान्त बना रखे हैं जिनके आधार पर इस समय अनुदान दिया जाता है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

विस्तारपूर्वक नियम बनाये जा रहे हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १२७५ पर)

*६५--श्री चन्द्रजीत यादव--क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री हरीशचन्द्र की अध्यक्षता में जो विश्वविद्यालय आयोग बना था उसने अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी है ? यदि हां, तो कब और सरकार ने अब तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हाँ। प्रतिवेदन दिसम्बर २८, १९६१ को प्राप्त हुआ था, सरकार उस पर विचार कर रही है।

तीसरी कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था

*६६--श्री सुखलाल (जिला लखनऊ) तथा श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला-सीतापुर)--क्या सरकार उन आधारिक विद्यालयों की जिलेवार संख्या बताने की कृपा करेगी जिनमें कि कक्षा ३ से अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था कर दी गई है ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूची† संलग्न है ।

*६७—**श्री सुखलाल** तथा **श्री टम्बेश्वरीप्रसाद**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस व्यवस्था से शिक्षा विभाग को कितना अतिरिक्त व्यय प्रतिवर्ष करना पड़ेगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—चालू वित्तीय वर्ष में अनुमानित व्यय ९,९८,७६० रुपये होगा तथा आगामी वर्षों में औसत आवर्तक व्यय लगभग ११ लाख रुपया होगा ।

अतर्रा से शराब की दुकान हटाने की प्रार्थना

*६८—**श्री मतोलासिंह** (जिला बाँदा)—क्या सरकार को पता है कि बाँदा जिले के अन्तर्गत टाउन अतर्रा बस्ती में शराब की दूकान है, जहाँ शराबी लोग शांतिमय जीवन में बाधा डालते हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी हाँ । किन्तु अभी तक सरकार को कोई शिकायत नहीं की गई कि वहाँ पर शराबी लोग किसी के शांतिमय जीवन में बाधा डालते हैं ।

*६९—**श्री मतोलासिंह**—क्या सरकार ऐसी दुकानों को टाउन से बाहर ले जाने का विचार रखती है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं ।

घोसी-मुहम्मदाबाद सड़क

*७०—**श्री झारखंडेराय**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत घोसी-मुहम्मदाबाद सड़क जो पक्की की जाने वाली है उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री गिरधारीलाल—स्थायी और अस्थायी भूमि को प्राप्त करने के लिये आवश्यक कागज तैयार किये जा चुके हैं । दो पुलियों का निर्माण हो चुका है । शेष कार्य के लिये टेन्डर आमन्त्रित किये जा चुके हैं ।

*७१—**श्री झारखंडेराय**—उस सड़क की कब तक पक्की हो जाने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—नवम्बर, १९६५ तक सड़क का निर्माण-कार्य पूर्ण होने की योजना है ।

*७२-७३—**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—[२० वें गुरुवार के लिये प्रश्न १९-२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*७४—**श्री झारखंडेराय, श्री भीखालाल, श्री नरसिंहनारायण पांडेय, श्री जेड० ए० अहमद** (जिला आजमगढ़) तथा **श्री चन्द्रजीत यादव**—[हटा दिया गया ।]

स्थानीय निकायों के अन्तर्गत हाई स्कूलों तथा इण्टर कालेजों का प्रबन्ध

*७५—**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला एटा)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि स्थानीय निकायों द्वारा चलाये हुए हाई स्कूल और इंटर कालेजों के प्रबन्ध के लिये सरकार ने कोई नियम बनाये हैं ? यदि हाँ, तो कौन से तथा क्या सरकार इनकी प्रति सदन की मेज पर रखेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

---

†छापी नहीं गई ।

*७६—श्री राजेन्द्रसिंह—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि स्थानीय निकायों की शिक्षा संस्थाओं के प्रिंसिपलों के अधिकार और कर्तव्य वे ही हैं जो सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी हुई शिक्षा संस्थाओं के प्रिंसिपलों के हैं अथवा कुछ भिन्न ? यदि भिन्न हैं, तो किस प्रकार और क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—स्थानीय निकायों की शिक्षा संस्थाओं तथा सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रिंसिपलों के अधिकार एवं कर्तव्य में कुछ भिन्नता है। स्थानीय निकायों की शिक्षा संस्थाओं के सभी कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित अधिकार एवं कर्तव्य संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा सम्पादित होते हैं जबकि सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रिंसिपल अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित अधिक एवं कर्तव्य सम्पादित करते हैं। कारण यह है कि जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा १६ के अनुसार कर्मचारियों को दंड देने का अधिकार उनके नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को ही प्राप्त होते हैं।

*७७—श्री राजेन्द्रसिंह—क्या सरकार स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों में दलबन्दी को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विचार कर रही है कि इन शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों, अध्यापकों एवं प्रिंसिपलों के लिये स्थानान्तरण का तरीका अपनाया जावे ? यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—इस प्रकार का कोई मामला शासन के विचाराधीन नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

भू-राजस्व प्रति एकड़

*७८—श्री रामचन्द्र विकल—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस समय किसानों पर लगान का प्रति एकड़ औसत क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस समय उत्तर प्रदेश में किसानों पर मालगुजारी का प्रति एकड़ औसत ४.४८ रु० है।

*७९—श्री रामचन्द्र विकल—क्या राजस्व मंत्री यह भी बतायेंगे कि देश के अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में लगान का प्रति एकड़ औसत कम है या अधिक और कितना-कितना ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अन्य राज्यों में भू-राजस्व की दरों में वृद्धि होने के कारण यह कहना कठिन है कि उत्तर प्रदेश में लगान का प्रति एकड़ औसत अन्य राज्यों की अपेक्षा कितना कम या अधिक है।

शिक्षा संस्थाओं के सहायक उपनिरीक्षकों का चुनाव

*८०—श्री मैनेजरसिंह—क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सहायक विद्यालय उप-निरीक्षक पद की नियुक्ति हेतु जो विज्ञापन लोक सेवा आयोग द्वारा निकाला गया था उसमें अनुभव तथा बेसिक एल० टी० को वरीयता देने की बात थी ? यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि विज्ञापन के आधार की उपेक्षा चुनाव में की गयी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हाँ। विज्ञापन के आधार की उपेक्षा के बारे में शासन के पास कोई शिकायत नहीं आई है।

*८१—श्री मैनेजरसिंह—क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सहायक विद्यालय उप-निरीक्षक पद के सेवा में लोक सेवा आयोग द्वारा न चुने जाने के कारण कितनों को सेवा से मुक्त किया गया है और उनमें कितने एक वर्ष, दो वर्ष या इससे अधिक से सेवायें कर रहे थे ?

आचार्य जुगलकिशोर—कुल २७६ सहायक उप निरीक्षकों को आयोग द्वारा न चुने जाने पर सेवा से हटाया गया है, इनमें से १ वर्ष तक के २०९, दो वर्ष तक के ४३ तथा २ वर्ष से अधिक सेवाकाल वाले २४ सहायक उप-निरीक्षक हैं।

आजमगढ़ जिले में मादक वस्तुओं का ठेका

*८२—**श्री उमाशंकर तिवारी** (जिला आजमगढ़)—क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में किन-किन स्थानों पर किस व्यक्ति को गाँजा, भांग, शराब, बेचने का ठेका इस समय दिया हुआ है ?

डाक्टर सीताराम—वाँछित सूचना† संलग्न है।

*८३—**श्री उमाशंकर तिवारी**—क्या आबकारी मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि आजमगढ़ जिले के कन्धरापुर तथा महाराजगंज थाने में कई ठेकेदारों ने केवल शराब का ठेका लेकर गाँजा, भांग और अफीम भी बेचते हैं ?

डाक्टर सीताराम—यह सच नहीं है कि आजमगढ़ जिले के कन्धरापुर तथा महराजगंज थाने में कई ठेकेदार केवल शराब का ठेका लेकर गाँजा, भांग और अफीम भी बेचते हैं।

*८४—**श्री उमाशंकर तिवारी**—क्या आबकारी मंत्री बह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसी भी कोई शिकायत उनके पास आई है कि उक्त ठेकेदारों से स्थानीय आबकारी अधिकारी ने माहवारी रिश्वत बंधा रखी है ?

डाक्टर सीताराम—ऐसी कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

छात्रों को आयु की निर्धारित सीमा से छूट

*८५—**श्री बिपिनबिहारी तिवारी** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सम्पूर्ण प्रदेश में उन छात्रों की अनुमानित संख्या कितनी है जो कि विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से जुलाई मास में इसलिये निष्कासित कर दिये गये कि उनकी आय निर्धारित आयु से अधिक हो गई थी ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्र करने में जो समय लगेगा और व्यय होगा वह उसके लाभ के समतुल्य न होगा।

*८६—**श्री बिपिनबिहारी तिवारी**—प्रथम प्रश्न के प्रसंग में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन निष्कासित छात्रों की पढ़ाई समाप्त न हो इस दृष्टि से सरकार क्या विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—शिक्षा संहिता के पैरा ९० (एफ) के अन्तर्गत टिप्पणी में योग्य छात्रों को आयु की निर्धारित सीमा से छूट दिये जाने की व्यवस्था है जिससे उनकी पढ़ाई में बाधा न पड़े।

सड़कों का पक्का किया जाना तथा हैदरगढ़-शिवगढ़ सड़क

*८७—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी** (जिला बाराबंकी)—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के ३२ जिलों में ३९० मील लम्बी, ३६ सड़कों को पक्की करने की जो योजना सरकार ने बनाई थी इस संबंध में वह बतायेगी कि यह किन जिलों की कौन सी सड़कें थीं ? इनमें से कितनी सड़कें बन गई और कौन शेष हैं ? क्या सरकार शेष सड़कों को बनाये जाने पर विचार कर रही है ?

---

† छापी नहीं गई।

श्री गिरधारीलाल—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल २८३० मील पक्की सड़कों का काम हाथ में लिया गया था जिसमें से १०४३ मील सड़कें योजना काल में पूरी होनी थी और शेष अगली योजना में। यह कार्य प्रदेश में लगभग प्रत्येक जिले में कुछ न कुछ फैला हुआ था। योजना काल में १०४३ मील के लक्ष्य के बजाय १४५२ मील सड़कों का निर्माण पूर्ण रूप से हुआ, बाकी १३७८ मील सड़कों का अधूरा काम तृतीय पंचवर्षीय योजना में पूर्ण किया जा रहा है। प्रत्येक जिले की सड़कों का विवरण तथा उनकी प्रगति की सूचना विभागीय ब्रोस्योर में दी गयी थी, जो बजट के समय माननीय सदस्यों को वितरण किया गया था।

*८८—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—क्या यह बात सही है कि बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ शिवगढ़ सड़क भी इन ३६ सड़कों में शामिल थी किन्तु अब तक इस सड़क को पक्का नहीं किया जा सका है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसे सार्वजनिक निर्माण विभाग में परिवर्तित कर पक्की बनाने पर विचार करेगी?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—हैदरगढ़-शिवगढ़ सड़क का पक्का करना द्वितीय योजना में सम्मिलित नहीं था।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

*८९—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—क्या उक्त सड़क को पक्की बनाने के संबंध में सरकार के पास सुझाव की माँग की गई है? यदि हाँ, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री गिरधारीलाल—जी हाँ। इस सड़क का निर्माण अभी तक धनाभाव के कारण नहीं हो सका।

*९०-९२—**श्री भीखालाल**—[हटा दिये गये।]

जौनपुर का अकबरी पुल

*९३—**श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को पता है कि जिला जौनपुर का अकबरी पुल लगभग ५०० वर्ष पुराना हो गया है और वह वैहिक्यूलर ट्राफिक नहीं सह सकता है? यदि हाँ, तो क्या मंत्री उसे केवल आदमियों और रिक्शों के लिये खुला रखेंगे और वेहिक्यूलर ट्राफिक चलाने और आदमियों के लिये गोमती के पूर्व बहाव पर नये पुल का निर्माण करेंगे?

श्री गिरधारी लाल—जी हाँ। धनाभाव के कारण अभी नये पुल का निर्माण सम्भव नहीं है।

माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का महंगाई भत्ता

*९४—**श्री हरीशकुमार गंगवार** तथा **श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि ४ जून, १९६२ ई० को शिक्षा मंत्री द्वारा सदन में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का महंगाई भत्ता दिये जाने की घोषणा किये जाने पर भी अभी तक उक्त प्रकार विद्यालयों के प्रबन्धकों व प्रधानाचार्यों को इस सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुये हैं? यदि हाँ, तो इस प्रकार के निर्देश न जारी करने के कारणों पर सरकार प्रकाश डालने की कृपा करेगी?

आचार्य जुगलकिशोर—इस संबंध में राजकीय आदेश १९ जुलाई, १९६२ को निर्गत हो चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

*९५—श्री हरीशकुमार गंगवार तथा श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह ध्यान रखते हुये कि महंगाई भत्ते की घोषणा किये जाने के बाद, नये शिक्षा सत्र के प्रारम्भ हो जाने के बाद भी उस घोषणा के अनुसार कार्य न होने के कारण अध्यापकों में व्यापक असंतोष है, सरकार कब तक इस प्रकार के निर्देश जारी करने का विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—प्रश्न नहीं उठता ।

सर्वोदय विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल, मीरगंज की मान्यता

*९६—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐण्ड इन्टरमीडिएट एजूकेशन, इलाहाबाद ने अपनी गत जून की बैठक में कितने स्कूलों को राजकीय मान्यता दी ?

आचार्य जुगलकिशोर—बोर्ड की बैठक जून के माह में नहीं हुई । बोर्ड की मान्यता समिति की दो बैठकें हुईं और उनमें की गई संस्तुति के अनुसार अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने निम्नाँकित संस्थाओं को मान्यता प्रदान की :

जूनियर हाई स्कूलों से हाई स्कूल के लिये मान्य संस्थाओं की संख्या	..	६२
हाई स्कूलों से नये इन्टरमीडिएट की मान्यता.. ..	..	२८
अतिरिक्त वर्गों या विषयों में मान्यता दिये जाने वाली संस्थाओं की संख्या	..	१७५
कुल	..	२६५

*९७—श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार सर्वोदय विद्यापीठ हायर सेकेन्डरी स्कूल, मीरगंज, जौनपुर को जिसकी लगभग सारी शर्तें पूरी हैं निकट भविष्य में हाई स्कूल की कक्षाओं के चलाने हेतु मान्यता पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो यह मान्यता कब तक मिल जावेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—मान्यता शासन द्वारा नहीं बल्कि परिषद् द्वारा दी जाती है । परिषद् ने सर्वोदय विद्यापीठ जूनियर हाई स्कूल, मीरगंज, जौनपुर को हाई स्कूल की मान्यता १९६४ की परीक्षा से प्रदान कर दी है ।

खलीलाबाद तहसील में घाघरा का कटाव

*९८—श्री विजयसिंह तथा श्री काशीनाथबहादुर पाल (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती की खलीलाबाद तहसील में घाघरा नदी से जो जमीन कट कर नदी में चली गई है उसके काश्तकारों से जमीन कटने के बाद भी लगान वसूल होता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं । जिन-जिन ग्रामों की जितनी-जितनी भूमि नदी में कट कर चली जाने के कारण खेती के योग्य नहीं रहती है उतनी उतनी भूमि की मालगुजारी उस वर्ष के लिये कम कर दी जाती है ।

प्रश्न का दूसरा भाग उठता नहीं ।

*९९—श्री विजयसिंह तथा श्री काशीनाथबहादुर पाल—जिन काश्तकारों के घर और जमीन कट कर नदी में विलीन हो गये हैं उनको बसाने और जमीन देने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसे व्यक्तियों को बसाने के लिये सरकार ने ग्राम अशरफपुर, हकीमपुर, बारीडीहा, रामपुर में भूमि का प्रबन्ध किया है । रामपुर में तो गत वर्ष कुछ लोग अवश्य बस गये हैं परन्तु अन्य स्थानों में अभी तक कोई नहीं बसा है ।

इसके अतिरिक्त ग्राम छपरा पूर्वी में खेती करने के लिये भूमि तथा मकान बनाने के लिये २,१७५ रु० की सबसिडी भी दी गई है।

नीरूपुर हायर सेकेंडरी स्कूल की मान्यता

*१००—श्री काशीनाथ मिश्र—क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बलिया जिला अन्तर्गत नीरूपुर हायर सेकेंडरी स्कूल को मान्यता क्यों प्रदान की गई जब कि वह सीताकुन्ड हायर सेकेन्डरी स्कूल से केवल एक फर्लांग की दूरी पर स्थित है और दुवहर हायर सेकेन्डरी स्कूल से केवल डेढ़ मील की दूरी पर है तथा मान्यता प्रदान की कुछ शर्तों को भी पूरा नहीं करता ?

आचार्य जुगलकिशोर—जूनियर हाई स्कूल, बहादुरपुर, नीरूपूर, हल्दी (बलिया) हाई स्कूल की मान्यता संबंधी शर्तों को पूरा करता था तथा स्थानीय आवश्यकता भी थी अतः उसे हाई स्कूल की मान्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदान की गयी।

राम सिंहासन हायर सेकेन्डरी स्कूल, दुवहर, बलिया उक्त संस्था से तीन मील दूर है। सीताकुन्ड, हल्दी में कोई हायर सेकन्डरी स्कूल ही नहीं है।

*१०१—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—[हटा दिया गया।]

*१०२-१०३—श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)— [१४ सितम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न १०१-१०२ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

पुलों के कर में चोरी की शिकायत

*१०४—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि काशीपुर (नैनीताल) के पास ढेला नदी के पुल तथा चन्दौसी और बहजोई (मुरादाबाद) के बीच सात नदी के पुल पर पी० डब्लू० डी० के कर्मचारियों द्वारा वसूल किया हुआ अधिकांश टैक्स पी० डब्लू० डी० के कर्मचारियों की जेबों में चला जाता है ? सरकार के पास नहीं पहुंचता ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

*१०५—श्री बसन्तसिंह—जब टैक्स के कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार चोरी की जा रही है तो क्या कभी टैक्स का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा ?

श्री गिरधारीलाल—जो टैक्स वसूल होता है वह सरकारी कोष में जमा होता है। टैक्स का निर्धारित लक्ष्य पूरा होने की पूर्ण आशा है।

*१०६—श्री बसन्तसिंह—टैक्स का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सरकार को इन पुलों का टैक्स वसूली के लिये ठेका दे देने में क्या आपत्ति है ?

श्री गिरधारीलाल—यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

आगरा विश्वविद्यालय सम्बन्धित कालेजों के प्रोफेसरों का मांग-पत्र

*१०७—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित (ऐफीलियेटेड) कालेजों के प्रोफेसरों ने अपने वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई मांग-पत्र भेजे हैं ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। प्रश्न विचाराधीन है।

प्राइमरी स्कूलों में मिड-डे-मील

*१०८—श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में मिड-डे-मील की योजना चालू करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

आचार्य जुगलकिशोर—राज्य में १४ नवम्बर, १९६१ से प्राइमरी स्कूलों में मिड-डे मील की योजना को चालू किया जा चुका है। यह योजना पूर्ण रूप से जन-सहयोग पर निर्भर है।

व्रज की सांस्कृतिक सुरक्षा

*१०९—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—क्या सरकार मथुरा जिले में प्राचीन मठ, मंदिर एवं व्रज की प्राचीन सांस्कृतिक मूर्तियों की सुरक्षा हेतु कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

सैनिक शिक्षा विभाग के स्टाफ इन्स्ट्रक्टर

*११०—श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)—क्या सरकार को ज्ञात है कि सैनिक शिक्षा विभाग में सन् १९४८ से जो स्टाफ इंस्ट्रक्टर का कार्य कर रहे हैं उन्हें अचल वेतन (Fixed Salary) दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, अचल वेतन (Fixed Salary) दिया जा रहा है।

*१११—श्री चन्द्रपाल—क्या सरकार यह बतायेगी कि भविष्य में इनका वेतन-दर कायम किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर—भविष्य में स्टाफ इन्स्ट्रक्टरों का वेतन-क्रम निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि ये पद विशेषतः मिलिटरी पेन्शनर्स द्वारा भरे जाते हैं जिन की राज्य सेवा में पुनर्नियुक्ति अचल वेतन (Fixed Salary) पर शासन द्वारा की जाती हैं।

गोरखपुर व देवरिया जिलों में मादक वस्तुओं के ठेके

*११२—श्री कल्पनार्थसिंह (अनुपस्थित)—क्या आबकारी मंत्री यह बतायेंगे कि गोरखपुर, देवरिया जिले में गत ५ वर्षों में कौन-कौन से आबकारी (गांजा, भांग, शराब अलग-अलग) की कितनी दूकानें थीं और उनके प्रति वर्ष कौन-कौन व्यक्ति ठेकेदार थे तथा उनका ठेका कितने-कितने रुपये के उच्चतम बोली पर था तथा इस वर्ष कौन-कौन लोग कितने-कितने की बोली पर उक्त दूकानों के ठेकेदार हैं?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना† संलग्न है।

*११३—श्री कल्पनार्थसिंह (अनुपस्थित)—क्या आबकारी मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उक्त जिलों में कितनी दूकानें नयी बढ़ाई गईं और क्यों?

डाक्टर सीताराम—गोरखपुर जिले में उक्त वर्षों में शराब और भांग की एक-एक दुकान बढ़ाई गई। ऐसा लाइसेंसिंग बोर्ड व जिलाधीश की सिफारिश पर किया गया।

देवरिया जिले में शराब और भांग की दो दो दुकानें बढ़ाई गईं। ऐसा जिले की आबकारी परामर्शदात्री समिति एवं जिलाधीश की सिफारिश पर किया गया।

---

†छापी नहीं गई।

*११४—श्री कल्पनार्थसिंह (अनुपस्थित)—क्या आबकारी मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश भर में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो गत ५ वर्षों में जहां से स्थानान्तरित किये गये थे पुनः उन्हीं स्थानों पर नियुक्त किये गये हैं ?

*११५—कितने ऐसे एक्साइज इन्स्पेक्टर हैं, जो अपने घर से १०० मील की दूरी से ऊपर हैं और कितने मील तथा कितने २५ मील के अन्दर हैं तथा इस भिन्नता का कारण क्या है ?

डाक्टर सीताराम—जो श्रम तथा समय प्रश्नों के उत्तर देने में लगेगा, वह अपेक्षित परिणाम के अनुकूल न होगा।

अतारांकित प्रश्न

वी० टी० सी०, एच० टी० सी० तथा जे० टी० सी० अध्यापकों का वेतन

१—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जूनियर हाई स्कूल में पुराने वी० टी० सी० जो हाई स्कूल पास कर चुके हैं कितना ग्रेड पाते हैं तथा नये जे० टी० सी० ट्रेण्ड अध्यापकों का वेतन-क्रम क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर—स्थानीय निकायों के अन्तर्गत कार्य करने वाले वी० टी० सी०, एच० टी० सी० ट्रेन्ड अध्यापकों को ५०–२–६० द० रो० ३–७५ रु० तथा राजकीय विद्यालयों में ऐसे अध्यापकों को ४५–२–६५–द० रो० ३–८० रु० वेतन-क्रम स्वीकृत है। ये वेतन-क्रम वी० टी० सी०/एच० टी० सी० के हैं। हाई स्कूल पास करने से अन्तर नहीं होता।

जे० टी० सी० ट्रेन्ड अध्यापकों का स्थानीय निकायों में वेतन-क्रम ७०–३–१०० द० रो० ४–१२० रु० है तथा राजकीय विद्यालयों में ६०–४–८० द० रो० ५–१२० रु० है।

२—श्री शारदानन्द—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त दोनों प्रकार के अध्यापक एक ही प्रकार का कार्य करते हैं या भिन्न-भिन्न ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं, जे० टी० सी० अध्यापकों को विषय विशेष की महत्ता के अनुसार कार्य दिया जाता है।

सहारनपुर में विद्यार्थियों के दाखिले में कठिनाई

३—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगर के मान्यता प्राप्त स्कूलों में इस वर्ष छठी कक्षा में दाखिला न मिलने के कारण नागरिकों में जो बहुत असंतोष है तथा इसकी सूचना प्रश्नकर्ता ने जुलाई महीने के आरम्भ में मंत्री जी को तार द्वारा भी दी, सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। जांच की गई। कक्षा ६ में प्रवेश के लिये इच्छुक सभी बालकों को प्रवेश मिल गया है। बालिकाओं के सम्बन्ध में निश्चित सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है।

४—श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि सहारनपुर नगर के गवर्नमेन्ट इंटर कालेज में उसी संख्या के तीसरी श्रेणी में (थर्ड डिवीजन) हाई स्कूल परीक्षा पास करने वाले छात्रों को ११वीं कक्षा में लेने से इंकार कर दिया गया, जबकि दूसरी जगह से पास दूसरी श्रेणी के छात्रों को स्थान दे दिया गया ? क्या सरकार इसकी जांच कर कोई ऐसी कार्यवाही करेगी जिससे उन छात्रों के हक की रक्षा हो सके ?

आचार्य जुगलकिशोर---११ वीं कक्षा में केवल एक वर्ग (सेक्शन) होने के कारण तृतीय श्रेणी में पास सब छात्रों को प्रवेश देना असम्भव था। इसलिये २५८/६०० तक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को ही लेना सम्भव हो सका। इसमें किसी के हक की क्षति का प्रश्न नहीं उठता।

५---श्री ब्रह्मदत्त मायर---क्या शिक्षा मन्त्री नगर सहारनपुर में छात्राओं के लिये राजकीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों में छठी कक्षा में दाखिले की पूरी सुविधा न होने के कारण जनता को जो कठिनाई हो रही है उसका उचित उपाय करेगी? यदि हां, तो क्या और कब तक?

आचार्य जुगलकिशोर---इस समय जनता में अतिरिक्त सुविधा की कोई विशेष मांग नहीं है।

६-८---श्री अवधनारायणप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---[२१ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

अतरौली तहसील में ओला पीड़ितों को सहायता

९---श्री बाबूसिंह (जिला अलीगढ़)---क्या राजस्व मंत्री प्रश्न संख्या १९०, दिनांक ३ अगस्त, १९६२ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलदार के अवैधानिक कार्यों के फलस्वरूप किन-किन गांवों में उचित सहायता नहीं पहुंच पाई?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---निम्नांकित ग्रामों के निवासियों की यह भावना कि इन ग्रामों में आवश्यकतानुसार तकावी नहीं दी गई थी, पता चला---

१-गिनौली, २-रसेनी, ३-भूरिया मजरा रामपुर, ४-नेल, ५-सिद्ध, ६-सिधौली खुर्द, ७-जिरौली, ८---आलमपुर फतेहपुर, ९-कासिमपुर मजरा कसेर, १०-मैन, ११-दादों।

१०---श्री बाबूसिंह---क्या राजस्व मंत्री पुनः क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को जो सहायता नहीं प्राप्त किये हैं, सहायता देंगे?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---उपरोक्त ११ गांवों में से ७ गांवों में क्षतिग्रस्तों को और तकावी बांट दी गई है तथा तहसील अतरौली में बांटने के लिये ४०,००० रु० की अतिरिक्त धनराशि दे दी गई है और बाकी ४ गांवों में इसी राशि से तकावी दी जायेगी।

अयोध्या में सरयू नदी पर लकड़मण्डी का पुल

११---श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अयोध्या (जिला फैजाबाद) में जो लकड़ मंडी (गोंडा) सरजू नदी पर पुल बनाया जा रहा है कितने रुपये का ठेका है और पुल का निर्माण किस सन् से शुरू किया गया और अब तक पुल के निर्माण पर कितना धन व्यय हो चुका है?

श्री गिरधारीलाल---पुल का ठेका ९९.६७ लाख रुपए का है और इस पर निर्माण कार्य जून, १९६१ से शुरू किया गया तथा जुलाई, १९६२ तक इस के निर्माण में २२,३२,१४५ रु० व्यय हो चुका है।

१२---श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त पुल पर रेलवे को चलाने का विचार है जिससे फैजाबाद व गोंडा जिले का यातायात सरल हो जाय?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं।

१३---श्री बालोजी अग्रवाल---[११वें गुरुवार के लिये प्रश्न ८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बलिया जिले में नागर क्षेत्र जमींदारियां

१४—श्री मैनेजर सिंह—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में स्थित नगरपालिका, टाउन एरिया तथा नोटिफाइड एरिया के जमींदारियों के टूटने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बलिया नगरपालिका के २८ गावों में सर्वे और रेकार्ड आपरेशन्स तथा शेष नागर क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों को परिच्छेद करने की कार्यवाही हो रही है।

१५—श्री मैनेजर सिंह—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमुआ, अखार, जनाड़ी, नगवा, सहरसपाली, उदयपुरा आदि गांवों की जमींदारियां अभी तक टूटी हैं या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं, क्योंकि वहां डिमारकेशन आपरेशन्स अभी पूरे नहीं हुए हैं ।

जौनपुर जिले में विद्यार्थियों का परीक्षा फल रोकना

१६—श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जौनपुर जिले के किन-स्कूल एवं कालेजों का परीक्षाफल हाई स्कूल ऐन्ड इंटरमीडियेट बोर्ड आफ एजूकेशन इलाहाबाद द्वारा रोक लिया गया था और क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—परिषद् की १९६२ की हाई स्कूल तथा इन्टर परीक्षा में जौनपुर जिले के जिन विद्यालयों के परीक्षार्थियों के परीक्षाफल रोके गये, उनके नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं ।

परीक्षाफल निम्नांकित कारणों से रोके गये—

(१) परीक्षा में छात्रों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग,

(२) परीक्षार्थियों की कक्षा में उपस्थिति के संबंध में सन्देह, तथा ऐसे ही अन्य कारणों के कारण ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १२७६ पर ।)

१७—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—[२१ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

गाजीपुर सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता

१८—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सरकारी विद्यालय की मान्यता देने हेतु सरकार के पास स्मृति-पत्र आये हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। सुझाव शासन के विचाराधीन है।

१९—श्री कृष्णानन्द राय—क्या गाजीपुर सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरकार ने जर्मन मिशनरियों से प्राप्त किया था और यह संस्था तब से सरकार की सम्पत्ति है ? यदि हां, तो यह सरकारी विद्यालय की भांति क्यों नहीं संचालित किया जाता ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां ।

इसकी व्यवस्था तो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा होती ही है । सरकारी विद्यालय बनाये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

पिथौरागढ़ जिले में बन्दोबस्त सम्बन्धी मुकदमें

२०—श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला पिथौरागढ़ में हाल के हुये बन्दोबस्त के संबंध में कब्जे के लिये चल रहे मुकदमों की कुल संख्या क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला पिथौरागढ़ में हाल के हुये बन्दोबस्त (Survey and Record Operations) के संबंध में कब्जे के लिये चल रहे मुकदमों की संख्या १७७ है।

टटीरी ग्राम की चकबन्दी

२१—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम टटीरी, तहसील बागपत, जिला मेरठ में चकबन्दी का कार्य समाप्त होने के पश्चात् दुबारा चक बनाने के आदेश दिये गये हैं और पूर्व के प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ग्राम टटीरी में चकबन्दी का कार्य समाप्त होने के पश्चात् चक प्रस्तावों को रद्द करके दुबारा चक बनाने के आदेश नहीं दिये गये।

२२—श्री विजयपालसिंह—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुबारा चक काटने के बाद कितने चक प्रस्तावित किये गये हैं और च० अ० पत्र २३ बटने के बाद कितनी उजरदारियां दाखिल हुई हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह प्रश्न नहीं उठता।

महना ग्राम की चकबन्दी

२३—श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि फतेहपुर जिला में तहसील फतेहपुर में स्थित ग्राम महना में गांव के किसान चकबन्दी को मानने को किसी भांति भी तैयार नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त गांव को चकबन्दी से अलग करने, चकबन्दी के अनुसार कब्जा दिलाने तथा कागजात को कब्जे के अनुसार दुरुस्त कराने के संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला फतेहपुर, तहसील फतेहपुर के ग्राम महना के किसानों ने ग्राम की सभी चकबन्दी क्रियाओं में नियमानुकूल भाग लिया था, किन्तु चकबन्दी समाप्त होने पर अपने नये चकों पर उन्होंने कब्जा अभी तक नहीं लिया है।

ग्राम चकबन्दी के योग्य था, इस कारण वहां चकबन्दी करा दी गई। अब उसे चकबन्दी से अलग करने का प्रश्न नहीं उठता।

चकबन्दी अधिनियम की धारा २६ के अन्तर्गत कब्जा बदलने की तिथि नियत की जा चुकी है और इस संबंध में शेष कार्यवाही धारा २८ के अंतर्गत की जा रही है। ग्राम के अंतिम भू-अभिलेख बनाये जा रहे हैं।

इटावा जिले में सड़क निर्माण योजना

२४—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में तीसरी पंचवर्षीय योजना में पक्की सड़कें कराने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी सड़कें हैं ?

श्री गिरधारीलाल—लखना—चकरनगर तथा बाह-फदी सड़कों को पूरी करने का कार्य तीसरी योजना में सम्मिलित है।

२५—श्री सुखलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जिला इटावा के अन्तर्गत कितने मील सड़कें बनवाई गईं और कितनी मील अधूरी पड़ी हैं ?

श्री गिरधारीलाल—२ मील ४ फर्लांग लम्बी बाह-ऊदी सड़क का निर्माण-कार्य समाप्त हो चुका है। लखना-चकरनगर का ६ १/२ मील का भाग और चकर नगर-सन्दौस सड़क का ८ मील का भाग अभी अधूरा है।

हरदोई जिले में कन्या जूनियर हाई स्कूल

२६—श्री पंचमदास (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में राजकीय कन्या विद्यालय हायर सेकन्डरी स्कूल अथवा जूनियर हाई स्कूल कितने और किस-किस स्थान पर हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—राजकीय कन्या विद्यालय हायर सेकेन्डरी स्कूल कोई नहीं है। केवल एक राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, संडीला तहसील में है।

सहसवां के तहसीलदार का स्थानान्तरण रुकना

श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं की किन-किन तहसीलों में तहसीलदार की अवधि ३ साल से अधिक है, इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—केवल तहसील सहसवां में यहां के तहसीलदार के स्थानान्तरण के आदेश हो गये थे परन्तु वह कार्यान्वित नहीं हो सके, क्योंकि उनके स्थान पर जो तहसीलदार आने वाले थे उनकी स्त्री गर्भावस्था में थी।

हरद्वार कुम्भ मेला नियम, १९६२†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से नगरमहापालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३२२८-ए/११-ख—५२-एम-६१, दिनांक २९ दिसम्बर, १९६१ के अधीन प्रख्यापित हरद्वार कुम्भ मेला के नियम, १९६२ को यू० पी० मेलाज ऐक्ट, १९३८ की धारा ९ की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, जरा पूछा जाय कि ये नियम किस वक्त बनाये गये, किस वक्त इस सदन के सामने इसे आना चाहिये था और इसमें इतना विलम्ब क्यों हुआ ? श्रीमन्, इस बात को कहते हुये मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि इन नियमों पर काम हो चुका। अगर कोई गलती हुई या जितनी भी बातें हुईं, उस पर तो सदन को कुछ भी करने का अधिकार नहीं है, वह गलती तो गुजर चुकी। इस सदन में मालूम नहीं कितनी बार इस बात को कहा गया है और सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया गया था कि ठीक समय जिस वक्त कि सदन बैठेगा या सदन चल रहा होगा, उसी वक्त नियम को सदन के सामने रख देंगे। तो श्रीमन्, इसको जरा पूछा जाय।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, नियम बदलने की जरूरत तो कभी-कभी जिस समय पड़ती है, उसी समय यह खयाल आता है कि इसमें यह कमी रह गयी है और उस कमी को पूरा करके काम चलाया जाता है। तो यह बात सही है कि मेले के समय ये नियम बदले गये। इसके अलावा इसमें रूल यह है कि दोनों सदनों की मेज पर एक ही रोज रूल्स रखने

† छापा नहीं गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

चाहिये। बार बार रिमाइंडर देने के बाद यह छप कर १२-६-६२ को आया और उसके बाद दोनों सदनों की बैठक २०-८-६२ से शुरू हुई। फिर दोनों सदनों के सेक्रेटरीज से प्रार्थना की गयी कि वे कोई दिन निश्चित करें जिस दिन एक ही रोज दोनों सदनों की मेज पर इसे रख दिया जाय। कल उसकी सूचना हमारे विभाग को मिली और आज हम इसको मेज पर रख रहे हैं। यही दिक्कत की बात है।

श्री गेंदासिंह---तो क्या श्रीमन्, अधिनियम में इस प्रकार से परिवर्तन हो जायेगा कि अगर सरकार के छापाखाने में देर हो जाय या वह गलती करे या सरकार का दूसरा विभाग गलती करे तो उसके लिये क्या लेजिस्लेचर और सारी जनता भुक्तभोगी हो? यह एक उसूली प्रश्न है कि जब हम डेलिगेट करते हैं लेजिस्लेशन को, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन देते हैं कि जिस समय कोई लेजिस्लेशन का नियम बने उसे सदन के सामने रखा जाय। इसको मैं कोई मामूली सवाल नहीं समझता हूं कि जिसका बहुत आसानी से कोई जवाब देकर उसे छोड़ दिया जाय। मैं अकेले कोई स्वायत्त शासन मंत्री के खिलाफ यह बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो पूरी सरकार के खिलाफ यह बात कहता हूं कि जब हम डेलिगेशन करते हैं.....।

श्री अध्यक्ष---आप ठीक कहते हैं। यह तो मैं कई बार इस सदन के समक्ष कह चुका हूं कि सरकार को चाहिये कि जो नियम बनाये जायं वे शीघ्रातिशीघ्र सदन में रखे जायं। उचित तो यह होगा कि सरकार स्वयंमेव उन नियमों में इस प्रकार की टिप्पणी लगा दे कि क्यों सदन के सामने रखने में विलम्ब हुआ। ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो अनिवार्यतः यह नियम बरता जाता है। वहां नियमों के रखने में अगर जरा भी विलम्ब हो जाय तो उसका एक्सप्लेनेशन सरकार देती है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान रखेगी, लेकिन जो ऐक्ट बना है यू० पी० मेलाज ऐक्ट, १९३८, इसमें मैं यह देखता हूं कि खंड ९ में जहां सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, वहां खंड २ में यह भी प्राविधान है कि---

"The rules made by the State Government under the preceding sub-section shall be laid before the legislature."

तो इसमें यहां हमको कोई अधिकार हो ऐसा नहीं दिया गया है कि उसमें कोई परिवर्तन या संशोधन करें, वह तो केवल आपके सूचनार्थ यहां मेज पर रखे जाते हैं।

श्री गेंदासिंह---मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो बाई प्रेक्टिस भी मानी जाती हैं, आपने जो व्यवस्था दी है कि हमें कोई परिवर्तन या संशोधन करने का....

श्री अध्यक्ष---वह तो मैंने सिर्फ बाई-दि-वे बता दिया कि हमारे ऐक्ट में स्थिति इस प्रकार है।

श्री गेंदासिंह---मेरा कहना है कि ऐसी परम्परा यहां रही है और इसके माने यह होते हैं कि हमारे सामने जो नियम आते हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---यह बात परम्परा से नहीं है और न ऐक्ट में प्राविजन है, जिस ऐक्ट की रू से अथारिटी नहीं है, वहां नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष---मैंने तो बाई-दि-वे कह दिया कि कानून की दृष्टि से यह अधिकार नहीं मिला हुआ है कि नियमों में परिवर्तन हो सके। मुमकिन है मेरी बात गलत हो, अब इस पर और बहस नहीं होगी।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---यह विषय बड़ा अहम है, इस पर एडवोकेट जनरल की राय ले ली जाय। मेरा खयाल यह है कि सदन की मेज पर रखने का अर्थ यह है कि सदन उस पर विचार करे और यह अर्थ नहीं है कि सदन में वह केवल सूचनार्थ रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—मैंने जो कहा कि मुमकिन है मैं गलत होऊं, लेकिन मेरा विचार इस सम्बन्ध में इस प्रकार है। अगर कोई विचार, रूलिंग या प्रीसिडेंट हो तो वह बता दें।

श्री अम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, आप के तो कहने से ही सदन में रूलिंग हो जाती है।

श्री अध्यक्ष—नहीं-नहीं, ऐसी बात नहीं है, रूलिंग की बात और होती है। यहां तो प्रश्न यह था कि नियम विलम्ब से रखे गये। मैंने सरकार को चेतावनी दे दी और माननीय गेंदासिंह जी को बता दिया कि यह कमी अभी ऐक्ट में है।

उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ के सम्बन्ध में याचिका

श्री अध्यक्ष—अब श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६२ के सम्बन्ध में अपनी याचिका उपस्थित करेंगे।

***श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह** (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे यह गौरव प्रदान किया कि मैं इस सदन में अपनी प्रथम याचिका आपकी अध्यक्षता में प्रस्तुत करूं। मैं यह याचिका, जो सर्वश्री महेश्वरप्रसाद, सन्तबहादुर सिंह, बलदेवसिंह तथा दिवाकर विक्रम सिंह द्वारा हस्ताक्षरित है। सदन के समक्ष उपस्थित करता हूं। यह इस प्रकार है:—

"हम, उत्तर प्रदेश के किसान आपका ध्यान अपनी निम्नलिखित दुर्दशा की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं:

(१) कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने पर भी ग्रामीण निवासियों की, जिनमें अधिकतर किसानों की ही संख्या है, औसत आमदनी में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

(२) कि पिछले तीन वर्षों से कृषि वस्तुओं का मूल्य, उन वस्तुओं के मूल्य की तुलना में गिरता जा रहा है, जिन्हें किसानों को खरीदना पड़ता है।

(३) कि सिंचाई कर में पहले जो २५ प्रतिशत का रिबेट मिलता था वह वापस ले लिया गया है और अब बिजली की दर बढ़ा दी गई है जिसके फलस्वरूप नलकूप का पानी किसानों को महंगा मिलेगा।

(४) कि भारत सरकार ने आदेश दिया है कि अगले गन्ना सीजन से गन्ने का मूल्य चीनी के परते के अनुसार दिया जायगा, जिसके फलस्वरूप किसानों को करोड़ों रुपये की हानि होगी।

(५) स्कूल फीस, रेल भाड़ा, बिक्री-कर, स्टाम्प ड्यूटी इत्यादि में बढ़ोत्तरी के कारण हमारा जीवनयापन पहले से ही दूभर हो चुका है।

(६) कि भूमिधरी का आन्दोलन जब सरकार द्वारा चलाया जा रहा था उस समय किसानों को यह स्पष्ट आश्वासन दिया गया था कि अगले ४० वर्षों तक मालगुजारी में कोई वृद्धि नहीं होगी। उपरोक्त बातों का तथा हमारी दयनीय दशा को ध्यान में रखते हुये यह आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६२, जो सदन में पुरःस्थापित किया गया है, वापस लिया जाय और इस बिल द्वारा किसानों की जोत पर किसी प्रकार का कर न लगाया जाय।"

मैं आशा करता हूं कि इसे आप याचिका समिति को भेजने की कृपा करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—जिस रूप में यह याचिका प्रस्तुत की गई है, प्राग्दर्शन में नियमानुकूल मालूम होती है। अतः नियम २४४ के अन्तर्गत, मैं इस याचिका को समिति को निर्दिष्ट करता हूं। वह इस पर विचार करके अपना प्रतिवेदन दे।

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ के सम्बन्ध में याचिका

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस याचिका को सदन के सामने उपस्थित करने का मौका दिया। यह याचिका सर्वश्री रामप्रकाश तथा गंगाभक्तसिंह की ओर से है।

"याचकगण सविनय निम्नलिखित निवेदन करते हैं—

(१) यह कि विधान सभा, उत्तर प्रदेश में आजकल उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ विचाराधीन है। इसके द्वारा नागर क्षेत्र में भूमि तथा भवन पर कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

(२) यह कि नगरपालिकाओं में पहले से ही भवन कर लिया जा रहा है अब और बढ़ाना न्यायोचित नहीं होगा।

(३) यह कि इस विधेयक के द्वारा स्थानीय संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण किया जा रहा है।

(४) यह कि यह कर लागू हो जाने के बाद मकान बनवाने का उत्साह समाप्त हो जायगा और मकानों की कमी की समस्या और बढ़ जायगी।

(५) यह कि आज नगरों में मकानों का किराया पहले ही बहुत ज्यादा है उस पर १० प्रतिशत की यह वृद्धि मजदूर और मध्यमवर्गीय वेतन भोगी जनों के ऊपर अत्यधिक भार सिद्ध होगी।

(६) यह कि इस विधेयक द्वारा झोपड़ी, छादक आदि साधारण स्थानों पर भी कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

(७) यह कि यह विधेयक प्रतिगामी तथा अनावश्यक है। इससे शहरी जीवन अस्त-व्यस्त हो जायगा।

अस्तु, याचकों की प्रार्थना है कि कृपया प्रस्तुत विधेयक को पारित न किया जाय और सरकार को उसे वापस लेने का आदेश दिया जाय और अन्य आदेश की आवश्यकता हो वह भी दिया जाय।"

श्रीमन् से निवेदन है कि इस याचिका को याचिका समिति को भेजने का कष्ट करें जिससे इस पर पूर्ण विचार हो सके।

श्री अध्यक्ष—इस याचिका को भी याचिका समिति को निर्दिष्ट किया जाता है, वह इस पर अपना प्रतिवेदन देगी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, दोनों याचिकायें काफी महत्व की हैं तो क्या कोई समय निर्धारण भी आप करेंगे कि कितने समय में याचिका समिति अपना विचार प्रकट कर दे, क्योंकि विषय महत्वपूर्ण है और एक का विधेयक भी आ चुका है, बहस हो रही है। तो दोनों का समन्वय ऐसा करें कि वह जल्दी विचार करके अपना प्रतिवेदन हमारे सामने पेश कर दें।

श्री अध्यक्ष—नियमों में तो इस सम्बन्ध में कोई प्रावीजन नहीं है। लेकिन हमें इतना विश्वास करना चाहिये कि जो सदस्य हैं और जो उसके सभापति हैं वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह दोनों याचिकायें उन विषयों के सम्बन्ध में हैं जो इस समय सदन के सामने हैं, तो वह उन पर विचार कर के अपना प्रतिवेदन देंगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, यह दोनों याचिका समिति के सामने जा रही हैं। एक तो विचारार्थ आया नहीं, लेकिन एक प्रस्तुत है। तो जब तक याचिका समिति विचार न कर ले तब तक सदन में उन विधेयकों पर विचार स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—नहीं, यह तो विधान नहीं है। इसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। यह जो दोनों विधेयक याचिका समिति के पास भेजे हैं विचार करने के लिये और इन पर यहां विचार हो रहा है। मैं थोड़ी देर के लिये मान लूं कि यह विधेयक यहां पर पास कर दिया जाय और याचिका समिति बाद में लिखती है कि यह विधेयक पास नहीं होना चाहिये तो उस वक्त इस विधेयक की परिस्थिति क्या होगी ?

श्री अध्यक्ष—मैं आप से निवेदन कर दूं कि अगर आप नियम देखेंगे तो उसमें स्पष्ट है कि जो विधेयक सदन में प्रस्तुत हो चुका हो उसके सम्बन्ध में भी याचिका प्रस्तुत हो सकती है। जहां तक माननीय राघवेन्द्र प्रताप सिंह की याचिका का सम्बन्ध है उन्होंने यह कहा है कि यह पास न हो और अगर पास हो जाय तो फिर इसके द्वारा टैक्स न लगाया जाय। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब वह याचिका हमारे सामने आयेगी और उसकी यह सिफारिश होगी कि इसके अन्तर्गत टैक्स न लगाया जाय तो सदन उस पर विचार करके अपना निर्णय देगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—दूसरे के लिये क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—यह भी स्पष्ट है। इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसमें यह है "उसे वापस लेने का आदेश दिया जाय और अन्य किसी आदेश की आवश्यकता हो तो वह दे दिया जाय।" तो उसके शब्द व्यापक हैं। उसके लिये कोई आदेश दे सकता हूं तो इतना ही कि समिति को निर्दिष्ट किया जाता है।

कुंवर श्रीपालसिंह—इतना आदेश और दे दें। समिति कहती है कि कर नहीं लगना चाहिये लेकिन उस वक्त पास हुआ रहे तब ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)—जो सिफारिश आयेगी वह सदन के सामने आयेगी। उसे सदन तै करेगा। अध्यक्ष के ऊपर भार आप क्यों डालते हैं ?

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मैं व्यावहारिक दृष्टिकोण को रखना चाहता हूं। याचिका समिति को आपने नामिनेट किया है लेकिन याचिका समिति और माननीय अध्यक्ष ये दोनों इस सदन के बहुमत के विश्वासपात्र हैं। बहुमत जब उस विधेयक के पक्ष में होगा तो विधेयक पास हो जायगा। और विधेयक के पास हो जाने के बाद श्रीमन्, क्या इस बात पर विचार करते हैं कि उस याचिका समिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ? मैं समझता हूं कि व्यावहारिक दृष्टिकोण यह है कि याचिका समिति को निष्पक्ष निर्भीक विचार करने देना है। तो आज यह आवश्यक है कि इस विधेयक पर विचार करना रोक दिया जाय। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि मैं याचिका समिति के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना चाहता, उसकी स्वतंत्रता, उसके विचार सब कुछ ठीक हैं यह निश्चित है कि बहुमत के द्वारा यह विधेयक यहां पर स्वीकृत होगा तो याचिका समिति से हमको न्याय कराने की आशा कम दिखाई देती है। इन बातों को कहते हुए मैं समझता हूं कि आपको इसकी व्यवस्था करनी चाहिये जिसमें याचिका समिति संकट में न पड़े।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारे भाई गेंदा सिंह ने कोई खास रूल नहीं बतलाया कि इस नियम के अन्तर्गत यह स्टे कर दिया जाय। हमारे सदन की कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत होती है। आप नियमों के बाहर जाते हैं, हम जायं तो आप शिकायत करेंगे। कोई नियम नहीं कि कार्यवाही स्टे कर दी जाय।

श्री गेंदासिंह—कामनसेंस से भी तो हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि कानून और नियम जो हैं वे सदैव कामनसेंस के द्योतक नहीं हैं। वे व्यवहार के द्योतक होते हैं कि किस प्रकार से किसी संस्था, किसी सदन या किसी समूह का कार्य चले और जहां सदन में किसी कार्य-स्थगन का प्रस्ताव आता है वहां हमारा नियम यह कहता है कि कोई भी कार्य सदन की इच्छा से और सदन के मत से स्थगित हो सकता है। तो अगर सदन इस मत का हो कि कोई कार्य जो चल रहा हो, वह स्थगित कर दिया जाय तो हो सकता है, लेकिन मैं इतना अधिकार नहीं रखता कि सदन में जो काम हो रहा हो, उसको रोक दूं और कहूं कि यह रुका रहे जब तक कि अमुक बात न हो जाय।

श्री गेंदासिंह—मैं आपकी इजाजत से यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि जब तक याचिका समिति तय न कर ले इन याचिकाओं के सम्बन्ध में तब तक जो वर्तमान विधेयक पेश हैं, जिनके सम्बन्ध में याचिकायें दी गयी हैं, वे स्थगित किये जायं।

श्री अध्यक्ष—आपको याद होगा कि जब यह प्रश्न हमारे सामने आया था कि सात दिन के लिये यह सदन स्थगित किया जाय उस समय भी मैंने निवेदन किया था और आज फिर निवेदन करता हूं कि आज की कार्यवाही को स्थगित करने के लिये किसी भी सदस्य को अधिकार है कि बिना नोटिस के वह सदन में उस प्रस्ताव को रखे, लेकिन यह कार्यवाही कुछ काल के लिये रोक दी जाय, यह प्रस्ताव सूचना के बगैर नहीं आ सकता। मैं सम्बन्धित नियम पढ़े देता हूं:

"११३—बिना सूचना के प्रस्ताव—निम्नलिखित प्रस्ताव, यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें, बिना सूचना के किये जा सकेंगे—

(१) समवेदना या बधाई का प्रस्ताव,

(२) उपवेशन स्थगित करने का प्रस्ताव,

(३) अजनबियों को हटाने का प्रस्ताव,

(४) समितियों के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव,

(५) किसी विधेयक या संकल्प या प्रस्ताव या उस पर संशोधन को वापस लेने का प्रस्ताव,

(६) किसी कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव,

(७) वाद-विवाद को समाप्त करने का प्रस्ताव,

(८) किसी नियम के निलम्बन का प्रस्ताव,

(९) किसी बैठक की कालावधि बढ़ाने का प्रस्ताव,

(१०) राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव।"

अब जरा नियम ११५ देखिये—

"११५—कार्य स्थगित करने के लिए प्रस्ताव—(१) अनुच्छेद २०४ के अन्तर्गत विनियोग विधेयक के अतिरिक्त किसी अन्य विधेयक पर, जो पुरःस्थापित किया जा चुका हो, अथवा कार्य-स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त किसी अन्य प्रस्ताव पर अथवा संकल्प पर विचार को उसी सत्र में ऐसे कार्य के लिये उपलब्ध किसी भावी दिन अथवा भावी सत्र में अनिश्चित

काल के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव, किसी भी सदस्य द्वारा किसी समय प्रस्तुत किया जा सकेगा और ऐसे प्रस्ताव को तत्समय सभा के सम्मुख अन्य प्रस्तावों पर पूर्ववर्तिता होगी। अध्यक्ष प्रस्तावक को तथा यदि प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य देने का अवसर देने के बाद और आगे वाद-विवाद के बिना उस पर प्रश्न उपस्थित कर सकेंगे।"

तो आपका ११५ में आता है। आप इसको लिख कर दे दें तो मैं रख दूंगा।

श्री झारखंडे राय—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अभी पेश हुआ है मैं उसमें एक तरमीम पेश करना चाहता हूं कि जब तक याचिका समिति अपना फैसला न दे दे के बजाय कम से कम आज की कार्यवाही बन्द कर दी जाय।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव तो नियम ११५ के अनुसार है। मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि आज उस विधेयक पर विचार करना स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप लिख कर दे दीजिये तो मैं सदन की राय ले लूं, क्योंकि यह ऐसी चीज है कि जिसमें हो सकता है कि सदन का एक अंश न सहमत हो।

जिलाधीश द्वारा श्री झिलमिटराम, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना न दिये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था, उस पर आपने कोई बात नहीं की।

श्री अध्यक्ष—एक सूचना मेरे पास आई थी कि माननीय श्री झिलमिट राम, सदस्य, विधान सभा, गाजीपुर की सजा १ सितम्बर, १९६२ को गाजीपुर के जुडीशियल मैजिस्ट्रेट श्री सिनहा द्वारा हुई थी और वह जमानत पर बाद में छोड़ दिये गये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि उनकी गिरफ्तारी कब हुई और जिलाधीश ने कब नोटिस दिया ?

श्री अध्यक्ष—आपने जो हमारे पास सूचना भेजी थी उसके संबंध में हमारे पास यह लिख कर आया था कि—

"I have the honour to inform you that Sri Jhilmit, member of the Legislative Assembly, was tried at the Judicial Magistrate's Court, Ghazipur, before me, on charges of sections 147 and 332/149 of the Indian Penal Code.

On 1—9—62, after a trial lasting for 104 days, I found him guilty of the offences under sections 147 and 332/149 I. P.C. and sentenced him to undergo nine months' R. I. under section 147 I. P. C. and to one year's R. I. under sections 332/149 I. P. C, both the sentences being ordered to run concurrently.

He has been released on bail for seven days pending filing of his appeal before the Distt. Sessions Judge, Ghazipur."

यह मेरे पास सूचना आई थी परन्तु वह रिलीज भी हो गये, इसलिये उनकी गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी गई।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपको उनकी गिरफ्तारी की सूचना मिली या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—वही मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने पहली सितम्बर, १९६२ को यह पत्र मेरे पास भेजा है, श्री बी० एन० सिनहा, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, गाजीपुर ने, जो ५ तारीख को मेरे सामने रखा गया था ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—श्रीमन्, यह पत्र आपके पास आया, वह सदन में नहीं रखा गया, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—देखिये, आप नियम ८४ और ८६ दोनों को पढ़िये । नियम ८६ में यह है कि अगर रिलीज हो गये हैं तो सूचना की आवश्यकता नहीं है । वह इस प्रकार है कि—

"As soon as may be, the Speaker shall, after he has received a communication referred to in rule 84 or 85, read it out in the House if in session, or if the House is not in session, direct that the members be informed of the same :

Provided that if the intimation of the release of a member either on bail or by discharge on appeal is received before the House has been informed of the original arrest, the fact of his arre t, or his subsequent release or discharge may not be intimated to the House by the Speaker."

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ के सम्बन्ध में याचिका (क्रमागत)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, ११३ (२) के अनुसार बिना सूचना के प्रस्ताव आ सकता है तो फिर नियम ११५ की क्या आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष—इसका मतलब यह है कि आज की बैठक स्थगित की जाय ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, यही तो कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—यह नहीं कह रहेहैं ।

काशी विद्यापीठ के छात्रावास में छुआछूत के प्रश्न के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना माननीय चन्द्रबली सिंह जी की आई है उसको मैंने स्वीकार किया है । शेष को स्वीकार नहीं किया, वह इस प्रकार है कि—

"श्री काशी विद्यापीठ, वाराणसी के छात्रावास के मेसों में छुआछूत का भूत फैलाया गया है । यह घटना २४–८–६२ से घटने लगी है । इस भूत के कारण हरिजनों के लिये एक अलग मेस कायम किया गया है । हरिजन छात्र अलग मेस की व्यवस्था से अपना अपमान समझ रहे हैं । हरिजन छात्र हरिजन मेस में खाना बन्द कर दिये हैं ।

काशी विद्यापीठ जैसी शिक्षा संस्था में इस प्रकार छुआछूत की भावना के पैठ जाने से उत्तर प्रदेश भर के हरिजन शिक्षितों, छात्रों और उनके अभिभावकों एवं उदारजनों में एक व्यापक आशंका उत्पन्न हो गयी कि आखिर हरिजनों के साथ कोई षडयंत्र तो नहीं होने वाला है तथा इसके कारण प्रतिरोध के लिए भारी असंतोष एवं गुस्सा व्याप्त हो गया है ।" यह सब बातें इसमें कही गयी हैं ।

इसको हमने स्वीकार कर लिया है । सम्बन्धित मंत्री जी को भेज दिया है । माननीय हरिजन कल्याण मंत्री बता दें कि कब वक्तव्य देंगे ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—एक सप्ताह का समय दे दिया जाय ।

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ के सम्बन्ध में याचिका (क्रमागत)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मुझसे गलती हो गयी थी। यह ११३ (६) में लिया जा सकता है। "किसी कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव" नियम ११३ (६) के अन्तर्गत बिना सूचना के लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। उसमें आ सकता है। वह बिजिनेस आ जाय तो आप पोस्पोनमेंट करवा लीजियेगा।

सदन का भावी कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—सदन में जो कार्यवाही होगी वह इस प्रकार से है कि बाढ़ के ऊपर विवाद १३ और १४ सितम्बर को किया जायगा। १४ सितम्बर असरकारी कार्य के लिये नियत है, तो १४ तारीख का असरकारी कार्य २२ सितम्बर, १९६२ को होगा।

इसको आपके सामने इसलिये प्रस्तुत कर रहा हूं कि २२ सितम्बर, १९६२ को शनिवार है। शनिवार को सदन की बैठक उस सूरत में हो सकती है जब सदन इस राय का हो। तो अगर सब अपनी सहमति दे दें तो २२ सितम्बर को सदन बैठे और उस दिन १४ सितम्बर का जो कार्यक्रम है वह हो।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—यह जो आपने कार्यक्रम रखा है इसके लिये हमने कल अपनी स्वीकृति दी है। मैं समझता हूं कि सदन के सभी सदस्य इससे सहमत होंगे कि १३ और १४ को बाढ़ पर विवाद हो, और १४ का कार्यक्रम २२ की शनिवार को, कर लिया जाय। मैं समझता हूं, सभी सहमत हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी भी सहमत होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसको आप स्वीकार करें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—आप लोगों ने पास कर दिया है, वैसे मेरी निजी दिक्कत है और २२ तारीख को एक महीने से दावत जो भोपाल के मुख्य मंत्री दे चुके हैं, २२ तारीख को वहाँ पहुंचना था और फिर अगर अबकी टालूंगा तो वह शायद यही समझेंगे कि मैं किसी न किसी बहाने वहाँ नहीं पहुंचना चाहता। लेकिन यदि आप सब ने स्वीकृति दे दी है तो फिर मैं यही निवेदन कर दूंगा कि सदन ने और सब नेताओं ने यह बात तय की है इसलिये मैं वहाँ उपस्थित नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—अच्छा, इसके लिये धन्यवाद।

श्री यादवेन्द्रदत्त—माननीय मुख्य मंत्री जी उस दावत से वंचित हो रहे हैं तो क्या हम लोग यह आशा करें कि वह हम लोगों को अपने यहाँ निमंत्रित उस दिन करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह जो दावत थी वह तो उसी प्रश्न से सम्बन्ध रखती थी जिसकी चर्चा आज सुबह बहुत की गई, और वह कई दफा दावत आ चुकी है और कोई न कोई दिक्कत आ गई है जिस वजह से मैं वहाँ पहुंच नहीं पाया हूं। यह अब दूसरी दिक्कत फ्लड की आ गई है। तो मैं लिख दूंगा कि सदन यही चाहता है तो मुझे यहाँ उपस्थित रहना पड़ेगा और थोड़ी उस कार्य में भी मदद मिल जायगी जिस कार्य की चर्चा सुबह हुई थी।

श्री अध्यक्ष—अब खलीलाबाद तहसील में ३० अगस्त, सन् ६२ को जो गोली चलने की घटना हुई थी उसके ऊपर जो सूचना आयी है उस पर १० सितम्बर, सन् ६२ को सायंकाल ५ बजे से ७ बजे तक विचार होगा।

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ के सम्बन्ध में याचिका (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री गेंदा सिंह का लिखित प्रस्ताव आ गया है, उसे मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh (Urban Areas) Lands and Buildings Tax Bill, 1962] पर विचार स्थगित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की माँग होने पर घंटी बजायी गई।)

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, इसका जो विभाजन हो वह डिवीजन इन लाबीज करायें, यह हम लोगों की ऐसी प्रार्थना आप से है।

श्री अध्यक्ष—यह मैं देख लूंगा। यह तो मैं तय करूंगा।

(घंटी बन्द होने पर)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, हमारी यह माँग थी कि यह गणना लाबी में कराई जाय। यह माँग करने का हमारा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—स्थगन के प्रस्ताव पर लाबी में मतगणना नहीं होती।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:—

पक्ष में—८५,

विपक्ष में—१३१।)

†उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर विधेयक, १९६२ (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—अब राम प्यारे जी, जो इस विधेयक पर कल बोल रहे थे, भाषण करेंगे।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल इस प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट कर रहा था कि यह बिल जो हमारे सामने है....

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आप नियम २८९ (२) का (ख) देखने की कृपा करें। उसमें यह कहा गया है कि "किसी ऐसे वास्तविक तथ्य पर, जो न्यायालय के विचाराधीन हो, कोई विचार प्रकट न करेगा और न कोई आलोचना करेगा"। तो चूंकि अब इस विधेयक को याचिका समिति में भेज दिया गया है और वह याचिका समिति एक न्यायालय समझी जाती है, वह नियम के अन्दर आ गई है लिहाजा इस पर विचार प्रकट नहीं किया जा सकता। इस पर आप अपना निर्णय देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—आज तक न्यायालय की व्याख्या इस प्रकार से नहीं हुई है। अतः मैं इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री रामप्यारे—जैसा कि उधर के पक्ष वालों का बहुत दिनों से यह विचार रहा है कि टैक्स गाँव वालों पर अधिक लगा हुआ है और शहरों के लोग, जो अधिक आमदनी वाले हैं, वे छूटते और बचते चले जाते हैं, से संबंधित है। मेरा

---

†२१ अगस्त, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

*६ अगस्त, १९६२ की कार्यवाही से।

विचार है कि यह टैक्स आवश्यक है। मैं गाँव का रहने वाला हूं और विद्याध्ययन के लिये शहर में काफी दिन रहा हूं। मैंने देखा है कि शहरों में गरीबों या हरिजनों की जमीनें नहीं हैं। यहाँ राजे महाराजों की, बड़े आदमियों की जमीनें हैं और अगर उन पर अधिक कर लगता है तो उस से उन पर कोई अधिक भार नहीं पड़ने वाला है। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि माननीय गेंदा सिंह जी के सहयोगी भी उन लोगों का पक्ष ले रहे हैं। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि जमीन पर टैक्स लेने की सरकार की जो योजना है यह बहुत ठीक है। ऐसा होने से जमीनों के मालिक उन जमीनों पर मकान बनाने की बात सोचेंगे और इस तरह से शहरों में मकान अधिक होने से रेंट भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा और वहाँ के मकानों की समस्या भी हल हो सकेगी। हमारी सरकार की यह धारणा है कि इस से एक तो बड़े लोगों पर टैक्स लगेगा, दूसरे बड़े शहरों में मकानों की समस्या हल होगी और तीसरे रेंट भी मकान ज्यादा होने के कारण अधिक नहीं बढ़ पायेगा। हाँ, बिल्डिंग्स (भवन) पर जो टैक्स लगने की बात है उसमें जरूर कुछ सुधार होना चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि शहरों में कम वेतन पाने वालों को भी अधिक टैक्स देना पड़े। इसके लिये मैं अवश्य माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस धारा में परिवर्तन करें जो कम वेतन भोगी या कम आय वालों पर कर-भार लादने से सम्बन्धित है।

इसके अतिरिक्त कल की बातों के सिलसिले में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। लोग इस फील्ड से उड़ कर अन्यत्र चले जाते हैं इसलिये मुझे भी उसके बारे में कुछ कहना है। कहा गया कि ऐडमिनिस्ट्रेशन का बोझ बढ़ रहा है। मेरा निवेदन है कि यदि राज्य का काम बढ़ता है तो सरकारी कर्मचारी भी बढ़ेंगे। हमारा योजनाबद्ध विकास चल रहा है, उसमें अनेक विभाग खुल रहे हैं और उनके लिये अफसर भी बढ़ रहे हैं। शासन गाँवों पर लादा नहीं जा रहा है। गाँवों में पंचायतों की स्थापना की जा रही है और उन के हाथ में शक्ति दी जा रही है। आज बी० डी० ओ० गाँव के लोगों का, ब्लाक के सदस्यों का सहयोगी है, वह उन पर शासन नहीं करता। इसी प्रकार हमारी पंचायत की व्यवस्था है। इससे शासन का भार हल्का हो जाता है।

इसके अतिरिक्त करप्शन (भ्रष्टाचार) की बात कही गयी। किसी भी डेमोक्रेटिक सरकार (प्रजातांत्रिक सरकार) में यह नहीं कहा जा सकता कि करप्शन का सारा भार सरकार पर है। यह नैतिक स्तर की बात है। हम बहुत दिन गुलाम रहे हैं और हमारा नैतिक स्तर गिर गया है। उसे उठाने के लिये सभी का सहयोग आवश्यक है। यह शोभा की बात नहीं है कि हम केवल सरकारी कर्मचारियों में करप्शन की बात कहें। वे लोग भी हमारे, आपके और समाज के अंग हैं। जब तक हम समाज की नींव में परिवर्तन नहीं करेंगे, उसे शिक्षा नहीं देंगे, यह सब चलता रहेगा। आज विद्यालयों में नैतिक शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है, अनेक प्रकार की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिये जो करप्शन की बात करता है उसकी जिम्मेदारी भी अधिक है। उन लोगों ने बच्चों में नैतिकता की भावना भरने का कितना प्रयत्न किया है, यह मैं जानना चाहता हूं। मैं यह कह देना चाहता हूं कि बच्चों में आज संकुचित भावना बढ़ती जा रही है। कोई धर्म की बात करता है और कोई साम्प्रदायिकता की बात करता है। ऐसे भी एलीमेंट्स, असामाजिक तत्व आ रहे हैं और बढ़े आ रहे हैं। हम सरकार पर केवल आरोप नहीं लगा सकते कि सरकार इस प्रकार से करप्शन की जिम्मेदार है। डेमोक्रेसी में जब तक समाज का नैतिक स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक इस प्रकार की भावनायें बढ़ती जायेंगी। मैं विरोधी पक्ष वालों से कहूंगा कि वे बड़ी ऊंची-ऊंची बातें ही न किया करें बल्कि कुछ कर के भी उनको दिखाना चाहिये।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि हम सभी यह देख रहे हैं कि योजनायें चल रही हैं और विकास हो रहा है परन्तु बहुत से लोगों ने इतना तक कह डाला है कि यह सरकार गरदन की हड्डी तक इन योजनाओं के नाम पर चूस डालना चाहती है। परन्तु यह उनका नितान्त भ्रम है। ऐसा उनको सोचना नहीं चाहिये। मैं यह भी कहूंगा कि किसी राज्य की उन्नति वहाँ की पर कैपिटा इनकम से ही नहीं देखी जाती है बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन (बटवारा) से भी देखी जाती है।

[श्री रामप्यारे]

आज हम देखते हैं कि प्रदेश में पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी है, स्थिर इकोनामी है लेकिन जनता का रहन–सहन का स्तर ऊंचा उठा है, उसमें अन्तर आया है। हम योजनाओं को चलाने के लिये और आर्थिक विकास के लिये ही टैक्स लगा रहे हैं जिससे जनता का जीवन-स्तर और ऊंचा हो।

अब मैं कुछ आँकड़े देना चाहता हूं कि दूसरे राज्यों में कितना विकास के लिये खर्च हो रहा है। पिछली योजना में हमने ३५.५३ खर्च किया तो राजस्थान ने ११७ खर्च किया। इसी प्रकार से और राज्यों म भी है। पर हमारे राज्य में कम है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जितना हम त्याग करेंगे और जितना इनवेस्टमेंट करेंगे, हमें उतना ही लाभ होगा। मैं यह मानता हूं कि हम अपनी पिछली दोनों योजनाओं से इस तीसरी योजना में अधिक खर्च कर रहे हैं। परन्तु हम फिर भी अन्य राज्यों की तुलना में कम खर्च कर रहे हैं। अतः दूसरे राज्यों की तुलना में कम ही लाभ प्राप्त करेंगे।

आप इस विधेयक का विरोध करते हैं। पर आपकी दलीलें कमजोर हैं। यह बिल लाने में आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिये क्योंकि यह गरीब और अमीर दोनों को उनके अनुपात से प्रभावित करेगा। परन्तु आपकी तो विरोध करने की आदत ही पड़ गई है। आप कहते हैं कि जनता टैक्स नहीं देना चाहती है, लगान नहीं देना चाहती है, और जनता इसको स्वीकार भी कर सकती है। टैक्स देना किसी को अच्छा भी नहीं लगता है। सरकार भी टैक्स लगाने में आनन्द अनुभव नहीं करती है। आपको मालूम होना चाहिये कि टैक्स जो लगाये जा रहे हैं, वे प्रदेश को समृद्धिशाली और उन्नतिशील बनाने के लिये लगाये जा रहे हैं। हम अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिये, पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करने के लिये, और राज्यों के बराबर आने के लिये ऐसा कर रहे हैं। हमने एक प्रोग्राम बनाया है और उसको सदन के सामने भी प्रस्तुत किया है और सदन ने भी उसको माना है, आप सब ने भी माना है। अब की हुई प्रतिज्ञा से हम कैसे पीछे हट सकते हैं? यदि ऐसा करते हैं तो प्रदेश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। हम समझते हैं कि ऐसा करके हम किसानों को धोखे में नहीं डाल रहे हैं।

एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप यह भी देखें कि हमारे प्रदेश की आबादी किस कदर तीव्र गति से बढ़ रही है। तो टैक्स लगना तो लाजिमी ही है। इसका कारण यह है कि हमको और अधिक लोगों के खाने, पहनने और रहने के लिये मकान का प्रबंध करना पड़ रहा है, और अधिक लोगों को रोजगार देना पड़ रहा है। आप देखें कि १। करोड़ और आदमी पिछले १० वर्ष में बढ़ गये हैं और खाने वाले अधिक नये मुंह निकल रहे हैं, तो कैसे इन सब का भार सरकार उठायेगी? इसलिये यह जो सरकार की टैक्स की नीति है वह कोई गलत नहीं है। वह बिलकुल ठीक है। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जो यह कहा जाता है कि आज टैक्सेज बहुत हैं, यह बात नहीं है। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह चीज लिखी है कि योजनाबद्ध विकास में हमारी जो अतिरिक्त आय होगी उसके होते हुये भी हमारा स्तर ऊंचा नहीं हो पायेगा परन्तु अपनी योजना को पूरा करने के लिये उस अतिरिक्त आय में से त्याग करना पड़ेगा। हमने जो इलेक्शन लड़ा है वह इन सब चीजों को जनता के सामने रख कर लड़ा है और जनता ने हमको भारी बहुमत में यहाँ भेजा है। यदि आप प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, कुछ सुविधा बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको टैक्सों का विरोध नहीं करना चाहिये।

कल एक माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो कहने लगे कि अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं, कम्पाउन्डर्स नहीं हैं। आप चाहते हैं कि अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाय, हर तरह की सुख-सुविधा मिले, तो उसके लिये पैसा क्या नहीं चाहिये? हमने पहली योजना में अस्पतालों पर ६ करोड़ रुपया खर्च किया, दूसरी में करीब १२ करोड़ रुपया खर्च किया और तीसरी में करीब २८ करोड़ खर्च करने जा रहे हैं। हमने डाक्टरों की संख्या भी काफी बढ़ाई है। अस्पताल भी खोले जा रहे हैं। हजारों प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं। अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि चारों तरफ विकास हो रहा है। उसके लिये रुपये की जरूरत होगी। वह रुपया कहाँ से आयेगा? आसमान से तो टपकेगा नहीं। हम रूस, अमेरिका, चीन आदि

देशों की बात करते हैं। उन्होंने कितना त्याग किया है। इस सदन के सभी सदस्यों की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि आज योजनाओं को सफल बनाने के लिये हम जनता से जाकर कहें कि वह त्याग करे। बिना कुछ त्याग किये आर्थिक विषमता दूर नहीं होगी। माननीय विरोधी दल के नेता कहते हैं कि गरीब गरीब होता जा रहा है। मैं राजा साहब, नेता विरोधी दल से पूछता हूं कि उनकी आज क्या हालत है? क्या वे गरीब होते जा रहे हैं? क्या वे, हमने जो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी की कल्पना की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं? वह दिन आगे आने वाला है जब इस प्रदेश की जनता उस सुख को अनुभव करेगी। हमारी टैक्सेज की पालिसी कोई नयी पालिसी नहीं है। हमने जो टैक्सेज लगाये हैं वे बहुत ही सोच-विचार कर लगाये हैं। हमारी जनता जानती है कि त्याग करने के बाद ही सुख आयेगा।

(इस समय १२ बज कर ३० मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

आप लोग जो सोशलिज्म में विश्वास करते हैं उनको तो इस बिल का विरोध नहीं करना चाहिये। कहीं यह देखा जाता है कि ये लोग पूंजीपतियों का साथ देते हैं, जैपुरिया जैसे लोगों का साथ देने वाले इन में निकल आते हैं।

मैं अपनी तरफ के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि उन्होंने तृतीय पंचवर्षीय योजना को लेकर इलेक्शन लड़ा है। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां स्कूल, सड़क और पीने के पानी का प्रबन्ध न हो, तो हम लोगों को अपनी उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करना होगा। तभी जनता आपको बहुमत से चुनेगी। इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है।

मैं खास तौर से माननीय गेदासिंह और उनकी पार्टी से निवेदन करूंगा कि वे नगरों पर लगने वाले टैक्स का विरोध किस प्रकार से कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि सेठों और साहूकारों पर लगने वाले टैक्स का वे कैसे विरोध कर रहे हैं। इससे मालूम होता है कि विरोध केवल विरोध करने के लिये ही किया जाता है, कोई कान्स्ट्रक्टिव (रचनात्मक) सुझाव नहीं दिया जाता। हम विरोधी पक्ष का स्वागत करते हैं लेकिन उनको सुझाव देने चाहिये। और हमने जो प्रतिज्ञा देश के हित में की है उसमें हमें सहयोग देना चाहिये। उसमें रोड़ा नहीं अटकाना चाहिये। सभी चाहते हैं कि गरीबी दूर हो, हमें अधिक से अधिक सुविधायें प्राप्त हों लेकिन उनको प्राप्त करने के लिये हमें कुछ न कुछ त्याग अवश्य करना होगा।

जहां तक इस बिल का प्रश्न है, सभी इस बात को जानते हैं कि इसका असर शहर के रहने वाले पूंजीपतियों पर पड़ने वाला है। इसके साथ ही साथ माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से मैं यह पुनः निवेदन करूंगा कि इस टैक्स के बारे में यह ध्यान रखा जाय कि कहीं कम आमदनी वाले और कम वेतन वाले लोगों पर इसका प्रभाव न हो जाय।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर कई दिनों से बहस हो रही है। मैं समझता हूं कि कुछ लोगों को यह भ्रम हो रहा है कि शहरों में गरीब नहीं बसते। हो सकता है माननीय हरी सिंह की तरफ गांवों में भी गरीब लोग न रहते हों लेकिन यह सोचना कि शहरों में गरीब नहीं रहते, यह एक भ्रम ही है। माननीया सुशीला जी ने भी देश के पिछड़ेपन की बात कह कर बार बार टैक्सों को बढ़ाने की बात कही। असल में दोष तो यही है कि गांव और देहात की जो गरीबी है, पिछड़ापन है उससे भी लोग घृणा करते हैं। जब तक सोचने का तरीका यही रहेगा तब तक बाहर से कोई चीज हो नहीं सकती। बार बार कहा जाता है कि विरोधी पार्टी के लोग सब टैक्सों का विरोध करते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई भी पार्टी अथवा कोई भी माननीय सदस्य, चाहे वह किसी भी व्यवस्था को मानने वाला क्यों न हो, चाहेगा कि देश को उठाने के लिये टैक्स लगाया जाय। इसमें किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं लेकिन सवाल व्यवस्था का है कि टैक्स लगाया किन पर जाय। माना कि कोई गरीब आदमी है, रोगी है, डाक्टर की राय यह है कि इसको खून की आवश्यकता है, तो कोई भी यह नहीं कह सकता कि

[श्री मंगलदेव]

उसको खून न दिया जाय। आज हर एक आदमी जो स्वस्थ है वह यह सोचेगा कि हम लोग थोड़ा थोड़ा अपनी हैसियत के अनुसार खून दें कि रोगी बच जाय। लेकिन खून देने के लिये देख लेना होगा कि किस व्यक्ति का कैसा स्वास्थ्य है, उसकी कितनी क्षमता है और क्या वह खून देकर खुद स्वस्थ रह सकता है? माननीय बनारसी दास जी से जितना खून लिया जाय उतना ही खून हम से लिया जाय तो हम तो खुद सूख जायेंगे। राम प्यारे जी को तो एक भ्रम सा है। परसों माननीय बेचन राम जी बोले, माननीय हरी सिंह जी बोले, ऐसे लोग तो बेचारे अपने मन की बात बहुत कम कहते हैं और दूसरों के मन की बात ज्यादा कहते हैं। जिस वर्ग के ये लोग हैं, और मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य किसी पक्ष विशेष में आकर कुछ भी कहें, यह तो पक्ष में उठने बैठने की बात है, दूसरी जो समस्यायें हैं उनको कम कर दें। अब मिर्जापुर में स्वर्ग हो गया हो, उसको तो मैंने देखा नहीं है लेकिन यह पूरे प्रदेश की बात है।

जहां तक नगरों की, गरीबों की बात हुई, छोटे-छोटे शहरों की नहीं, बड़े-बड़े शहरों की बात भी कही जा सकती है, कलकत्ता, बम्बई और कानपुर की बात भी कही जा सकती है। आज शहरों में जो नरक दिखलायी देता है वह कोठियों के आगे पीछे नहीं, महलों के आगे पीछे नहीं है, वहां भी झोपड़ियां हैं, वहां भी टूटे मकान हैं, आंखें होनी चाहिये, दिल होना चाहिये तब दिखलायी दे कि गरीबी कहां है। क्या कोठियों के आगे पीछे, सड़कों पर, गलियों में ज्यादा आमदनी वाले या टैक्स देने वाले सोते हैं? टूटे हुये मकानों में या सड़कों पर, नालियों पर खटिया बिछा-बिछा कर कौन सोते हैं? वे वही गरीब लोग हैं जिनके रहने का कहीं ठिकाना नहीं होता।

माननीय मंत्री जी को बहुत से लोगों ने दोष दिया है कि पूज्य बापू के अनुयायी होकर भी उन्होंने ऐसा किया है। मैं इस तरह से उनको दोष देना ठीक नहीं समझता। माननीय मंत्री जी ने व्यक्तिगत व्यवस्था के लिये या किसी व्यक्तिगत संस्था के लिये यह कानून नहीं बनाया है, वे तो इतनी बड़ी मशीन के जिसमें ४९–५० पुर्जे हैं, वह भी एक पुर्जा हैं। वह अकेले नहीं हैं, इस बिल को तो पूरी सरकार ने, पूरे मंत्रिमंडल के लोगों ने मिल कर बनाया है, इसलिये एक मंत्री जी को दोष देने का सवाल नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने देखा था कि माननीय मंत्री जी गांव-गांव घूम कर यही काम करते थे, झोपड़ियों में घूम-घूम कर गरीबों को काम देने की बात सोचते थे, हर एक को चर्खा कातने की बात कहते थे, वे गरीबों की गरीबी से परेशान होकर ही घूमा करते थे। वे झोपड़ियां क्या गांवों में ही हैं, और शहरों में नहीं हैं? आखिर शहरों में जो गरीब आदमी हैं वे कहां से आये हैं? गांवों की तकलीफों से परेशान होकर भाग-भाग कर ही हजारों आदमी शहरों में आकर बसे हुए हैं। वे कहां रहते हैं, उनके घर का नम्बर क्या है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है।

इस विधेयक में अस्तबल पर भी टैक्स लगाने की बात लिखी गयी है। एक गरीब आदमी जो एक छोटा घोड़ा रखे हुए है, इक्का, तांगा रखे हुए है और अपने घोड़े को कहीं छाया में बांधता है, तो विधेयक के अनुसार उसे भी अस्तबल मान लिया जायगा। इसमें कहीं घोड़े का घर तो लिखा नहीं है। इसी तरह से झोपड़ियों की बात है। दुनिया का हर आदमी इस बात को मानता है कि जब गरीबी की भावना से कभी कोई बात कहता है तो वह यही कहता है कि और क्या होगा, एक झोपड़ी ही बना लूंगा।

गरीब के आवास होते हैं लेकिन जहां भी कोई छप्पर छाता या कुछ भी छाया हुआ मिला, आप की दीवार के नीचे कोई गरीब सड़ी चटाई, टाट या पुरानी बोरी से छाकर जमीन पर सोने लायक जगह कर ले, दिन भर मजदूरी करे और भूखा मरे और रात को आकर उसके नीचे सिर छुपा ले तो उस पर भी टैक्स लग जायगा। मंत्री जी की मंशा कुछ भी हो लेकिन जो उनके अधिकारी होंगे क्या वह उस छप्पर छाने वाले से बिना घूस लिये उसको बरी करेंगे? टैक्स की बात कही जाती है कि वह तो आम जनता की तरक्की के लिये होती है और वह विशेष कर गरीबों की तरक्की के लिये होती है। इस तरह से गरीबों की तरक्की की बात कहते-कहते गरीब समाप्त हो जायंगे और उनकी गरीबी नहीं समाप्त होगी।

विरोधी दल के लोगों ने कहा कि जमीन का बटवारा होना चाहिये लेकिन सरकार ने कहा कि सीलिंग होगी, जोत हदबन्दी ऐक्ट बनेगा, कुछ लोगों को बड़ी खुशी हुई कि जमीन छीनी जा रही है उसकी सीमा निर्धारित हो रही है, जमीन बचेगी और गरीबों को मिलेगी। माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि प्रदेश में जो सीलिंग हुई है उससे कितनी जमीन बची है, मान लें कि कागज पर कुछ बची हो। लेकिन वह भी साढ़े सात हजार एकड़ से ज्यादा कागज पर भी नहीं है। इस के अलावा वह जमीन भी क्या है, कब्जा किसी का बना है, नाले नदी के कटाव में पड़ी है। बड़ा शोर मचा और कहा गया कि सीलिंग होगी, कानून बना लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं है। पुरानी जमींदारी गई लेकिन यहां नई जमींदारी स्थापित हो गई और बड़े-बड़े खानदानों ने सारी जमीन कुछ किसी के नाम और कुछ किसी के नाम कर के सारी जमीन अपने ही में बांट ली है। टैक्स लगाते समय गरीबों की तरक्की की बात होती है, कानून बनाते वक्त गरीबों की आवाज दी जाती है लेकिन लाभ गरीब को न होकर धनी को होता है।

कहा जाता है कि उधर से ठोस सुझाव नहीं आते। इधर से माननीय गेंदा सिंह जी ने जो सुझाव दिये हैं, क्या उस से भी बढ़िया कोई आदमी सुझाव दे सकता है? माननीय गेंदासिंह जी कोई विरोधी दल के सदस्य की तरह से नहीं बोले, वह इस तरह से बोले कि प्रदेश का शासन भी चले और टैक्स भी मिले और गरीब की भी रक्षा हो लेकिन आप उनके सुन्दर सुझाव को भी नहीं मानते। फिर ठोस सुझाव कौन से हैं? आप का बहुमत है इसलिये आप के सभी सुझाव ठोस हैं और जो अच्छे सुझाव भी इधर से आते हैं वह बहुमत न होने के कारण अमान्य हो जाते हैं, हमारे सुझाव गिर जाते हैं क्योंकि उधर 'हां' की संख्या ज्यादा है। लोकतन्त्र में अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं, यहां हमेशा यही होता है कि 'हां' की संख्या अधिक है और कोई भी अच्छा सुझाव खराब हो जाता है।

मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इस दल की ओर से भी कोई संशोधन आये तो उस पर भी वह विचार करें और मेरी प्रार्थना है कि वह इस बिल को वापस करें। कोई बिल ऐसा नहीं होता कि जिसमें सरकार के ही दल की तरफ से २०–२० संशोधन न आते हों और एक राय होकर कानून पेश नहीं होते। आप कोई भी बिल लायें, उस में कम से कम आप की तरफ से संशोधन तो न आयें, आप खुद भी एक राय नहीं हो पाते हैं। देखना यह होगा कि गरीबों के नाम पर जो कर लगाये जाते हैं उनका कौन-सा भाग गरीबों पर व्यय होता है।

जहां से म आया हूं वहीं से माननीय ब्रज बिहारी मिश्र आये हैं, वह सरकारी पक्ष में हैं, हमारे गांव घूरे की तरह सड़ रहे हैं, वहां कोई तरक्की नहीं हुई, दो पैसे की मजदूरी नहीं बढ़ी। कोई मैले से चिकना कपड़ा पहनने लगा, उसी से तरक्की हो गई? नहीं। तरक्की तब होगी जब जो तवे ठंडे थे, वह गरम हों, जिन चूल्हों में धुआं नहीं उठता था, उनमें धुआं उठे। बेकारी बढ़ती जा रही है। आजादी है एड़ी रगड़कर मर जाने की, काम करने की नहीं। आज काम नहीं मिलता है, स्वराज्य का स्वप्न देखा गया था, कांग्रेस का वालन्टियर गाता फिरता था कि जब स्वराज्य हो जायगा तो गेंहूं की रोटी और अरहर की दाल में किसान घी डाल कर खायेगा, निर्धन को धन और बांझिनी को पुत्र मिलेगा। लगान आधा होगा, पुलिस उससे डरेगी। लेकिन बिलकुल उल्टा हो रहा है। गांवों को उजाड़ा जा रहा है और शहरों को बसाया जा रहा है। पर शहरों में गरीबों के लिये नरक ही है। कहा जाता है हम गरीबों के लिये मर रहे हैं।

एक किस्सा याद आ गया, एक राजा अफीमची था, उसके मंत्री लोगों ने कहा—अफीम खाना छोड़ दें, लेकिन सिखाया था उन्होंने ही, उसने कहा कि अफीम खाना नहीं छोड़ूंगा कोई दूसरा उपाय बताओ। एक मंत्री ने कहा मलाई खाया करें, उसने कहा मैं मलाई नहीं पहचानता। मंत्री ने कहा हमारा भतीजा मलाई जानता है, वह नौकर रख लिया गया सिपाही हो गया, दूसरे मंत्री ने कहा उसका रिश्तेदार जानता है तो वह भी दारोगा हो गया। इसी तरह से तीसरा कन्ट्रोलर हो गया। सिपाही के दो लड़के थे वह २ छटांक मलाई लें, दारोगा के एक लड़का था, वह एक छटांक ही ले और एक छटांक कंट्रोलर ले। उन्होंने कहा हम राजा को

[श्री मंगलदेव]

मलाई खिलाने के लिये नौकर हुये हैं इसलिये पहले अपने बच्चों को खिलायेंगे और जो दोने में लगी रह जायगी उसको राजा की मूंछ में पोत देंगे। इसलिये हमारा राजा जो आजकल जनता है, हम उस पर टैक्स लगाते हैं उसकी तरक्की के लिये। गांवों में गरीब काफी हैं। ९५ फीसदी जो हरिजन गरीब हैं उनके लिये सरकार ने क्या किया, मंत्री जी बतायेंगे? जो केन्द्र से भी रुपया मिलता है, आपके प्रदेश में हरिजनों में काम करने के लिये बड़ा भारी डिपार्टमेन्ट है। यह क्या है कि दो लाख से ज्यादा रुपया बचा लिया है आपने? यह अकर्मण्यता है, निकम्मापन है। हरिजन समाज के लिये केन्द्रीय सरकार ने जो भी बजट दिया उसको खर्च करने की क्षमता आप में नहीं है। दो लाख से ज्यादा सेन्ट्रल गवर्नमेंट का रुपया आपने बचा लिया और प्रान्तीय सरकार का तो पता नहीं कितना रुपया बचा होगा? सरकार ने हरिजन सहायक आफिसर मुकर्रर किया है। गजेटेड आफिसर हैं लेकिन उसे कोई पावर नहीं है। सुपरवाइजर और क्लर्क बिठा दिये हैं लेकिन काम क्या है? सारी सहायता अब ब्लाक्स को भेज दी है। तो उस विभाग को वहां तोड़ क्यों नहीं देते? अगर तरीका यही रहा टैक्स लगाने का, 'हां', 'नहीं' के फेर में बिल पास कर दिया तो आप खतरे में रहेंगे। जो गरीबी आज देश में है वह इस तरह से जाने वाली नहीं है।

हमारे भाई हरीसिंह ने पूर्व-पश्चिम का सवाल उठा दिया। उन्हें भ्रम है कि पूर्व वाले सब सोशलिस्ट हैं। उनको यह भ्रम नहीं होना चाहिये। पश्चिम वालों की हालत अच्छी है, उनकी कमाई से पूर्व वालों का कुछ भला होता है तो उसका श्रेय उनको मिल जाता है। आपके यहां नहरें पहले बनीं, सारा इन्तजाम पहले हुआ इसमें पूर्व-पश्चिम का सवाल पैदा नहीं होता। जहां भी अन्याय होगा देश में, प्रदेश में उसमें पूर्व-पश्चिम का सवाल नहीं उठता। उस अन्याय का विरोध होगा। नहर रेट के संबंध में फर्रुखाबाद में सत्याग्रह चलाया गया तो पश्चिम का रेट या पूर्व का रेट ले कर आन्दोलन नहीं हुआ। किसानों का सिंचाई रेट अधिक था इसलिये आन्दोलन हुआ। जो हम लोग आये हैं देहातों से, कस्बों से, वे भूल न जायं कि आर्थिक व्यवस्था किसानों की ठीक करने के लिये हम यहां आये हैं। ज्यादा टैक्स लगाने की बात हो तो, हम लोगों पर भी टैक्स लगा दिया जाय। ५० रुपये माहवार काट लीजिये। कुछ लोग तो ज्यादा के लिये कहते हैं।

समाजवादी समाज की रचना की बात बार-बार कही जाती है, तो समाजवाद बाहर से कायम होने वाला नहीं है। वह इन झोपड़ियों से निकलने वाला है। वह बहस करके और किताब पर लिख देने से बनने वाली चीज नहीं है। बहुत से लोग स्वतन्त्रता आन्दोलन में शरीक नहीं हुये, खद्दर के कपड़े नहीं पहनते थे, कभी दो आने कांग्रेस को चन्दा नहीं दिया लेकिन वैसे लोग भी आज जनता की छाती पर बैठे हैं और हुकूमत में आकर अपने को बड़ा भारी कांग्रेसी कहते हैं। इससे समाजवाद रुकने वाला नहीं है। हमें यह सोचना है कि टैक्स किस पर लगायें? टैक्स उन्हीं पर लगाया जाय जो धनी लोग हैं। बड़ी-बड़ी कोठियों पर टैक्स लगे, बड़ी-बड़ी जमीनों पर लगे। कौन मना करता है? लेकिन आपने तो वह विधान बनाया है कि छप्पर और अस्तबल तक नहीं बच सके। इसलिये मेरा निवेदन है कि छप्पर तो छोड़ दीजिये। लेकिन आप सब पर टैक्स लगा देंगे और जनता सब बोझ ढोती जायगी। आप स्टेशन पर उतरते हैं, कुली को अपना सामान देते चले जाते हैं और चार आदमी का सामान है, उसी पर लादते चले जाते हैं क्योंकि वह अपने ऊपर लादता जाता है। अगर वह गिरा देता है तो फिर आप अपने हाथ में ले लेते हैं।

आज देहात का आदमी बहुत गरीब है। वह मरता चला जा रहा और आप कहते हैं कि उस पर टैक्स नहीं है। गांव की व्यवस्था में क्या तरक्की हुई है? जिस इलाके से मैं आया हूं वह इलाका भी आपके राज्य में है, वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के और इस प्रदेश के राज्य में है। बीसों वर्ष से वहां कोई काम ही नहीं हुआ है। दो-ढाई लाख की आबादी में एक भी पक्की सड़क नहीं, स्कूलों की कमी है, छोटी-छोटी पुलियां भी नहीं। यह विकास किधर चला जा रहा है।

टैक्स लगाते समय मंत्री जी गरीबों का कोई खयाल नहीं करेंगे । मंत्री जी ने ऐसी चक्की निकाली है जिसमें जौ के साथ घुन भी पिस जायेंगे । अरे, फटक कर, घाम में डाल कर कम से कम घुन तो निकाल डालिये । नालियों पर सोने वाले, जिन्हें रात भर मच्छर और खटमल काटते हैं ऐसे लोगों को तो छोड़ दीजिये । दिन भर गंदी नालियों पर बैठकर मोची अपना काम करता है । वह आपको टैक्स दे या दो पैसे का खाना खाये ? उसे बीमार होने पर कोई पूछने वाला नहीं है । आजमगढ़ शहर इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी काफी बड़ा है । वहां मैंने हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि प्रति व्यक्ति एक पैसा की दवा पड़ती है । डिस्पेन्सरी खुली है मगर वहां गरीबों का इलाज तो होता नहीं । हां, आपका नाम उजागर होता है । जो टैक्स आप वसूल करते हैं उसका पूरा लाभ जनता को नहीं देते । मै संशोधन लाया हूं । आप मानेंगे तो हैं नहीं, बिल पास जरूर करायेंगे, उस समय मैं संशोधन पेश करूंगा । बहुत छोटा-सा संशोधन है कि ५ हजार रुपये तक की लागत के मकान और जमीन को तो छोड़ दीजिये । अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत-सी जनता परेशान होगी । आज नगरपालिकायें वगैरह पहले से ही काफी टैक्स लगाये हुये हैं । २०० गज, ४०० गज के फासले पर बम्बा लगा हुआ है लेकिन अगर २०० गज के एरिया में हम आते हैं तो टैक्स जरूर देना पड़ेगा । थोड़े दिन में आप कहेंगे कि अगर सड़क पर खड़े हैं और उधर से बस निकल जायगी तो देखने वालों को टैक्स देना पड़ेगा ।

मैं अनुरोध करूंगा कि प्रवर समिति में नहीं बल्कि इसे वापस लीजिये और फिर सोच समझ कर लाइये । धनिकों पर टैक्स लगाइये । धनी और गरीब में फर्क करना बहुत मुश्किल नहीं है । आप कहते हैं कि आप धनी के पीछे नहीं हैं । इसमें सच्चाई नहीं है । धनी कभी भी गरीब का नहीं होता है । उस बेंच से भी हमें संकेत मिला है । उस भाई ने जो संकेत दिया है वह यह है कि एक चावल के टटोलने से पता चल जाता है कि चावल हुये हैं या नहीं । आप अपने को गरीबों के प्रतिनिधि कहते हैं लेकिन इस तरह से गरीबों के ऊपर कर का बोझ लादते जाते हैं । श्रीमन्, मैं सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गरीबों की भलाई के नाम पर गरीबों का गला न घोटा जाय ।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि अब इस पर विवाद बन्द किया जाय । श्रीमन्, इस पर सब दलों में एग्रीमेन्ट हो चुका है ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब समय हो गया है । इस समय किसी नये प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—मुझे बतलाया गया है कि इस संबंध में सब पार्टियों में समझौता हो गया है । इसलिये यह आधे मिनट में हो जायगा वरना दो बजे हो जायगा ।

श्री रामायणराय—जी हां, श्रीमन्, दो बजे कर लीजिये ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन बजे तक के लिये कहा गया है ।

श्री बनारसीदास—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके माने क्या हैं ? इसके माने यह हैं कि आपका न कोई दल है और न कोई नेता है और न आप किसी का सम्मान करना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छा, २ बजे मैं इस प्रश्न को उपस्थित करूंगा ।

(इस समय १ बज कर २ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उपस्थित विधेयक पर अब वाद-विवाद समाप्त किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हरिनाथ तिवारी—कोरम नहीं है।

श्री उपायक्ष—कोरम पूरा होगा तभी तो घंटी बन्द हुई । अब श्री भीखालाल जी भाषण करेंगे।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी अगर कुछ बीच में कहते तो पता चलता कि जो सुझाव आये हैं उनका उन पर क्या प्रभाव हुआ है। वरना अगर मैं जवाब दूं तो हमीं लोग बोले हैं, उसी का जवाब दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष—मंत्री जी बीच में बोलना चाहें तो बोल लें। लेकिन यह बात साफ है कि अन्तिम वक्तव्य मंत्री जी का होगा।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, आज कई रोज से आदरणीय सदन के समक्ष जो विधेयक मैंने प्रस्तुत किया उसके सम्बन्ध में विवाद सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह तो सम्भव नहीं है कि जो कुछ यहां पर कहा गया है उस सब का मैं उत्तर दे सकूंगा। कदाचित यह वांछनीय भी न हो क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम जब क्लाजवाइज़ विचार करेंगे तो उस सिलसिले में बहुत सारी ग़लतफ़हमियां दूर हो जायंगी। जैसे झोपड़ी को लेकर, अस्तबल को लेकर बहुत ज्यादा आक्षेप किये गये। इन सब का जवाब या तो उस समय आयेगा या अगर समय बचा तो मैं अन्त में निवेदन करूंगा।

विचार करते समय सब से ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि हमारा देश गरीब है और सरकार को टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है। किसी ने कहा कि जिनको फायदा हुआ उन्हीं पर आप टैक्स लगाइये। किसी ने कहा कि क्या अधिकार है इस सरकार को टैक्स लगाने का। एक पैसा नहीं देना चाहिये। हम मुखालिफ़त करेंगे। किसी ने यहां तक कहा कि यह सरकार अपना गला काट रही है, अपनी कब्र खुद खोद रही है। सब बातें कही गयीं। कुछ भाइयों ने एक तरीके से धमकी भी दी। अगर यह विधेयक पास होता है तो एक तरह से युद्ध की घोषणा होगी और हम इसका मुकाबला करेंगे। इसके अलावा हमारी योजनाओं पर व्यंग किया गया और आक्षेप किये गये, और हर पहलू से जो भी उसके ऊपर बात हो सकती थी वह कही गई। मैंने वह सब सुना। सिद्धान्तों की बात भी सुनी, आइडियालाजी की बात भी सुनी। जहां तक जनतंत्र का सवाल है उसकी बुनियाद इस बात के ऊपर मुनहसिर करती है कि हम एक दूसरे की सद्भावना का आदर करें और एक दूसरे को जो मिनिमम आनेस्टी है उसके लिए क्रेडिट करें। यह समझें कि वास्तव में हम सब लोग जो यहां एकत्रित हुए हैं वह सदस्य हैं, देश का भला करने के लिए आये हैं और उसके लिए प्रयत्न करते हैं। विचारों में मतभेद हो सकता है, प्रोग्राम्स में मतभेद हो सकता है। लेकिन जहां तक बुनियादी बातों का ताल्लुक है उसमें हम सब एक हैं। हम यहां एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए, विरोध करने के लिए, चैलेंजेज थ्रो करने के लिए आये हैं, यह भावना वास्तव में प्रजातांत्रिक प्रणाली की बुनियाद को खत्म करती है। हम सब एक हैं। जहां तक हम इस सदन के अन्दर बैठते हैं हमारा एक ध्येय है। और मैं इस दृष्टि से कहता हूं कि जिन भाइयों ने इसकी कड़ी से कड़ी आलोचना की, मैं उनका भी एहसानमन्द हूं। जो भाई हमारे कामों में गलती बताते हैं, दोष बताते हैं उनका भी मैं आभारी हूं क्योंकि हमारा गौरव इस बात में नहीं बढ़ता है कि सिर्फ यहां पर जो हमको इस समय एक सहूलियत है, एक ऐडवांटेज है कि हमारी तादाद ज्यादा है, इसके बल पर हम आप से पास करा लेंगे, यह दृष्टिकोण कम से कम मेरा नहीं है और मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहता हूं कि डेमोक्रेसी यह है ही नहीं। जिस समय मेजारिटी भी यह खयाल करती है कि हम अपने बल के भरोसे पर यह करा लेंगे उस समय डेमोक्रेसी में बहुमत भी डेमोक्रेसी की जड़ को खोखला करता है।

डेमोक्रेसी की बुनियाद बहुत गहरी है। वास्तव में डेमोक्रेसी एक सभ्यता की पराकाष्ठा है। फुलफिलमेंट आफ़ सिविलाइजेशन जिसे हम कह सकते हैं वह है डेमोक्रेसी। मनुष्य और पशु में बुनियादी तौर से कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि मनुष्य में विवेक है। वह अपने अनुभव से लाभ उठा सकता है, समाज में मिल कर रहने की शक्ति उसमें है और समाज में मिल कर रहने का जो आर्ट है, कला है उसमें उसने उत्तरोत्तर उन्नति की है। जिन्हें खूंख्वार जानवर कहते हैं, दरिन्दे कहते हैं, कीटाणु कहते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, उन सब पर उसने विजय प्राप्त की है। प्रकृति पर उसने विजय प्राप्त की है। लेकिन अगर इन्सान के दिल के अन्दर ये खूंख्वार दरिन्दे और कीटाणु व वासनाएं और ये प्रवृत्तियां छिपी हुई हैं, उन पर अगर वह काबू नहीं पाता है तो हमारी सिविलाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकती और आज यह पाठ हमें पढ़ना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि आज जो इन्सान उन्नति करता जाता है, विज्ञान की मार्फत जो साधन उसको मिलते जाते हैं, प्रकृति पर उसका काबू बढ़ता जाता है उससे जनकल्याण हो, यह दुनिया एक बेहतर दुनिया बन सके इन्सान के रहने के लिए तथा इन बढ़ी हुई शक्तियों से इन्सान-इन्सान का विनाश न करे, उसके अहित में यह शक्तियां इस्तेमाल न हों बल्कि जनकल्याण में, उसकी सेवा करने में, इस दुनिया को ज्यादा सुन्दर और सुखी बनाने में वह शक्ति खर्च हो। और यह तभी हो सकता है जबकि इन्सान अपनी शक्तियों के साथ विवेक से काम लेना सीखे, अहिंसा से काम लेना सीखे प्रेम और हमदर्दी से काम लेना सीखे। डेमोक्रेसी में वास्तव में जो हिंसा के स्थान पर अहिंसा द्वारा लोगों की राय प्रकट हो कर क्रान्ति कर सके, वह राज्य को रद्दोबदल कर सके जिसके लिये पहले सिर जमीन पर पड़ते थे, खून की नदियां जहां बहती थीं वह काम सिर्फ हाथ के इशारा करने पर, किसी कागज के टुकड़े पर अपनी इच्छा प्रकट करने से वह काम हो सके, हुकूमत बदल जाय तो किसी को पता भी न चले, जन संहार न हो, मनुष्य की जो सृष्टि है, उसकी जो रचना है उसका संहार न हो और हम आगे बढ़ते चलें, यह डेमोक्रेसी है। उसकी बुनियाद को हम सब का साथ लेकर मजबूत करना चाहते हैं। समझदारी से रहना चाहते हैं और भाई-भाई की हैसियत से रहना चाहते हैं, विरोधी और दुश्मन की हैसियत से नहीं। विरोध भी आवश्यक और वह घर के अन्दर भी होता है, मनुष्य-मनुष्य के अन्दर होता है। मनुष्य-मनुष्य के अन्दर यदि थोड़ा विरोध न हो तो हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। मैं चल नहीं सकता हूं अगर दूसरी तरफ से विरोध मेरे पैर को रोकने के लिये न हो। वह भी आवश्यक है। परन्तु जहां तक वह हमारी बुनियादी एकता को और हमारे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये है और जहां तक हमको एक दूसरे के नजदीक लाता है और हमारे सम्बन्धों को दृढ़ करता है वहीं तक वह आवश्यक है और जरूरी है। इस दृष्टि से अगर डेमोक्रेसी को सफल करने के लिये जिम्मेदारी साधारण दृष्टि से भी हम सब के ऊपर मान लेते हैं तो भी मामूली गणित के विचार से जो बहुमत वाले हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा पड़ती है।

श्रीमन्, मैं अपने मित्रों से, जो इधर बैठते हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि बहुत बार जब हमारे यहां प्रदर्शन होते हैं तो उसमें हमारे इधर के लोगों का भी सहयोग होता है तो उससे मेरा सिर शर्म से नीचे हो जाता है। जनतान्त्रिक प्रणाली हम उसको नहीं कहते हैं। अगर संख्या में अन्तर है तो वह संख्या का भेद तभी मिट सकता है जब शान्ति के साथ नियमों का पालन करते हुये सत्कार और आदर के साथ और मजबूती के साथ यहां की सारी कार्यवाही को हम होने दें। हम सिर्फ यहां पर एक दूसरे का चेहरा देखने के लिये या आपस में कुछ बातें करने के लिये नहीं आते हैं। हम सब के ऊपर एक बड़ा भारी बोझ है और वह है इस प्रदेश के विशाल जन समूह का शासन प्रबन्ध। इस प्रदेश में भूख है, नग्नता है, गरीबी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि इस बिल के दौरान बारबार इस चीज के ऊपर जोर दिया गया है। जितना ही मैं उन सब बातों को सुनता था उतना ही मेरा और दृढ़ विश्वास होता था कि इसलिये और भी ज्यादा जरूरत है कि इस किस्म के बिल को लाया जाय और इस आदरणीय सदन से यह प्रार्थना की जाय, यह निवेदन किया जाय कि इसे वह पारित करे और समझकर पारित करे और आंखों को खोल कर पारित करे। इस भावना से नहीं कि कोई चैलेंज की भावना हो बल्कि हमारा सब का फर्ज है कि इस देश में जो भूखे हैं, नंगे हैं उनको हम कुछ और दे सकें।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

यहां पर योजना की बाबत बहुत ऐसे शब्द कहे गये कि जिनको सुन कर यह मालूम होता था कि क्या वास्तव में इस बात में कोई सच्चाई है। एक भाई ने कहा कि अस्पताल को हम किस लिये पैसा दें? अस्पतालों में लोग जाते हैं तो वहां डाक्टर नोच लेता है, नर्सें नोच लेती हैं, कम्पाउंडर नोच लेता है। क्या इसीलिये हम योजनाओं के लिये पैसा दें? हमारे विकल जी ने बहुत कहा और ऐसा लगता था कि बड़ा भारी दर्द वह दिल में छिपाये हुए हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा? कहा कि डाक्टर हैं तो कम्पाउंडर्स नहीं हैं, कम्पाउंडर हैं तो नर्सें नहीं हैं, या दवा नहीं है। अब क्या कोई भी सदस्य कह सकता है कि जितने प्रदेश में अस्पताल हैं सब की यही हालत है? खामियां हैं, यह ठीक है। एक-एक साल में जब १००, १०० अस्पताल खुलेंगे नये और आप यह भी चाहते हैं कि सारी सुविधायें सब जगह दी जायं, तो यह खामियां रह सकती हैं। हां, अगर यह हो कि सब अस्पताल बन्द कर दिये जायं या उनकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं समझता हूं कि सरकार यह सब रुपया वेस्ट कर रही है। लेकिन आज उनकी मांग है। १५–१५, २०–२० मील तक अस्पताल नहीं हैं और वे होने चाहिये, तो अगर यह अस्पताल खोले जाते हैं और साल में १०० या ९० अपस्ताल खोले जाते हैं और उनमें ५ जगह डाक्टर नहीं पहुंच पाते तो क्या इस योजना को खत्म कर देना चाहिये? क्या आप यह समझते हैं कि हम जानबूझ कर डाक्टर नहीं भेजते या कुछ ऐसी दिक्कतें हमारे सामने आ जाती हैं कि वास्तव में उन्हें कोई फोर सी नहीं कर सकता। नये-नये मेडिकल कालेज खोले गये हैं। यह सिर्फ इस लिये कि डाक्टरों की कमी है। इतने पर भी देहातों में पोस्टिंग करने के बाद डाक्टर नहीं जाते और हमारे पास लोग आते हैं सिफारिश ले कर कि इस लड़के का ट्रान्सफर कर दीजिये, इसका बाप बूढ़ा है, घर पर कोई देखने वाला नहीं है, देहात चला जायगा तो मर जायगा और कभी-कभी अगर ऐसी सिफारिशें सुन ली जाती हैं और ट्रान्सफर्स रोके जाते हैं, तो क्या बात है? अगर कहीं कई बार डाक्टर नहीं पहुंच पाते तो क्या सारी योजना बेकार हो जाती है?

पी० डब्लू० डी० की बाबत कहा गया कि मकान बनते हैं और उद्घाटन से पहले ही चूने लग जाते हैं, खराब हो जाते हैं। सम्भव है ऐसा हुआ हो। पहले तो मैं इस विभाग का मिनिस्टर रहा था, इधर बहुत दिनों से उससे कोई घनिष्ट परिचय नहीं है, लेकिन इतना अभी भी कह सकता हूं कि पी० डब्ल्० डी० का सारा काम, अगर यह समझा जाय कि, चोरी करना ही है तो इससे ज्यादा बड़ी भूल हम कर नहीं सकते। यह भी मैं मान लूं कि इसमें कुछ चोरियां हैं, यह भी मान लूं कि इसमें कुछ अपव्यय भी हो रहा है, तो क्या कोई जिम्मेदार आदरणीय सदस्य यहां यह कहने के लिये तैयार है कि सिर्फ इसीलिये सड़कों का काम बन्द कर दिया जाय, पुल बनाने बन्द कर दिये जायं, हमारे जो स्कूल, अस्पताल हैं वह बनने बंद हो जायं? कोई ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। लेकिन यह बातें यहां पर कही गयीं और यह समझ कर कही गयीं कि जैसे हमने सारी योजना को डेमोलिश कर दिया।

एक आदरणीय सदस्य ने कहा कि क्या आप की योजनायें हैं। आपकी पर कैपिटा इन्कम तो कुछ नहीं बढ़ी, उतनी की उतनी रह गयी। थोड़ी देर के लिये मैं इसको मान लेता हूं कि यह सही है कि बिलकुल नहीं बढ़ी, लेकिन मैं यह पूछता हूं कि आप की आबादी अगर बढ़ती रही, पापुलेशन बढ़ती रही और इस सरकार ने इतना भी कर लिया कि हमारे देश को, प्रदेश को नीचे नहीं गिरने दिया, किसी को भूखा नहीं मरने दिया, तो क्या यह कम सराहना की बात है? यह भी हम कह सकते हैं कि हमारे सपने ज्यादा हैं और हमारी हविस ज्यादा है कि हम अपने देश और प्रान्त को आगे बढ़ा सकें। परंतु यदि उसमें भी हम सफल नहीं होते हैं और स्थिति उसकी यथा स्थिति ही बनी रहने दें तो क्या यह भी ठीक नहीं है? आप देखें कि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। जहाँ हम पहले साढ़े ५ करोड़ जनता को खाना, कपड़ा और मकान तथा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सुविधायें और सहूलियतें देते थे, वहाँ पर अगर आज साढ़े ७ करोड़ जनता को वही सब सुविधायें देते हैं, उनका उन्हीं सब बातों का प्रबंध करते हैं तो यह क्या कोई श्रेय की बात नहीं है? क्या आप कह सकते हैं कि हमने उन्नति नहीं की है?

आप को देखना चाहिए कि हम लोग अनुशासन से बंधे हुए हैं। परन्तु आपका यह सोचना कि हम एक ही आदमी के कहने से सब कुछ करते हैं, यह बिलकुल गलत है। ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है कि वह ऐसा कर सके। विरोधी दल वालों ने मुझे लेकर बहुत-सी बातें कहीं। मैं नहीं कहता हूं कि विरोध नहीं करना चाहिये, लेकिन माननीय सदस्यों के दिमाग के अंदर बात को घर नहीं करना चाहिये कि हम यहाँ किसी लोभवश बैठे हैं। यह आवाज सत्य नहीं है और अन्तरात्मा से नहीं आ रही है।

मैं आपको एक बात और बता दूं इसी संबंध में कि आज से लगभग डेढ़ महीने पहले मुख्य मन्त्री जी से मैंने कहा था कि वे मुझे इस काम से बरी करें। इसलिये नहीं कि जो काम मैं करता हूं उस को मैं ठीक नहीं समझता हूं, इसलिये नहीं कि मेरा उनसे मतभेद है, बल्कि इसलिये कि मैं जो काम करता हूं उससे अधिक अच्छे तरीके से खादी का काम कर सकूं। उसमें मेरी रुचि भी है और उसमें मेरा समय अधिक अच्छी तरह से कट जायगा। बिलकुल सही कहता हूं कि आज से दो दिन पहले नहीं बल्कि मैंने यह बात उनसे डेढ़ महीने पहले कही थी। मैं आप को बता दूं कि यदि मैं इस बिल के पक्ष में कहता हूं तो इसलिये नहीं कहता हूं कि कोई मुझे प्रलोभन है, कोई मुझे डर है किन्तु इसलिये कि मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं उस शासन को अच्छा नहीं मानता जो सत्य से अपने को परे रखे और अपने सिद्धांतों से अपने को दूर रखे। मैं उसमें कभी विश्वास नहीं करता हूं।

इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं आप को बतला देना चाहता हूं कि इससे हम लोगों को कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है व्यक्तिगत रूप से बल्कि मैं यह कहूंगा कि यह गरीबों के हितों में है। मैं अपना कर्त्तव्य समझ कर अपनी इच्छा प्रकट करता हूं कि यह सही है। अभी हमारे माननीय सदस्य गेंदा सिंह जी ने कहा कि सिर्फ उनसे पैसा लिया जाय जिनका फ़ायदा हुआ है। तो क्या उनसे न लिया जाय, जिनको फायदा होने वाला है? जिनका फ़ायदा न हो उनसे न लिया जाय यह भी कैसे हो सकता है। मैं तो उनसे यही कहूंगा कि यह धारणा उनकी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर मैं कन्ट्रीब्यूट कर सकता हूं अपने देश की उन्नति के लिये तो मैं ऐसा न करूं, यह कहाँ तक उचित बात होगी? यह हम जिस दृष्टि से देखते हैं उस पर यह बात निर्भर करती है। यदि आप ने यह सोच लिया है कि सरकार का विरोध करना ही हमारा धर्म है, सरकार के काम में बाधा डालना ही हमारा धर्म है और सरकार ने जो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है और उसे न पूरी करने देना ही हमारा धर्म है तो आप ऐसा करके सरकार को उसके कर्त्तव्यों को पूरा करने से रोकते हैं और उसके काम में बाधा डालते हैं। आप को तो यह सोचना चाहिये कि जितनी सरकार की जिम्मेदारी है गरीबों, भूखों और नंगों के प्रति उतनी ही हमारी भी जिम्मेदारी है। परन्तु जो आप का रवैया है वह तो ठीक नहीं है।

मैं आप को एक उदाहरण देना चहता हूं। जैसे एक डाक्टर है और उससे मेरी लड़ाई है और मेरा लड़का बीमार हो गया है और केवल वही डाक्टर ही उपलब्ध होता है और दूसरा नहीं होता है, तो मैं यह कहूं कि चाहे मेरा लड़का मर जाय, यह तो मुझे मंजूर है, पर मैं इस डाक्टर से नहीं कहूंगा कि वह मेरे लड़के का इलाज करे। तो यह बात कहाँ तक उचित है? आप इसका अंदाजा लगाइये। आपका आचरण ठीक ऐसा ही है। आप लोगों ने यहाँ यह कई बार एलान किया है कि हमारे देश में जो भूखे हैं, नंगे हैं उनका उद्धार होना चाहिये। पर वह कैसे हो आप के रुख से तो ऐसा ही मालूम पड़ता है कि वह उद्धार आप अपने ही हाथों से करना चाहते हैं और आपने यह सोच लिया है कि वह काम आप हमारे हाथों से नहीं होने देंगे। यह क्या अच्छी चीज है? हम नहीं रह सकेंगे, मुझे कोई अफ़सोस नहीं है, लेकिन यह देश रहेगा, आप रहेंगे, आप इस काम को करेंगे, हम आपका साथ देंगे, ईमानदारी के साथ साथ देंगे। आपको खुश होना चाहिए अगर सचमुच हम अपनी गर्दन काट रहे हैं, हमें तो उसमें भी आनन्द है कि हम गर्दन कटा दें, पैसा देश के लिए जुटा दें, आप काम कर लीजियेगा। कौन-सा इसके अन्दर आकाश गिर जायगा हमारे भाई अगर उधर से इधर बैठ जाते हैं। वह तो वैसे भी बदल सकते हैं बिना हमारी कुर्सियाँ लिये, लेकिन अगर हमको गिराकर ही बैठना चाहते हैं तो उसके लिये भी दावत है। उसके लिये भी आप कोशिश कर सकते हैं।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

भाई गेंदासिंह ने कहा कि ठीक है, पैसा भी आना चाहिए और इन गरीबों का भला भी होना चाहिए, लेकिन इतना पैसा उधार है, आप नहीं लेते हैं। एक भाई ने यहाँ तक कहा कि यह सरकार का धन्धा हो गया है, जब बजट बनता है तो लास दिखा देते हैं, नये टैक्स लगा देते हैं और जब साल खत्म होता है तो न लास है, न कुछ है। अब यह मामूली गणित की बात है कि अगर बजट में लास नहीं है और सचमुच यह सही है कि लास नहीं है तो यह सारा पैसा कहाँ चला जाता है जो कर द्वारा हम लेते हैं? जहाँ तक उस पैसे का सवाल है जो बकाया है, वह तो हमने अपनी गिनती में गिन लिया है कि यह रकम लेनी है, वह वसूल होगा। यह मान कर हमने अपनी योजना बनायी है। फिर भी उसमें कमी रह जाती है, इसलिये आज हम याचना करते हैं, खुशामद करते हैं कि इस नेक और पवित्र काम में जो कि देश को बनाने का काम है, आप हमारा साथ दें। हम चाहते हैं कि देश में गन्दगी, अशिक्षा, अज्ञान न रहे, कोई बीमार न रहे, इसी काम के लिये हमने जेल जाना स्वीकार किया था। जिस समय मैंने इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत किया था तो निवेदन किया था कि ९०–९५ फीसदी ऐसे हैं जो इस भार को वहन नहीं कर सकेंगे, कठिनाई और तकलीफ होगी, लेकिन आने वाली संतति के हित में यह कड़आ घूंट हमको पीना पड़ेगा। इसमें हमें खुशी नहीं है, लेकिन अनिवार्य है, हम किसी भुलावे में नहीं हैं। हम समझते हैं कि वोट पर असर पड़ता है। सन् १९५७ में जब चुनाव पर गये थे तो एक टैक्स लगा कर गये थे, हमने कहा था कि देश को हम धोखे में नहीं रखना चाहते। अगर हमें भेजते हो तो हम काम करने के लिये आना चाहते हैं जिसमें पैसे के बिना काम नहीं हो सकता। हमारा वोट गिरा उस समय भी, हमने तकलीफ उठाई। इस समय भी योजनाएं हमारी पहले से थीं और मालूम था कि टैक्सेज लगेंगे, वह भी बर्दाश्त किया, लेकिन मेरा निवेदन है कि हमारी तादाद और हमारे चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है, यह बड़ा गौण और छोटा दृष्टिकोण है। हमारा फर्ज होना चाहिये कि जो चीज देश और प्रदेश के हित के लिये जरूरी है उसे हम मंजूर करें। आप, गांधी जी सिर्फ हमारे ही हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? वे आपके भी बापू जी हैं और आपने भी उन से प्रेरणा ली है।

भाई गेंदासिंह जी ने हमें एक सुझाव दिया कि हम राष्ट्रीयकरण चीनी की मिलों का करें और उससे हम न मालूम कितना पैसा कमा सकते हैं। इस विषय में भी थोड़ा सी भ्रान्ति है। मैं राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हूं और आज से नहीं मुद्दत से हूं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर हम चीनी की मिलों का राष्ट्रीयकरण कराने में सफल हो जांय। जिन विभागों से मेरा संबंध रहा है उनमें कई बार यह प्रश्न सामने आया। इलेक्ट्रिसिटी का प्रश्न भी आया कि बहुत सी नगर-पालिकाओं को बिजली प्राइवेट बिजली कम्पनियां सप्लाई करती हैं, क्यों न उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय? उस पर विचार किया गया। जब हम उन चीजों पर गौर करते हैं तो अपने साधनों को भी हमें देखना पड़ता है, यह भी देखना होता है कि कितने आदमी हमारे पास हैं, कितना पैसा हमारे पास है और किन चीजों में हमें उसको लगाना चाहिये। हमें यह सोचना पड़ता है कि उस पैसे को हम उस इलेक्ट्रिसिटी में लगायें जो हमें पहले ही उपलब्ध है, या अपना पैसा उसमें खर्च करें जो नये सोर्सेज पड़े हुये हैं और जिनसे बिजली पैदा की जा सकती है। जहां बिजली पैदा नहीं हो रही है वहां हम लगायें; जो साधन अवेलेबिल हैं उनको मोहइय्या करें। कोई भी बुद्धिमान आदमी जिसको अपने देश का हित प्रिय है, जो बिजली की महत्ता को स्वीकार करता है इस युग में, यह राय नहीं देगा कि हम उन प्राप्त साधनों को नयी बिजली पैदा करने में न लगायें और यदि हम उसमें न लगा कर नयी तरफ अपनी शक्ति के साधनों को लगाते हैं तो कौन-सा बड़ा भारी गुनाह करते हैं? मुझे माननीय विरोधी दल के सदस्य क्षमा करें यदि मैं यह कहूं कि जिसके लिये आप बार-बार हम पर लांछन लगाते हैं कि आपके सारे के सारे अफसर करप्ट हैं, तो उसके लिये एक बहुत अंश तक आप स्वयं भी जिम्मेवार हैं। मुझे याद है कि जिस समय हमने ट्रान्सपोर्ट का काम अपने हाथों में लिया था, उस समय हमारा कितना विकट विरोध किया गया था। मैंने कई बार माननीय विरोधी दल के सम्मानित मित्रों से कहा

कि खुदा के वास्ते यह न समझो कि यह हमारा काम है। यह आपका भी काम है। हम दो दिन यहां हैं, लेकिन यह चीज हमेशा यहां रहने वाली है। आप अगर इसलिये हमारी आलोचना करेंगे कि हमारी हिम्मत पस्त हो जाय, तो हम किसी काम में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हम राष्ट्रीयकरण के काम में भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

मैं एक आपको उस समय की बात सुनाता हूं जब श्री मोदी साहब एक बार लखनऊ तशरीफ लाये थे और उन्होंने कुछ मुझसे कहा था। मैं उस समय मंत्री भी नहीं बना था और विधान सभा में भी नहीं आया था। उन्होंने कहा कि विचित्र भाई आपको मालूम है कि आपकी चुर्क सीमेंट फैक्टरी में कितना रुपया खर्च हुआ है। मैंने कहा कि मुझको तो मालूम नहीं है, आपको मालूम हो तो बता दीजिये। उन्होंने कहा कि १ करोड़ रुपया आपने इसमें वेस्ट किया है। मैं बहुत हंसा और मैंने कहा कि सिर्फ १ करोड़ रुपया। यह तो बड़ा सस्ता सौदा है। उन्हें आश्चर्य हुआ। वहां पर हमारे कुछ सरकारी भाई भी बैठे हुये थे। क्योंकि हम लोग सदन में तो वैसी भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं लेकिन प्राइवेटली तो कर ही लेते हैं, तो मैंने उनकी ओर इशारा करके कहा कि अगर हमारे ये बुद्धू भाई भी समझें कि ये भी कुछ कर सकते हैं और सारी योग्यता और सारी काबलियत सिर्फ मोदी, डालमिया, बिड़ला और टाटा में ही नहीं है, यह आत्म-विश्वास अगर १ करोड़ रुपया खोकर भी हो जाय हमारे राष्ट्र के कर्मचारियों में, तो यह हमारे लिये एक बड़ा भारी गेन होगा। मैंने उनसे यह भी कहा कि आज आप करोड़ों रुपया पैदा करते हैं, गाली हम खाते हैं, हम अपने आदमियों पर गोली चलाते हैं और सक्सेसफुल इन्डस्ट्रियलिस्ट आप कहलाते हैं। भलाई सारी आपको मिलती हैं और गालियां हमको मिलती हैं। हम देश के लिये गालियां खाना और बुद्धू कहलाना भी स्वीकार करते हैं। लेकिन आज मैं अपने आदरणीय मित्रों से यह दरख्वास्त करूंगा कि वे इस चीज में अपना कामन काज हमारे साथ समझें। अगर हम कोई नयी चीज अपने हाथ में लेते हैं तो कौन कह सकता है कि गलतियां नहीं होंगी ?

जिस समय चुर्क फैक्ट्री लगाने की बात थी काफी असमंजस हमारे अन्दर था। हमारे पैसे से बनी थी और हम सोचते थे कि इसका प्रबन्ध स्वयं न करके किसी एक्सपर्ट को दें। लेकिन हिम्मत करके हमने प्रबन्ध स्वयं किया। गलतियां होती हैं और हुईं लेकिन उनसे हमने कुछ सीखा। हिम्मत और आत्मभरोसा हमारे अन्दर आयी। इसी तरह से रोडवेज चलाई, और फायदा हुआ। आज उधर से भी मांग है कि कितना भी भ्रष्टाचार और बदइन्तजामी हो, फिर भी हमको लाभ है। तो मैं चाहूंगा कि एक कदम आप और आगे बढ़ें और हमें प्रोत्साहित करें। कहने का तरीका बदलें, गलतियां तो जरूर होंगी ही, फिर भी आप हिम्मत करके इस काम को अपने हाथ में लीजिये। मुमकिन है कि हमारे यहां से जो नोट आते हैं उनकी भाषा बदल जाय, हमारे अन्दर कुछ आत्मविश्वास हो, नहीं तो यह पेशा सिर्फ हम ही करें कि गाली भी खाते रहें और आपको नाराज भी करते रहें। आप हमारी कमजोरियों और शक्तियों को भी देखिये। वे सीमित हैं, असीमित नहीं हैं। उनका खयाल करके फिर ये सब खामियां होते हुये भी, ऐडमिनिस्ट्रेशन में कमजोरियां होते हुये भी, राष्ट्र के निर्माण का काम चल ही रहा है।

हमारी योजनाओं में स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, सड़कें इत्यादि बन रही हैं। आप सोचिये कि जितना भी योजना का काम है वह होना चाहिये या नहीं। मैं इस बात की वकालत नहीं करना चाहता हूं कि वेस्टेज को हम न रोकें। अगर एक पैसे का भी वेस्टेज हम रोक सकते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिये। जिस पैसे को इतना जोर डालकर हम अपनी जनता से वसूल करना चाहते हैं, हमारा पवित्र कर्त्तव्य हो जाता है कि हम देखें कि उसका वेस्टेज न हो। कहीं भी अगर फजूलखर्ची हो रही हो, इकानामी हो सकती हो, तो वह हमें एकोनामी करनी चाहिये। इसका मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अगर उधर से कुछ कंस्ट्रक्टिव सुझाव आवेंगे, सद्भावना से और मित्रता के नाते आप कहेंगे तो हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। अगर आप गाली देंगे तो मुमकिन है कि हमारी भी बुद्धि उसमें दूषित हो जाय और आपकी बात को न

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

सुनें। परन्तु मैं समझता हूं कि हमारा काम पूरा तभी होगा जब आपका हार्दिक सहयोग, बिना संकोच का सहयोग, हमें मिले। यह हमारी दुःखद ड्यूटी होगी कि आपकी उपेक्षा करें लेकिन यह हमारी इच्छा कभी भी नहीं होगी। हमारी बदकिस्मती जरूर हो सकती है और हो सकता है कि हमें शायद उसका मुकाबला भी करना पड़े। परन्तु हमारी कोशिश यही होगी कि आपका सहयोग और सद्भावना लेकर हम आगे चलें। यह हमारे पश्चाताप का कारण होगा अगर हम किसी भी एक आचरण से या शब्द से जो मूर्खता में या अविवेक में हमारे मुंह से निकल जाता है और उसके कारण आपके सहयोग से हम वंचित रहें, उसकी जिम्मेदारी हम महसूस करेंगे। इस लिये इस दृष्टिकोण को रखते हुये, इस बैक ग्राउन्ड को देखते हुये, इस विधेयक को हम लाये हैं। अन्याय करूंगा मैं और यह आशा करूं कि आपका सहयोग नहीं मिलेगा इस बिल में। इसमें दोष हो सकते हैं। एक दोष तो इसमें यही है कि शायद जो बहुत नीचे के तबके वाले हैं उनके ऊपर भी इसका बोझ पड़े। कुछ जरूर पड़ेगा। अगर उनको हम छोड़ देते हैं तो फिर काफी बड़ी रकम चली जाती है और यह बिल सिर्फ कसम खाने के लिये रह जायगा कि हम शहरवालों पर भी कुछ कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में ज्यादातर गरीब लोग हैं। यह हमारी समझ में नहीं आता कि हम कैसे करोड़ों आदमियों को छोड़ कर देश के निर्माण-कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। हम गरीबों को छोड़ना चाहते हैं, सब पर टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं।

यहां हट को लेकर, झोपड़ी को लेकर, काफी मजाक भी किया गया। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है वास्तव में झोपड़ी पर कर लगाने का। लेकिन अगर झोपड़ी केवल नाम की है और एक सोने का अन्डा देनेवाली चिड़िया या मुर्गी है तो उससे कैसे न लिया जाय? पांच रुपया कम से कम या १० रुपया रखा जा सकता है। यह हमारी इच्छा है कि हमारी योजना में जहां तक सम्भव हो सभी का योगदान होना चाहिये, क्योंकि उससे लाभ तो सभी को होगा जब वह कर्त्तव्य कार्यरूप में परिणत हो जायगी।

कहा गया कि गवर्नमेंट अपने हाथ में बहुत शक्ति लेना चाहती है। हमें शक्ति से कोई बड़ा प्रेम नहीं है। ब्रह्मदत्त जी मायर यहां पर नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि १२० रुपये तक छोड़ दीजिये। मैं तैयार हूं। आप रख दीजिये कि इतने तक रहेगा। लेकिन अगर आप हमें यह शक्ति नहीं देना चाहते हैं तो इसमें ही लिख दीजिये कि ५ रुपया या १० रुपया से नीचे नहीं लगेगा। हमारी स्वतंत्रता को ले लीजिये, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

कहा यह गया कि यह कर मकान मालिकों पर न पड़ कर किरायेदारों पर पड़ेगा। अब १९५० से पहले के मकान रेंट कन्ट्रोल में आ गये हैं उनकी कैफियत यह है कि जैसा कि जमींदारी उन्मूलन देहातों में हुआ वह शहरों में बिना ढोल पीटे हुये हो गया। रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट से वह जमींदारी खत्म हो गयी। अगर वह पंजाब वाला कानून हम नहीं ला रहे हैं कि साढ़े बारह गुना रेंट देकर किरायेदार मालिक बन जाय तो वह सिर्फ इसलिये नहीं ला रहे हैं कि इन मकानों में रोज आदमी आते जाते रहते हैं। अगर एक को दे दिया तो कल दूसरा आदमी आ जायगा। शहरों की काफी आबादी ऐसी है जो आती-जाती रहती है। बहुत से टीचर्स हैं और सरकारी नौकर हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते-आते रहते हैं। कम से कम मकान लोगों को उपलब्ध हो जाता है। अब केवल आइडिल सैटिस्फैक्शन की बात रह गयी कि यह व्यक्तिगत सम्पत्ति हमारी है। अगर कोई इसी प्रकार से आइडिल सेटिस्फेक्शन चाहे तो किसी को ऐतराज ही क्या हो सकता है।

अब कहा यह जा सकता है कि नये मकान जो बने हैं उनके किरायेदारों पर आप क्यों लगा रहे हैं, मकानदारों पर क्यों नहीं लगा रहे? उसका कारण यह है कि वे रेंट कन्ट्रोल में तो हैं नहीं। अगर मान लीजिये कि माह दो माह किसी मकान मालिक को देना भी पड़ गया लेकिन जैसे ही दूसरा आदमी उस मकान में आयेगा तो वह जहां हमने ५ रुपया टैक्स लगाय

है १० रुपया बढ़ा कर किराया बतावेगा और नया आदमी उसको देगा क्योंकि मकानों की बहुत किल्लत है। इसलिये बिला वजह डिस्टर्बेंस हम क्रियेट करना नहीं चाहते। हमें अगर कोई यह बता दे कि इस प्रकार से बाद वाले मकान वालों से यह पैसा वसूल किया जा सकता है तो हमें कोई गुरेज उसमें न होगा। लेकिन वह संभव नहीं है।

इसके साथ ही साथ हम नये मकानों को बनने देना चाहते हैं और अगर सरकार इस सोर्स पर ज्यादा सख्ती करती है तो नये मकान बनना कम हो जायेंगे और उससे वह पैसा जो तिजोरी में रखा हुआ है जिसका देश को कोई लाभ नहीं होता। वह पैसा किसी यूजफुल काम में न लग सकेगा और किसी आइडिल काम में लगा रहेगा। इसलिये फिलहाल इसको चलने दीजिये। आप उसको सोच ही रहे हैं, जब आप इधर आयें तो आप इसको कीजिये। सारे काम आप हम ही से क्यों कराते हैं? यह काम आप अपने लिये रहने दीजिये, कुछ तो आपके लिये हो। यह आप लोग कर लीजियेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि जिस दिन आप लोग इधर आयेंगे और जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ेगी तो थोड़ी बुद्धि जो आज है वह नहीं रहेगी। हमारी बुद्धि भी जब हम बाहर थे और झोला डाल कर चलते थे तथा प्लेटफार्म से लेक्चर देते थे तो ऐसी ही थी और हम भी बहुत वादा करते थे कि आने दो हमको और जाने दो अंग्रेजों को, हिन्दुस्तान स्वर्ग हो जायगा लेकिन हमारा वह ख्वाब मिट गया।

एक सदस्य—अगर ऐसा कहते थे तो गलती करते थे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—गलती करते थे या जो करते थे लेकिन उस समय जैसा ज्ञान था, जैसा विवेक था, जितनी जानकारी थी उसके आधार पर मैं सत्य कहता था और आज जो परिस्थिति है उसे देख कर आज भी सत्य कहता हूं। आखिर जिनकी बाबत सुबह से शाम तक आलोचनाएं आप लोगों की होती हैं, उन्हीं लोगों की मार्फत काम करना है। लेकिन अगर काम करना है, बैठना नहीं है, सड़कों और पुलों को अगर बनाना है, अगर नये स्कूल्स खोलने हैं, अस्पताल खोलने हैं और उनमें नये बेड्स बढ़ाने हैं, अगर नये नलकूप बनाने हैं तो कोई चारा नहीं है कि अगर वे इनएफिशिएंट हैं तो भी आप यह नहीं कह सकते कि ऐसे डिपार्टमेंट्स बन्द कर दिये जायं और अगर कोई हाइएस्ट पोजीशन पर होकर भी कहे तो उसकी बात को कोई जिम्मेदारी की बात नहीं समझेगा। एक जज महोदय ने कहा था कि पुलिस गुंडों का सबसे बड़ा आर्गनाइज्ड दल है, समूह है। लेकिन क्या कोई आदमी अपने होश हवास में कह सकता है कि ऐसे गुंडों के समूह को डिस्बैंड कर दिया जाय और तब तक उनसे इस तरह का काम न लिया जाय? और अगर यह काम करना है और आगे बढ़ना है तो सिवा इसके कोई चारा नहीं है। "महाजनो येन गतः सपंथा", बड़ों ने जो रास्ता दिखाया है उस पर आपको चलना पड़ेगा और खुश होकर चलना पड़ेगा और हमारे साथ हाथ से हाथ मिला कर चलना पड़ेगा, माननीय गेंदा सिंह को भी चलना पड़ेगा। जो मैं कह रहा हूं यह कोई मजाक में उड़ाने की बात नहीं है। आज सब का मुख्य कर्त्तव्य यह है कि अपने यहां प्रोडक्शन को बढ़ावें। आज देश की आबादी बढ़ रही है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। एफिशिएंट या इनएफिशिएंट जैसी भी मशीनरी है अगर वह हाथ पर हाथ रखे बैठी रहे तो क्या देश आगे बढ़ सकेगा? अगर आपको अपने देश को आगे बढ़ाना है तो कोई भी जिम्मेदार आदमी ऐसा नहीं कह सकता। कोई भी जिम्मेदार आदमी यह नहीं चाहेगा कि सड़कों, पुलों का बनना बन्द कर दिया जाय। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो घड़ी के हैंड्स की तरह से आगे बढ़ते ही रहना होगा। केवल च्वायस एक है कि समय की दौड़ में आप साथ देते हैं या नहीं, आप हमको आगे बढ़ने से रोकते हैं या हमारा साथ देकर हमको भी आगे बढ़ने को उत्साहित करते हैं।

अगर एग्रीकल्चरल फार्म्स में कोई गलती है जैसा कि ऊदल जी का खयाल है, तो हमें बतलाइये, उसको सुधारने की कोशिश की जायगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—फार्म्स में एक करोड़ का घाटा हर साल हो रहा है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--अगर १ करोड़ का घाटा हो रहा है और आप विचार करके इस नतीजे पर आवें कि इसको बन्द कर देना चाहिये तो बन्द कर दिया जायगा। लेकिन शिक्षा पर कितने करोड़ का घाटा हमको हो रहा है? आज हमारा करोड़ों रुपया शिक्षा पर खर्च हो रहा है और कहा जाता है कि हम बेकारों की संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या कोई भी आदमी जो अपने होश-हवास में हो और जो सही दिमाग का हो, कभी यह राय देगा कि यूनिवर्सिटीज, कालेजों और स्कूलों को बन्द कर दिया जाय या नये स्कूल कालेज खोलने के लिये ग्रांट्स बन्द कर दिये जायं और नये स्कूल्स न खोले जायं? इस बात को मानते हुये कि जितने आदमियों को शिक्षा दी जा रही है उन सब को हम काम नहीं दे सकते। पहले तो यह आदर्श ही गलत है कि हर शिक्षा पाने वाला नौकरी ही पाये और उसी के लिये वह तैयार होता है। शिक्षा तो अपनी जगह पर आवश्यक है, मेरा वश चले उन्नति के लिये तो हम मेहतर को भी शिक्षा दिलायें, चरवाहे को भी दिलायें, खानों में कोयला ढोने वालों को भी शिक्षा दिलायें ताकि वह भी किताबें पढ़ सकें और वह भी संसार के लोगों के विचार अपने मस्तिष्क तक पहुंचा सकें और एक उन्नति के संसार में विचरण कर सकें। क्या स्कूलों की मांग हो तो स्कूल न खोले जायं, जहां पंचायतें मांग करती हैं कि स्कूल दो, वहां क्या स्कूल न दिये जायं? तो जब यह सारे काम होने हैं और उनको करना है तो वह कैसे होंगे? चीनी मिलों को भी लेने का आरम्भ हम ने कर दिया है, दो जगह हम ने इन मिलों को प्राइवेट मालिकों को न देकर कोआपरेटिव को दिया है और इस तरह से उस जिम्मेदारी को लिया है, अगर उसमें सफलता मिली तो हम उस दिशा में बढ़ भी सकते हैं। यह कोई सिम्पिल या आसान मसला नहीं है। बहुत सी दिक्कतें हमारे सामने हैं जैसे हमारे सूबे की गन्ने की ईल्ड इतनी नहीं है जितनी दक्षिण की तरफ है और अगर हम ही उन को चलायें तो यह भी सोचने की बात है कि हम कितना किसानों को दे सकेंगे और कितना मुनाफा हम कर सकेंगे और अगर हम उन मिलों से मुनाफा करके अपने कामों में लगाने लगें तो कोई बख्शेगा नहीं और कोआपरेटिव ऐक्ट के अनुसार हम ऐसा कर भी नहीं सकते।

योजना के विषय में बहुत-सी बुनियादी और बड़ी-बड़ी बातें कही गईं। श्री झारखंडे राय जी यहां नहीं हैं, मैं दो शब्द उनसे भी कहना चाहता था। उनके साथी बैठे हैं, वह अगर उन तक पहुंचा देंगे तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारी योजना में कोई कमी नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। एक बुनियादी कमी उसमें है और हम चाहते हैं कि उसको हम समझें। वह कमी यह है कि हमने जो अपना मापदण्ड रखा है वह बहुत ही अस्थिर है और चंचल है, हम हर चीज की पैमायश आज अर्थ से या पैसे से करते हैं। अगर कोई मकान की फाउण्डेशन बनाता है और अगर मूल्य मिनट-मिनट पर बदलते हों तो कैसे काम चल सकता है और कोई मजबूत चीज बन सकती है, जब तक हमारा मनी बेसिस होगा हम अपने प्लानिंग में स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि जब तक यूटिलिटी को डिटर मिन करने वाला मापदंड मनी रहेगा वह पैमाना रहेगा तब तक इनिशियेटिव सरकार के हाथ में नहीं रह सकता। वह वहीं तक हमारे हाथ में रह सकता है जहां तक हम अर्थ या मूल्यों को अपने कब्जे में कर सकें, मूल्यों का निर्धारण करने वाले हम हों और कोई दूसरे न हों और तभी हमारा प्लानिंग सफल हो सकता है। लेकिन अगर वह चीज दूसरे के पास चली जाती है तो समाज की बागडोर उस की दूसरी पार्टी, उस अननोन पार्टी जो फंड्स को और कैपिटल को कमाण्ड करेगा उसके हाथ में होगी। हम समझें भाग्य विधाता हम हैं, कानून बनाने वाले हैं, सरकार, पुलिस हमारी, प्रबन्ध हमारा है। लेकिन हमारा प्रबन्ध वहीं तक होगा जहां तक हम एक पुलिसमैन का काम करेंगे, हम वहीं तक प्लानिंग में इफेक्टिव होंगे जहां तक हम वैल्यूज के ऊपर अंकुश रख सकेंगे। आज दुर्भाग्य से वह एक रास्ता नहीं है। पैसे का मूल्य जिसको १,००० रु० महीना मिलता है उसके पैसे का मूल्य और जिसको ६० रु० मिलता है उसके एक रुपये के मूल्य में जमीन आसमान का अन्तर है। जिसे ६० रुपया मिलता है उसके ४ आने के मूल्य की कीमत उसके लिये काफी हो सकती है, जिसका बच्चा बीमार पड़ा है और दूध के लिये तड़प रहा है। लेकिन जिसको १,००० रु० मिलता है उनमें से बहुत तो चेन स्मोकर्स हैं जिनके मुंह में सिगरेट खत्म ही नहीं होती, ८०, ९० रु० सिर्फ स्मोकिंग पर खर्च हो जाते हैं। तो इन दोनों के लिये पैसा समान नहीं है।

एक हजार रुपया पाने वाला अगर बाजार में दूध लेने जाय तो अपने कुत्ते को भी दूध दे सकता है, उसकी देखभाल के लिये एक आदमी रख सकता है और एक गरीब आदमी, उसको अपने बच्चे के लिये भी शायद दूध न मिले और जो ज्यादा पैसा देकर ले सकता है उसे मिल जाय। तो यह बुनियादी दोष हमारी प्लानिंग में है। लेकिन इसके लिये कौन दोषी है ? सिर्फ यह कहना कि हम ही दोषी हैं, यह गलती होगी जब तक वह मूल्य जिसको आप और हम समान तौर से मानते हैं, जब तक आप और हमारे में कोई अन्तर नहीं है और निस्तार नहीं है तब तक वह बोलने वाला भी उतना ही दोषी है जितना कि इस गलत प्लानिंग के लिये विरोध करने वाला है और बनाने वाला है क्योंकि उस जगह हम सब समान हो जाते हैं। वह मूल्य अगर हम बदलें, उसकी चर्चा करें, तो हमें बहुत सी बातें बदलनी होंगी। मैंने कभी-कभी प्राइवेटली कुछ भाइयों से इसकी चर्चा की, जब भी चर्चा की होगी एक या दो के अलावा कभी रेस्पांस नहीं मिला। तो यह दोष है। लेकिन हम बैठ नहीं सकते। जैसा मैंने कहा, हमें आगे बढ़ना होगा और इसी वास्ते यह विधेयक हम लाये हैं। जब तक इस परिस्थिति और वातावरण में हम हैं तब तक इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, इसे खुशी-खुशी हमें बरदाश्त करना चाहिये।

छोटी-मोटी बातें इस समय नहीं कहना चाहता, जब खंडशः विचार होगा तब उनका जवाब दूंगा। उनमें बहुत सी बातें गलतफहमी के कारण कही गई हैं। खैर, उनके बारे में सेकेण्ड रीडिंग के समय कहूंगा। इसलिये मैं अब चाहूंगा कि मेरा प्रस्ताव कि इस बिल पर विचार किया जाय, स्वीकार किया जाय।

*श्री भीखालाल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने हमारे इस संशोधन के पक्ष में अपने मत व्यक्त किये। जैसा मैंने आपसे आग्रह किया था, ५ रोज के बाद विवाद में इस विधेयक के सम्बन्ध में जो शंकायें उठायी गई हैं मंत्री जी पहले उनके बारे में कुछ उत्तर दे दें, उसके बाद हम लोग अपने विचार व्यक्त करें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन हमें दुख है कि १ घंटा १० मिनट लेने के पश्चात भी उन शंकाओं का समाधान नहीं हुआ और सिर्फ यह सुनने को मिला कि हमारा जो उद्देश्य है वह बड़ा ही पवित्र है, हम देश की तरक्की करना चाहते हैं, हम देश का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं जिसके बगैर हमारे सामने जीवन-मरण का प्रश्न है और हमारी आजादी जो कमजोर है उसको मजबूत बनाना हमारा फर्ज है। इससे कौन इन्कार करता है ? और इस ५ दिन की बहस ने इससे इंकार नहीं किया। कुछ बुनियादी सवाल उठाये गये हैं। जिस समय आपने इस विधेयक को प्रस्तुत किया था एक बात कही गयी थी कि सरकार भी नहीं चाहती और माननीय मंत्री जी भी नहीं चाहते कि कर ऐसे आदमियों पर लगाया जाय जिनमें ज्यादा देने की क्षमता न हो और वह चाहते हैं हम भी चाहते हैं कि इस सिद्धान्त का प्रतिपादन हो कि ऐसे आदमियों पर कर लगाया जाय जिनके पास देने की क्षमता हो और इन योजनाओं की पूर्ति के लिये उन पर कर लगाया जाय जिनके पास देने की क्षमता हो। लेकिन जो विधेयक प्रस्तुत है वह बिलकुल इस सदन के विरोध में है, इसका कोई मेल उस सिद्धान्त से नहीं होता। जब हम यह बात देखते हैं और अगर यह कहें कि सरकार और माननीय मंत्री की कथनी और करनी में अन्तर है तो हम दोषी नहीं होंगे। क्या यह सही नहीं है कि इस विधेयक के जरिये से उन बड़े-बड़े कोठी वाले मालिकों को, उन बड़ी-बड़ी अट्टालिकायें वालों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है बल्कि छोटे-छोटे किरायेदारों पर टैक्स लगाया गया है ? माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इस वजह से उनको नहीं छुआ कि मकान के मालिकों से हम चाहते हैं कि हमारे देश में मकान ज्यादा बनें। अगर उन पर टैक्स लगायेंगे तो मकान नहीं बनेंगे, मकान बनना बन्द हो जायगा। उनकी तिजोरियों में रुपया रह जायगा और मकान बनने में नहीं लगेगा। इसलिये उन पर कर नहीं लगाया गया कि वे मकान खाली कराना शुरू कर देंगे और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भीखालाल]

इधर से उधर लोगों को भटकना पड़ेगा । मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपको उन बड़ी-बड़ी कोठी वालों का इतना खयाल है कि वे कोठी बनाना बन्द कर देंगे तो क्या कभी आपने यह सोचा कि हम किसान पर जो लगान बढ़ाने जा रहे हैं और उसकी जेब से पैसा निकल जायगा तो वह मजबूत बैल नहीं खरीद सकेगा और गल्ले की पैदावार कम हो जायगी । क्या कभी आपने यह सोचा कि वह मिल का मजदूर जो छोटी सी कोठरी में रहता है इस टैक्स के जरिये जब किराया बढ़ जायगा और उसकी जिन्दगी की जरूरतों में कमी आ जायगी तो वह मिल में पूरे समय काम नहीं कर सकेगा जिससे उत्पादन घटेगा ? क्या कभी आपने यह सोचा है कि दफ्तर में काम करने वाले पर जब यह टैक्स पड़ेगा और उनकी जिन्दगी की जरूरतों में कमी आयेगी तो यहाँ एफिशियेंसी कम होगी, इससे देश का नुकसान होगा ? सिर्फ उन बड़े आदमियों की हिमायत करना ही आपका काम है, हम अगर यह कहते हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी ।

उधर से यह भी कहा गया कि हमने बड़ी भारी बात कही कि इन टैक्सेशन बिल्स के लाने से कांग्रेस अपने गले में फंदा डाल रही है, कांग्रेस खत्म हो रही है और उसके गले पर तलवार लटक रही है । मैं कहता हूं कि कांग्रेस अपने को खत्म कर देगी । इन बिलों के कारण कांग्रेस अपने गले में फंदा डाल रही है और अपने सर पर तलवार लटकवा रही है । क्यों कहता हूं ? हमें कोई हमदर्दी नहीं है कांग्रेस से । कांग्रेस कल खत्म होती हो तो आज खत्म हो जाय । हमें खुशी होगी लेकिन इसलिये हम ऐसा कहते हैं कि अपने खत्म होने से पहले वह देश को बरबाद कर देगी और जो ४९७ करोड़ रुपया तृतीय पंचवर्षीय योजना में खर्च करने जा रहे हैं वह बरबाद हो जायगा । इसका जवाब आप हमसे न पूछिये बल्कि गोविन्द सहाय जी से पूछिये । उनसे बोल चाल न हो तो उनकी रिपोर्ट पढ़ लीजिये । जन सहयोग के लिये सरकार ने कमेटी बनाई थी । सबसे बड़ी बात यह उन्होंने कही थी कि इन योजनाओं पर जनता का सहयोग नहीं मिलता जिससे योजनायें पूरी नहीं होतीं । जब गरीबों की कमर टूटी हुई है तो और उन पर ज्यादा टैक्स लगा कर आप उनसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं । आप अपेक्षा करते हैं कि मिल के मजदूर की रिहायश और जिन्दगी को महंगा बना दें और वह कारखाने में ८ घंटे के बजाय १० घंटे काम करे और उत्पादन बढ़ाये । क्या आप यह उम्मीद रखते हैं कि मध्यम वर्ग के लोग और छोटे-छोटे कर्मचारी जो दफ्तरों में काम करते हैं उनकी जिन्दगी अगर महंगी होती जायगी तो वे ज्यादा एफिशियेंसी से काम कर सकेंगे ? नहीं कर सकेंगे । यह ४९७ करोड़ रुपया जो आप तृतीय पंचवर्षीय योजना में खर्च करने जा रहे हैं यह बरबाद हो जायगा । इसलिये हम कहते हैं कि आप बरबाद हो जायेंगे । वैसे हमें आपसे कोई हमदर्दी नहीं है, आप भले बरबाद हो जाइये लेकिन प्रदेश को बरबाद करके न बरबाद हों ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम पर अपोजीशन की तरफ से यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम बहुमत के बल पर पास कराना चाहते हैं । मैं कहता हूं और फिर कहता हूं कि यह सही है कि आप बहुमत के बल पर इसे पास कराना चाहते हैं । फिर कहते हैं कि इधर से बड़े-बड़े चैलेंज दिये गये कि अगर यह बिल पास होगा तो हम बाहर निपट लेंगे और यह कहना प्रजातंत्र को खोखला करना है । मंत्री जी कहते हैं कि हम बहुमत के बल पर नहीं बल्कि सत्य के बल पर पास कराना चाहते हैं । लेकिन क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि क्यों उन्होंने अब्बासी साहब का जवाब तलब किया अगर बहुमत के बल पर वे पास कराना नहीं चाहते हैं ? अगर उन्होंने सत्य का सहारा लेकर किसानों पर जो टैक्स लगने वाला है उसके विरोध में वोट दिया तो फिर उनसे क्यों जवाब तलब किया गया ? अगर ऐसा है तो हम यह कहने के लिये मजबूर हैं और यह सही है कि आप बहुमत के बल पर पास कराना चाहते हैं । मंत्री जी की कथनी और करनी में सामंजस्य होना चाहिये, खाली एक सारगर्भित भाषण दे देने से और योजनाओं और उद्देश्यों की पवित्रता बताने से काम नहीं चलता है । आपकी करनी और अलम में कितनी पवित्रता है, इसको भी देखना पड़ेगा ।

इस पाँच दिन की बहस में जो शंकायें मैंने और अन्य माननीय सदस्यों ने उठायीं उनका कोई उत्तर नहीं मिला। इसलिये मैं कहता हूं कि बड़े बुनियादी प्रश्न हैं जिन पर यहाँ बैठ कर विचार नहीं हो सकता। छोटी कमेटी में ज्यादा गहराई से विचार हो सकता है। जब हम छोटी कमेटी में जाते हैं तो आपस में वह कटुता नहीं पैदा होती और हम एक सही दृष्टिकोण पर पहुंचते हैं। इसलिये मेरा जो संशोधन है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय, मैं फिर उसको इस सदन के सम्मुख रखता हूं और चाहूंगा कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पाँच दिन से काफी विवाद इस विधेयक के सम्बन्ध में हुआ। माननीय मंत्री जी का भाषण सुनने के बाद मुझे काफी हद तक तो प्रसन्नता हुई। माननीय मंत्री जी ने अपने हृदय के उद्गार बड़े ढंग से रखे। यह भी कहा कि हम सत्य को छिपाना नहीं चाहते हैं, अपनी कमजोरियाँ भी मानीं और जहाँ तक मैं उनको समझ पाया हूं, वह कह न सकें इस बात को लेकिन शायद उनके बुनियादी मतभेद भी मंत्रिमंडल से हैं। जहाँ माननीय मंत्री जी गाँधीवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं और साथ ही साथ सत्य, ईमानदारी और हृदय के उद्गारों को अपने ढंग से रखते हैं वहाँ इस विधेयक की खामियों को बताने में वे असमर्थ रहे। सब से बड़े दुःख की बात यह है। इस प्रदेश की सरकार ने १५ साल में यदि प्रदेश में बेकारी, भुखमरी, ज्यादती, जुल्म और अनापशनाप टैक्स बढ़ाये हैं तो हमको इसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि एक पूंजीवादी सरकार का यह कर्त्तव्य होता है। चाहे और कोई कहे या न कहे लेकिन काँग्रेस सरकार के प्रति जो मेरी आस्था है १५ साल के राज्य विश्लेषण को लेकर उसमें मैं बिलकुल सरकार को पूंजीवादी, शुद्ध सामन्तवादी और साम्राज्यवादी, इन तीनों का सम्मिश्रण मानता हूं। तो सरकार ने जो भुखमरी, बेकारी, गरीबी, जुल्म और ज्यादती बढ़ायी इसमें तो मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि यह तो हर पूंजीवादी सरकार का कर्त्तव्य होता है। परन्तु कहना इस बात का है कि हमारे मंत्री जी ने स्वीकार तो किया और हम समझते हैं कि एक ईमानदार मंत्री सदन में है जिसने स्वीकार किया कि जब हम झोला लेकर जनता के बीच में घूमते थे तो कुछ और बात कहते थे और आज दूसरी बात कहते हैं। लेकिन वह एक समय था और आज दूसरा समय है। श्रीमन्, काँग्रेस ने इतिहास के पृष्ठों में एक महान गलती की है और देश की जनता भले ही काँग्रेस को माफ कर दे लेकिन इतिहासकार कभी भी माफ नहीं कर पायेंगे। सरकार की कथनी और करनी में एकता नहीं है। आपने देश की जनता का ही विश्वास नहीं खोया बल्कि जो आने वाली संतति है उसका भी विश्वास खो दिया है।

श्रीमन्, जहाँ तक इस विधेयक की बात है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ी खामियाँ हैं। यह दुनिया में हो रहा है और, श्रीमन्, अपने देश में भी हो रहा है कि जनतंत्र की दुहाई लगाई जाती है और देश के रहने वालों का यह चरित्र बन गया है कि अपने से कमजोर को सताया जाय और बलवान के सामने नाक रगड़ो। श्रीमन्, देश के छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़े-बड़े अधिकारियों तक देख लें, यही हालत है। होटल के कर्मचारी को लीजिये, वह दिन भर होटल में बर्तन मांजता है लेकिन जब शाम को अपने घर जाता है तो अपने जूठे बर्तन अपनी पत्नी से मंजवाता है और अपनी पत्नी पर डाट लगाता है। लेकिन जब वह होटल के मालिक के सामने जायगा तो नाक रगड़ेगा और अगर पुलिस के सिपाही के सामने जायगा तो वहाँ भी नाक रगड़ेगा। जब वह सिपाही थानेदार के सामने जायगा तो नाक रगड़ेगा और गिड़गिड़ायेगा। जब थानेदार एस० पी० के सामने जायगा तो नाक रगड़ेगा और गिड़गिड़ायेगा। इसी तरह से जब एस० पी०, डी० आई० जी० और आई० जी० के सामने जायगा तो नाक रगड़ेगा और गिड़गिड़ायेगा। जब आई० जी० मुख्य मंत्री गुप्ता जी के सामने आयेगा तो नाक रगड़ेगा और गिड़गिड़ायेगा और जब हमारे मुख्य मंत्री जी नेहरू जी के सामने जायंगे तो वहाँ कह आयंगे कि जनता पर टैक्स जरूर लगेगा। तो, श्रीमन्, यह कोई नया काम नहीं हो रहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

है। यह चरित्र बन गया है कि अपने से कमजोर को सताया जाय। जब हमारे रक्षा मंत्री जी चीन के सामने जायंगे तो नाक रगड़ेंगे और निःशस्त्रीकरण की बात करेंगे और इधर-उधर की बात करेंगे। मैं एक की बात नहीं कहता हूं बल्कि सारे समाज की बात कहता हूं।

आज सरकारी पक्ष की ओर से बलिदान, त्याग और तपस्या की बात कही जाती है। हम लोग कोई दूसरे देश के आदमी नहीं हैं। हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में हमने सरकारी पक्ष के लोगों से ज्यादा नहीं तो कम बलिदान नहीं किये हैं और आज भी यदि देश पर संकट आयगा तो हम दावे से कहते हैं कि हम लोग और विशेषकर समाजवादी पार्टी के लोग पीछे नहीं रहेंगे। उधर से राजा महाराजाओं के बारे में कहा गया। मेरा उनसे मतभेद है। अगर आज राजे महाराजे मौजूद हैं तो यह कांग्रेसी सरकार की कमजोरी है। इसमें सोशलिस्ट पार्टी का क्या कसूर है? मेरी समझ में नहीं आता है कि एक तरफ तो यह त्याग और तपस्या की बात कहते हैं और दूसरी तरफ जनता को भूखी मार डालें। तृतीय पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिये इन्होंने नई-नई बातें कहीं। यह कोई तुक की बात नहीं है। यहाँ इस पर विचार विमर्श हो रहा है और कांग्रेस के अन्दर और पार्टी में भी हो सकता है। हमारे मुख्य मंत्री जी वायदा करके आये हैं कि टैक्स लगेगा चाहे लोग कितना ही विरोध करें, जनता कितनी भी खिलाफत करे। परन्तु, श्रीमन्, हमको तो जनता के सामने जवाब देना है और यह सदन ८ करोड़ जनता का प्रतिबिम्ब है, हम यहाँ इसलिये अपनी बात कहना चाहते हैं कि जनता जान जाये कि हमने तो सुझाव दिया था लेकिन सरकार ने नहीं माना।

श्रीमन्, मैं माननीय गेंदासिंह जी की बात सुन रहा था। उन्होंने कैसा अच्छा विचार सदन के सामने प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि यदि सरकार की योजना ठीक है तो सरकार कर्जा ले ले और उस योजना से जो उत्पादन बढ़ेगा उससे प्रदेश की जनता को भी लाभ होगा और कर्जा निबट जायगा और जनता भी खुशहाल होगी। लेकिन सरकार को तो अपनी योजनाओं पर भरोसा ही नहीं है। सरकार नहीं जान पाई है कि उसकी यह योजना सफल होगी या नहीं। इसकी प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनायें असफल हो चुकी हैं। इसलिये तीसरी भी असफल हो सकती है और जितना रुपया टैक्स का लगाया जा रहा है उसकी बड़ी भारी रकम फिजूलखर्ची में जायगी। इसमें कभी दो रायें नहीं हैं। परन्तु हां की संख्या ज्यादा है, उसके आधार पर रोज रोज सदन में एक विधेयक गलत तरीके से पास करा लेना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। अभी मंत्री जी ने कहा कि आप का क्या नुकसान, कांग्रेस सरकार ही समाप्त होगी। भोखालाल जी ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हम को कांग्रेस सरकार से कोई हमदर्दी नहीं। लेकिन वह प्रदेश को समाप्त कर रही है उसका दुख है। इन विधेयकों को पास करने के बाद सरकारी पक्ष के लोग जनता में जाकर तो कोई बात कह नहीं सकेंगे लेकिन हम से भी इस प्रदेश की जनता कहेगी कि तुम हमारे प्रतिनिधि थे, तुम कसौटी पर ठीक नहीं उतरे, तुमने हमारी बात ठीक से नहीं कही और सरकार ने टैक्स लगा दिया। तो दोनों तरफ की जिम्मेदारी हो जाती है। कितनी ही बढ़िया बात हम कहें, लेकिन हां की संख्या ज्यादा है, इसलिए वह बात ठुकरा दी जाती है।

माननीय सूचना मंत्री ने तो बड़ा भावुकतापूर्ण भाषण दिया। उन्होंने रूस और चीन की बात कही। लेकिन उनको समझ लेना चाहिए कि रूस के इतिहास और हिन्दुस्तान के जनवादी इतिहास में बड़ा अन्तर है। रूस की क्रान्ति और हिन्दुस्तान की जंगे आजादी में बड़ा अन्तर है। वहां के सर्वहारा वर्ग ने क्रान्ति करके अपना शासन स्थापित किया लेकिन हमारा तरीका इससे बिलकुल भिन्न है।

श्री रामप्यारे---व्यवस्था का प्रश्न है। जो संशोधन है उस पर बोल रहे हैं या अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर बोल रहे हैं?

श्री राधेश्याम शर्मा---जब वह बोल रहे थे तो वह उस समय न मालूम किस पर बोल रहे थे। जब हम बोलते हैं तो व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---दोनों तरफ से बात हो गयी। अब आप रिप्लाई दे रहे हैं तो उन्हीं बातों का जवाब दें।

श्री राधेश्याम शर्मा---अभी मंत्री जी की तरफ से यह कहा गया कि जब बच्चा बीमार होता है तो माता पिता उसका इलाज करवाते ही हैं, अपने बच्चे का आपरेशन करवाते ही हैं। उसी तरह से जनता बच्चा है और सरकार डाक्टर है। जनता का आपरेशन तो सरकार करेगी ही चाहे वह चिल्लाये। मरीज जनता के वोटों से सरकार डाक्टर कैसे बन सकती है? मरीज जनता के वोटों को पाकर सरकार मरीज ही होगी, डाक्टर कैसे हो गयी? डाक्टरी का अधिकार किसने दे दिया? समाजवादी पार्टी आज प्रदेश की जनता को आपसे कम बुद्धिमान नहीं समझती। समाजवादी पार्टी की निगाह में आज प्रदेश की जनता बिलकुल मरीज नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप ने मरीज जनता के वोट लेकर, उसका डाक्टर बन कर, उसका आपरेशन करने के लिए ठेका क्यों ले रखा है। दुनिया के जनतांत्रिक देशों में जो कोई भी बात होती है उसको यह कांग्रेस सरकार बिलकुल नहीं मानती।

शर्मा जी सत्य की बात कहते हैं, लेकिन अगर सदन में उनकी पार्टी का कोई सदस्य सत्य बात कहता है तो उसको नोटिस मिल जाता है और शायद विकल जी को भी लिख कर दे दिया जायगा। चाहे पार्टी में विधेयक आये, न आये लेकिन अगर सदन में कोई अपनी आत्मा की बात कह दे तो फौरन उसको नोटिस दे दिया जाता है। तो आत्मा की बात कहने कौन देता है? यदि आप जनवाद में विश्वास रखते हैं तो मैंने एक सिद्धान्त की बात कही। उस को नहीं दोहराता लेकिन एक बात जरूर कहता हूं। आप जनवादी मुल्कों की बात करते हैं। जनवादी देश पांच साल के लिए अपनी किस्मत का फैसला कभी नहीं करते हैं और यदि करते हैं तो वे देश जिन्दा देश नहीं कहे जा सकते हैं, प्रजातंत्र के हामी देश नहीं कहे जा सकते हैं। टैक्सों के सवाल पर प्रजातंत्र में जिन्दा देश कभी पांच साल के लिए अपनी किस्मत का फैसला नहीं करते हैं, पांच साल में अनेक बार वे ऐसे प्रश्नों पर अपना फैसला किया करते हैं जो जनता के जीवन और मरण के प्रश्न होते हैं। इन सप्ताहों में श्रीमन्, जो विधेयक इस सदन में चल रहे हैं वह जनता के जीवन और मरण के प्रश्न हैं। उनको लेकर के जनता को मरीज समझना तो बिलकुल तुच्छ बुद्धि की बात है। अगर आप जनता को मरीज समझते हैं तो आपने उनको यह नागरिक अधिकार क्यों दिये? वह अधिकार आपको उनसे छीन लेने चाहिए। मरीजों को कहीं नागरिक अधिकार दिया जाता है? मेरी समझ में नहीं आता कि आप एक तरफ तो उनको नागरिक अधिकार देते हैं और दूसरी तरफ जनता को मरीज बताते हैं, यह दोनों ही बातें कैसे मेल खाती हैं? इसके माने यह हैं कि आप जनवाद में विश्वास नहीं करते हैं। आप अपने को जनता का ठेकेदार क्यों समझ लेते हैं? जनता के ठेकेदार न आप हैं और न हम हैं। हम तो यह कहते हैं कि यह जितने भी विधेयक आप ला रहे हैं और खास तौर से यह गृह वाला विधेयक जो आप लाये हैं इसको जनता की राय जानने के लिए आप म्युनिसिपैलिटीज में भेजिए, टाउन एरियाज में भेजिए, नोटीफाइड एरियाज में भेजिए, और जनमत संग्रह कीजिये और अगर जनमत आपके पक्ष में है तो आप अवश्य ले आइए। जनमत के लिए मैं यह कहूंगा कि हम लोग जायं उन म्युनिसिपैलिटीज में, टाउन एरियाज में और नोटीफाइड एरियाज में और उनको समझायें कि यह तृतीय पंचवर्षीय योजना सफल नहीं होगी, क्योंकि दो योजनायें इससे पहले की असफल हो चुकी हैं, और आप जायं उनसे यह कहें कि नहीं, यह सफल होगी, यह गलत बात कहते हैं, इसमें इतनी सड़कें बनेंगी, इतने पुल बनेंगे, ये इतने काम होंगे। इस तरह जनता में जाकर विवाद करें हम भी और आप भी। तीन चार महीने में जनमत संग्रह होकर आ जाय और अगर वह आपके पक्ष में हो तो आप यह टैक्स लगाइए और अगर आपके पक्ष में न हो तो शान्ति से बैठ जाइए। लेकिन आप इसको मानने को तैयार नहीं हैं।

[श्री राधेश्याम]

मुझे तो माननीय विचित्र नारायण जी की बात में और माननीय मुख्य मंत्री जी की बात में बड़ा फर्क मालूम पड़ता है। माननीय मुख्य मंत्री जी अर्द्ध-डिक्टेटर की तरह बात करते हैं। एक तरफ तो जनतंत्र की बात और दूसरी तरफ धौंस-धपड़ भी देते जाते हैं कि यदि विरोधी दलों ने जरा भी उकसाया तो कुचल डाले जायेंगे। अभी नैनीताल में भाषण दिया और जगह-जगह जाते हैं तो यही कहते हैं कि क्योंकि हम तो सत्ता में हैं इसलिए टैक्स हम लगायेंगे, जनता ने हमको चुना है और यदि विरोधी दल के लोगों ने कोई इस काम में गड़बड़ी की तो क्योंकि सत्ता हमारे हाथ में है इसलिये हम उनको रौंद देंगे। रौंदने की बात माननीय मुख्य मंत्री जी करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता है। हमको सदन से आप अच्छी तरह से हटवा सकते हैं क्योंकि पुलिस आपके हाथ में है लेकिन चीन के सामने जाकर आप गिड़-गिड़ाने लगते हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं वही बात कह रहा हूं कि जनता के अन्दर तानाशाही की बातों को रखकर—(व्यवधान) जरा सुनने की क्षमता अपने अन्दर लाइये और मैं माननीय चन्द्रभानु गुप्त से कहना चाहता हूं कि जरा अपनी फौज को सम्हालिये। हम लोग तो उच्छृंखल कह दिये जाते हैं, लेकिन जरा अपनी सुनियंत्रित फौज को सम्हालिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जनतंत्र का सवाल है, जनतंत्र के अन्दर कभी भी प्रदेश या देश के मुख्य मंत्री इस प्रकार का एलान नहीं किया करते हैं। यह कौन नहीं जानता है कि माननीय चन्द्रभानु जी गुप्त के हाथ में सत्ता है, शक्ति है? यह तो हम भी जानते हैं और समझते हैं कि उनके पास पुलिस है, पी०ए०सी० है। यह भी हम जानते हैं कि जेलखाने मौजूद हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि ब्रिटिश हुकूमत भी यही बात कहती थी और जेलों में हमें भेजती थी। हम कोई नये नहीं हैं। इस १२ साल के अन्दर २२ बार जेल हमने काटी है। अंग्रेजी राज में भी जेल गये हैं और इस राज्य में भी गये हैं। कोई नया काम नहीं करने जा रहे हैं। हर तरह की कार्यवाही हमारे ऊपर हुई है लेकिन सच्ची बात कहने से हम कभी नहीं चूकने वाले हैं।

एक बात हम आपकी मान सकते हैं कि प्रदेश की जनता का वातावरण आप ऐसा बनायें, नागरिकों के बीच जाकर उनको यह बात समझायें, फिर जनमत संग्रह करें, तो उस जनमत का आदर तो हम कर सकते हैं लेकिन ३४ फी सदी वोटों से चुनी हुई सरकार का आदर हम नहीं कर सकते। हम इसे जनता की सरकार मानते ही नहीं हैं। अगर यह सरकार जनतंत्र की पद्धति में विश्वास नहीं करती है तो पांच साल के लिये हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं, बड़े-बड़े सम्राट इस देश में हुये, श्रीमन्, मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी रहा हूं। कितने लोग आये और चले गये। इतने घमंडी लोग चले गये जिनका एकछत्र राज्य था। उनका आज पता भी नहीं है। हमारे मुख्य मंत्री जी बड़े बेचैन हैं अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये और हमसे कहा जाता है कि हम उसको असफल करने के लिये बेचैन हैं लेकिन, श्रीमन्, यह मुख्य मंत्री जी भूल जाते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग जहां प्रदेश की भलाई होती है, चाहे उसके लिये हम कड़ी भाषा का ही इस्तेमाल करें लेकिन उसमें हम सहयोग देने को तैयार होते हैं। हम अपने को प्रगतिशील विचारधारा के लोग मानते हैं इसलिये इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं...

श्री उमेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—माननीया मंत्राणी जी सदन में पुस्तक पढ़ रही हैं जिसका सदन की कार्यवाही से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा—मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक बात की दरख्वास्त करना चाहता हूं और वह यह है कि इस तीसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता का ठेका सारा का सारा आप अपने ऊपर ही क्यों ले लेते हैं। इसका थोड़ा-सा हिस्सा हमारे ऊपर भी तो छोड़ दीजिये। हम भी उसमें आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। पर आपको तो हमारा विश्वास नहीं है। दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह बात कही गई थी जिसको आप बार बार यहां पर कहते हैं। मैं कहता हूं कि जनता को यह बात नहीं बतलाई गई। मैंने गुप्ता जी का भाषण तो नहीं सुना और न उनके भाषण में यह बात मैंने कहीं पढ़ी कि चुनाव के दौरान इस तरह

की कोई बात उनके द्वारा कही गई हो। पर मैंने तो दूसरे लोगों से भी इस तरह की कोई बात घोषणा पत्र के सम्बन्ध में नहीं सुनी। इसी वजह से हम जनता में जाकर इस बात को कहते हैं और टैक्स का विरोध करते हैं। आपके मंत्रिमंडल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बात को जनता के सामने नहीं रखा। जनता को नहीं बतलाया गया कि तीसरी योजना के लिये इतने भारी टैक्स आप और लेंगे। जनता को क्या कहें, हमको ही उस समय मालूम होता है जब यहां पर कोई चीज सामने आ जाती है। इस टैक्स की बात को जनता के सामने रखा गया होता तो कभी इतने लोगों ने आपका साथ न दिया होता। जिन लोगों ने टैक्स की बात को जनता के सामने रखा वह आज प्रदेश के बड़े बड़े मिनिस्टर औंधे मुंह पड़े हुये हैं। आज उनके लिये यहां पर कोई स्थान नहीं है। यह मैं मानता हूं कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं। मैं यह भी मानता हूं कि ६७ फी सदी प्रतिनिधि विरोध में चले गये और ३३ फी सदी आपके पक्ष में गये। जनता में जितना शिक्षा का आधार था और जितनी जनता शिक्षित थी उसके आधार पर उसने हमको और आपको चुन कर भेजा है। आप देखें कि जो लोग चुनकर आये हैं वह किसके बल पर चुनकर आये हैं।

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात चली तो माननीय पांडेय जी ने पत्र पढ़ कर बात साफ कर दी कि चीनी मिलें क्यों आपको चन्दा देती हैं और हमको नहीं देती हैं। आप प्रदेश की ८ करोड़ जनता से अपनी योजना के यज्ञ में आहुति लेना चाहते हैं। जिनके पास आहुति देने के लिये कुछ भी नहीं है वे कैसे आहुति दे सकते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। सरकार को यह बहुत बार समझाया मगर वह समझने को तैयार नहीं है। हमारे मुख्य मंत्री जी प्रदेश के भामाशाह कहे जाते हैं और उनकी पार्टी के लोग तो यह कहते हैं कि मुख्य मंत्री चाहे जितना धन प्रदेश से इकट्ठा कर सकते हैं। कल गेंदासिंह जी ने बतलाया था कि आपकी साख बहुत नामी है और बहुत अच्छी है। चाहे जितना रुपया आपको मिल सकता है लेकिन यह भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप मुख्य मंत्री कैसे बने और किस तरह से आपने इस सदन की कुर्सी को हथियाया है। यह केवल गुटबन्दी के आधार पर कुर्सी आपने हथियाई है। (व्यवधान) एक बात जरूर कहूंगा कि माननीय सम्पूर्णानन्द का उदाहरण सामने रखें कि जिन्होंने एक बात के ऊपर ही कुर्सी छोड़ दी थी। ऐसा कहीं नहीं हुआ है। वे समाजवादी विचारधारा के अनुयायी थे तो यह उनकी समाजवादी विचारधारा का द्योतक है। (व्यवधान) माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने यह एलान कर दिया था कि अगर प्रेसिडेंट हमारा हार जायगा तो हम अपने प्रांत में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। सम्पूर्णानन्द जी ने फिर वैसा ही किया....

श्री बनारसीदास—व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य पहले बोल चुके हैं और इस समय जो उत्तर दे रहे हैं तो उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। जो बातें कही गई हैं उन्हीं बातों का जवाब दे सकते हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, उधर से कई सदस्य इस तरह से बोले हैं और मैंने बड़े ध्यान से माननीय हरी सिंह और दूसरे लोगों की बातें सुनीं।

श्री उपाध्यक्ष—आप जरा सुन लीजिये, कायदे की बात यह है कि जवाब में सिर्फ वही बातें कही जाती हैं जो संगत हों। आप बोल चुके हैं और इस समय जवाब में, आपकी बातें संगत नहीं हैं, प्रसंग में नहीं आता।

श्री राधेश्याम शर्मा—मैं वहीं आ जाऊंगा और आप की बात मानूंगा। कल भी इस प्रकार के भाषण हुये थे और उस समय हमने बार बार व्यवस्था का प्रश्न उठाया था....

श्री उपाध्यक्ष—भाषण इस तरह के चाहे इधर से या उधर से कितने ही हुये हों, लेकिन इस वक्त आप जवाब दे रहे हैं। जवाब में वहीं बातें होनी चाहिये (व्यवधान) जो भाषणों से निकलती हों।

श्री राधेश्याम शर्मा—अगर हाउस में जो बातें कही गयी हैं उन सब का मैं जवाब नहीं दूंगा तो कैसे इस विधेयक को कंडेम करा सकूंगा ?

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---एक प्वाइंट आफ आर्डर मेरा भी है। उधर के लोग अपनी बात कहते हैं और जब हम उसका जवाब देते हैं तो आप हमें रोकते हैं, इसके लिये आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री उपाध्यक्ष---कौन सी बात कही गयी है ? उसका आप जवाब दे दीजिये।

श्री राधेश्याम शर्मा---मेरे पास सारी बातें नोट हैं और मैं पढ़ लिख कर आता हूं।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---इधर की बातें तो कुनैन की तरह से लगती हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा---खैर, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हमारे मुख्य मंत्री जी जब उस सरकार को पलट कर इतनी बड़ी अपनी सरकार बना सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिये रुपया इकट्ठा करना। कानपुर के कितने ही मिल मालिक, सेठ साहूकार आज उनके साथ ह। वे उन से अलग नहीं हैं। तमाम पूंजीपतियों से चन्दा ले कर माननीय मुख्य मंत्री जी इस तृतीय योजना को सफल कर सकते हैं। इसमें कौन बड़ी बात है ? अगर रुपये की कमी पड़ जाय तो वे कर्ज ले कर काम चला सकते हैं और फिर भी जरूरत पड़े तो टैक्स लगायें, लेकिन बुनियादी सवाल उनको मानना पड़ेगा। यदि वह अपने को जनवादी कहते हैं तो इस काम का, इस विधेयक का ठेका और तृतीय योजना को सफल बनाने का ठेका सारे का सारा स्वयं वे न लें। इस विधेयक को वे जनता के समक्ष जाने दें। जनता को मरीज कह कर खुद डाक्टर बनने का श्रेय वे न लें। अगर प्रदेश की जनता में बुद्धि न होती तो सरकार का मंत्रिमंडल कैसे बनता और अगर बुद्धिविहीन जनता ने मंत्रिमंडल बनाया है तो यह मंत्रिमंडल भी बुद्धिविहीन ही होगा। इसलिये जनता में घुमा कर इसे जनमत इकट्ठा किया जाय और मैं तो इस राय का हूं कि अगर जनमत सरकार के पक्ष में होगा तो हम कभी इस के लिये मना नहीं करेंगे और अगर यह सरकार अपनी किस्मत का फैसला नहीं कराना चाहती है तो अच्छा यही है कि वह इसे जनता के सामने ले जाय। इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और वहां इस पर गंभीरता से विचार हो, क्योंकि सदन में गंभीरता से विचार होना मुश्किल है। सही बात यहां इधर से कही जाय या उधर से, मानी नहीं जाती। यहां तो तर्क के लिये तर्क दिया जाता है। प्रवर समिति में इस पर गंभीरता से विचार हो और वह अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करे और फिर इसे जनमत के लिये भेजा जाय, उसके बाद सदन इन तमाम कर लगाने वाले विधेयकों पर बैठ कर विचार करे। अगर जनता का समर्थन उन के साथ होगा तो हमें उन्हें मानने में कोई इन्कार न होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में अपनी बात कही और इसका महत्व समझा। मुझे तो काफी बातों का जवाब देना था इसलिये मैंने अपनी बात कही और यह भी बताया कि समाजवादी पार्टी के लोग राजे महाराजों के समर्थक नहीं हैं। हम तो प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं। राष्ट्र का जहां तक प्रश्न आता है उसमें समाजवादी पार्टी आगे बढ़ कर आवाहन स्वीकार करती है, लेकिन दुख है कि कांग्रेस पार्टी आज भी राजे महाराजों को रखे हुये है। आपके राज्य में ही ये राजे महाराजे मौजूद हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विधेयक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसके खिलाफ लखनऊ की जनता ने एक प्रदर्शन किया है, वह जनता विधान सभा भवन के सामने आ रही है। अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं और उन्हें निमंत्रण देता हूं कि वे जनता के सामने चल कर अपनी बात कहें और उनकी बातें सुनें। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना उत्तर दें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---मैं तो रोजमर्रा ही जनता के बीच में घूमता फिरता हूं और अपने विचारों को जनता के मध्य प्रकट करता रहता हूं। अभी जैसा कि मुझे बताया गया कि करीब दो हजार व्यक्ति आने वाले हैं, उनसे मैं अपरचित नहीं

हूं। जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे भी मैं परिचित हूं। मैं समझता हूं कि यदि उन्हें कोई बात मुझ से कहनी है और वे अपनी बातें मेरे समक्ष रखना चाहते हैं तो उनमें से ४–५ व्यक्ति मेरे कमरे में आ जायें और उनसे मैं बातें कर लूंगा। उनके विचारों को सुनूंगा और अपने विचारों को उनके समक्ष रखूंगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं बहुत कुछ निवेदन कर चुका हूं और कोई खास बात और नहीं कहनी है। जब विधेयक खंडवाइज चलेगा तो मैं कहूंगा। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि मेरा प्रस्ताव पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो पन्द्रह दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ को सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, जिसे परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपनी रपट १० दिन के अन्दर सदन के समक्ष प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ को जनमत-संग्रह के लिये भेज दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh (Urban Areas) Lands and Buildings Tax Bill, 1962] पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में— परिभाषायें

(१) "करदाता" का तात्पर्य ऐसे भवन या भूमि के स्वामी से है, जिसके सम्बन्ध में कर देय हो, और उसकी मृत्यु हो जाने पर, उसके विधिक प्रतिनिधि से है;

(२) "भवन" के अन्तर्गत गृह, बाह्य गृह, अस्तबल, छादक, झोपड़ी तथा अन्य बाड़े या संरचनायें हैं, चाहे वे पक्की चुनाई, ईंट, लकड़ी, मिट्टी, धातु या किसी भी अन्य पदार्थ की बनी हों और चाहे किसी भी काम में लायी जाती हों, किन्तु इसके अन्तर्गत तम्बू या कोई ऐसी अन्य चल संरचना नहीं है;

(३) "नगर" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ३ के अधीन नगर के रूप में संघटित किसी स्थानीय क्षेत्र से है; उ०प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९

(४) "कलेक्टर" का वही अर्थ होगा जो यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में है और इसके अन्तर्गत अतिरिक्त (एडीशनल) कलेक्टर भी है; यू०पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१

(५) "आयुक्त" का वही अर्थ होगा जो यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में (Commissioner) का है और इसके अन्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त (एडीशनल कमिश्नर) भी है;

उ०प्र० अधिनियम संख्या १९३९

(६) "भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो भवन के स्थल के रूप में काम में लायी जाती हो या लायी जाने योग्य हो, किन्तु जो यू०पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ में यथापरिभाषित holding (जोत) न हो;

ऐक्ट संख्या ५, १९०८

(७) "विधिक प्रतिनिधि" का तात्पर्य वही होगा जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में "legal representative" का दिया गया है;

(८) "स्थानीय क्षेत्र" का तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है जो किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रशासित हो ;

(९) "स्थानीय प्राधिकारी" का तात्पर्य—

(क) किसी नगर की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में , उस नगर की नगरमहापालिका से है ;

(ख) किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में, उस नगरपालिका के नगरपालिका बोर्ड से है;

(ग) किसी नोटीफाइड एरिया की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में, उस नोटीफाइड एरिया की नोटीफाइड एरिया कमेटी से है;

(घ) किसी टाउन एरिया की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में, उस टाउन एरिया की टाउन एरिया कमेटी से है;

यू० पी० ऐक्ट, संख्या २, १९१६

(१०) "नगरपालिका" का तात्पर्य यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट १९१६ की धारा ३ के अधीन म्युनिसिपैलिटी के रूप में घोषित किसी स्थानीय क्षेत्र से है ;

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

(११) "नगरपालिका बोर्ड" का तात्पर्य यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के उपबन्धों के अधीन संघटित म्युनिसिपल बोर्ड से है;

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

(१२) "नोटीफाइड एरिया" का तात्पर्य यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ३३७ के अधीन नोटीफाइड एरिया के रूप में घोषित किसी स्थानीय क्षेत्र से है;

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

(१३) "नोटीफाइड एरिया कमेटी" का तात्पर्य यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ३३८ की उपधारा (१) के खंड (सी) के अधीन नियुक्त कमेटी से है;

(१४) "अध्यासी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके वास्तविक अध्यासन या उपयोग में ऐसी भूमि या भवन अथवा उसका भाग हो, जिसके सम्बन्ध में कर देय हो, और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(क) अध्यासीन स्वामी;

(ख) किरायेदार जो तत्समय उसके सम्बन्ध में स्वामी को किराया दे रहा हो या किराये का देनदार हो ;

(ग) उसका किराये से मुक्त किरायेदार या लाइसेंसगृहीता ; और

(घ) वह व्यक्ति, जो उसके अनधिकृत उपयोग तथा अध्यासन के लिये स्वामी को क्षतिपूरक का देनदार हो ;

(१५) "आदेश" का तात्पर्य गजट में प्रकाशित आज्ञा से है ।

(१६) किसी भूमि या भवन अथवा उसके भाग के सम्बन्ध में "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो तत्समय उसका किराया लेता हो अथवा जो उसे किराये पर उठाये जाने की दशा में किराया लेने का हकदार होता, और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:—

(क) अभिकर्ता या न्यासधारी जो स्वामी की ओर से ऐसा किराया लेता हो ;

(ख) अभिकर्ता या न्यासधारी जो धार्मिक या पूर्त्त प्रयोजनों के लिये समर्पित किसी भूमि या भवन का किराया लेता हो या जिसे उस भूमि या भवन का प्रबंध सौंपा गया हो ;

(ग) प्रापक (रिसीवर) सम्पत्ति निरोधक (sequestrator) या प्रबंधक, जिसे क्षेत्राधिकारयुक्त किसी न्यायालय ने उस भूमि या भवन अथवा उसके भाग का प्रभार लेने या स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त किया हो ;

(घ) उसका भोग-बन्धकधारी :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि या भवन के विषय में उसका पट्टेदार या अनुदानग्रहीता (grantee) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, यथास्थिति, भूमि या भवन का स्वामी समझा जायेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसी भूमि के विषय में जो तीस साल या अधिक के पट्टे पर हो, उसका पट्टेदार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उसका स्वामी समझा जायगा;

(१७) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(१८) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(१९) "कर" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन देय कर से है;

(२०) "टाउन एरिया" का तात्पर्य यू०पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की धारा ३ के अधीन टाउन एरिया के रूप में घोषित किसी स्थानीय क्षेत्र से है; यू० पी० ऐक्ट संख्या २,१९१४

(२१) "टाउन एरिया कमेटी" का तात्पर्य यू०पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की धारा ५ के अधीन स्थापित कमेटी से है ; यू० पी० ऐक्ट संख्या २,१९१४

(२२) "नागर क्षेत्र" का तात्पर्य, यथास्थिति नगर, नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया की सीमाओं में समाविष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र से है;

(२३) "वर्ष" का तात्पर्य वित्तीय वर्ष—अर्थात् १ अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी ३१ मार्च को समाप्त होने वाली अवधि से है ।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द 'उसके' और 'विधिक' के बीच 'उत्तराधिकारी या' शब्द जोड़ दिये जायं।

यह तो एक शाब्दिक चीज है। मेरा खयाल है कि माननीय मंत्री जी इससे एग्री कर जायेंगे। क्योंकि 'विधिक' इससे कोई भी आदमी हो सकता है, चाहे वह वारिस न भी हो। लेकिन कोई भी लीगल रिप्रेजेन्टेटिव हो सकता है। इस तरह से आप देखें कि यह एक शाब्दिक हेर-फेर की बात है। उसके आ जाने से वे बातें कवर हो जाती हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कोई आदमी अपनी पैतृक सम्पत्ति को किसी ट्रस्ट को दे देता है। इसलिये जो हेरिडेटरी चीज है, उसके लिये उसे अधिकार नहीं है कि वह वारिस चेंज कर सके। ऐसी चीजों से गड़बड़ हो जाता है। यह कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के लिये ठीक होना चाहिये। जो लीगल हेयर (heir) हो और लीगल रिप्रेजेनटेटिव हो, दोनों ठीक तरीके पर उस चीज को अपने-अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकें। इसलिये सिर्फ शाब्दिक चीज है और मैं समझता हूं कि इससे गड़बड़ी साफ हो जायगी। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह बिलकुल अनावश्यक है। "विधिक प्रतिनिधि" वास्तव में लीगल टर्म है और कोर्ट में जो लीगल है वही माना जायगा। इसलिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द 'उसके' और 'विधिक' के बीच 'उत्तराधिकारी या' शब्द जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसीदास—एक बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि कल माननीय अध्यक्ष महोदय के कमरे में सभी दलों के नेता मौजूद थे और आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि जो संशोधन मंत्री महोदय को मंजूर हैं उनको वह पहले बतला दें कि मंजूर हैं और वह बिना विरोध के स्वीकृत हो जायं और फिर दूसरे संशोधन लिये जायं, जिससे सदन का समय बच जाय। माननीय नेताओं ने माना है कि १० या १२ तारीख को ३-४ बजे तक यह समाप्त हो जायगा, फिर सेल्स टैक्स अमेंडमेंट बिल ले लिया जाय। मैं समझता हूं कि अब उधर से कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष—विरोधी पक्ष में कोई साहब कुछ कहना चाहते हैं? क्या मैं यह समझूं कि यह बात सही है?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—मैं जानना चाहूंगा कि यह जो उन्होंने बताया कि एग्रीमेंट हुआ था तो यह कब हुआ था?

श्री बनारसीदास—यह कल तय हुआ था और उस समय माननीय यादवेन्द्र दत्त, नरसिंह नारायण जी, रामसुन्दर पांडेय जी, डाक्टर अहमद आदि सभी नेता लोग मौजूद थे, सभी ने यह स्वीकार किया था।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह बात सर्वमान्य है। जो समझौता हो गया उसी के मुताबिक हम चलेंगे।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—यदि ऐसी बात हुई थी तो माननीय मंत्री जी को खंडशः संशोधन लेने के पहले सूचना दे देनी चाहिये थी और समझौते का पालन पहले ही होना चाहिये था और इस समय तो नेता लोग भी मौजूद नहीं हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—आपका प्रस्ताव क्या है ?

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव यह है कि कल सभी दल के नेताओं ने तय किया था, क्योंकि ५ दिन तक आम बहस चली और शुरू में खयाल था कि ३ दिन से ज्यादा बहस नहीं होगी। उस समय श्री उग्रसेन और डाक्टर अहमद ने भी तजवीज रखी कि जो संशोधन गवर्नमेंट को स्वीकार हैं उनको मान लिया जाय और दूसरे संशोधनों पर बहस की जाय जिससे सदन का समय बच जाय। यह जो आपने आपत्ति की कि पहले क्यों नहीं प्रस्ताव रखा, तो कमला सिंह जी का अमेंडमेंट था, उसको तो पेश करना ही था और उस पर सदन को विचार करना था, इसलिये उस समय प्रस्ताव नहीं रखा। अब आगे जो "ख" पर संशोधन है उसको स्वीकार करना है और सामने आना है, इसलिये कहना उचित समझा लेकिन यह तो माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि सब नेताओं ने कल एक फैसला किया था कार्यक्रम के संबंध में।

श्री चन्द्रजीत यादव—मैं समझता हूं कि जो बनारसीदास जी ने प्रस्ताव रखा है उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होगी। जो संशोधन सरकार को स्वीकार होंगे वह किसी भी वक्त किये जा सकते हैं। आप कहते हैं कि कल यह बात तय हुई थी नेताओं में, तो इस समय कोई नेता मौजूद नहीं है, इसलिये जिस तरह से चल रहा है उसको चलने दें और सोमवार को यह बात तय होगी। अगर कल कोई बात तय हुई होगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आज चलने दीजिये। एक दो संशोधन हैं कमला सिंह जी के, ये हो जायं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय चन्द्रजीत जी ने कहा, इस काम को अभी ऐसे ही चलने दीजिये। ज्यों-ज्यों संशोधन आते जायेंगे और जिनको माननीय मंत्री जी स्वीकार करते जायेंगे उन पर बहस नहीं होगी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है, इस वक्त ऐसे ही यह चलेगा और सोमवार से वह बात चलेगी।

*श्री कमलासिंह यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) की पंक्ति १ से शब्द 'अस्तबल, छादक, झोपड़ी' निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, डिफिनीशन बहुत वाइड होनी चाहिये। जहाँ तक इस विधेयक का संबंध है, इसमें कुछ दोष आ गया है और वह दोष उस वक्त मालूम होगा जब खंड ३ की तरफ सदन का ध्यान जायगा। खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध में यह लिखा है—"प्रतिबन्ध यह है कि उस भूमि के संबंध में कर, जो भवन से अनुलग्न हो, जहाँ तक उस (भूमि) का क्षेत्रफल एक एकड़ से अधिक न हो, उक्त भवन के संबंध में देय कर में सम्मिलित समझा जायेगा और केवल एक एकड़ क्षेत्रफल के अतिरिक्त भूमि पर कर पृथक रूप से लगाया जा सकेगा।" अब अगर किसी के पास दो एकड़ जमीन है और उस पर कोई भी भवन नहीं है और उसमें उसने झोपड़ी लगा दी, तो उस वक्त क्या होगा ? एक एकड़ आपको छोड़नी होगी और उस पर कोई टैक्स नहीं लगायेंगे, लेकिन अगर झोपड़ी नहीं है, अस्तबल नहीं है, छादक नहीं है, तो उस भूमि को भी आप कवर कर लेंगे और कानून के अन्दर कोई चीज नहीं है कि अगर किसी आदमी के पास एक एकड़ की जमीन हो और उस पर वह झोपड़ी लगादे या अस्तबल आदि लगा दे तो आप इस कानून के अन्दर उसको घेरे में ला सकें। तो इस घेरे से बचने के लिये यह बहुत जरूरी है कि डिफिनीशन में जो यह तीन शब्द आये हैं उनको हटा दिया जाय। श्रीमन्, बड़े आदमी का अस्तबल झोपड़ी में नहीं होगा। वह तो उसके मकान के पास या उसी मकान में होगा, दरवाजे के पास या उसी जगह कहीं पर। लेकिन जो सायबान होता है, जो एक रुपया या दो रुपया रोज कमा पाता है, वह तो एक झापड़ी या शेड लगा कर अपने घोड़े को बाँधता है। तो वह भी अस्तबल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

होगा। इस डिफिनीशन के अन्दर उसकी वह झोपड़ी भी आ जायेगी। तो जो गरीब ताँगे वाले हैं, इक्के वाले हैं, वे मुसीबत में आ जायेंगे। इसलिये यह जरूरी है कि ये शब्द निकाल दिये जाँय।

दूसरी बात यह है कि जहाँ तक झोपड़ी का सवाल है, कोई भी गरीब आदमी है जिसके पास कोई जरिया नहीं है और वह पक्का मकान नहीं बना सकता है और किसी अन्य तरीके से मिट्टी से या सीमेन्ट से वह उसको बना लेता है तो उसकी झोपड़ी पर भी आप कर लेंगे। यह उचित नहीं होगा। टाउन एरिया वगैरह में या हर जगह यह देखा जाता है कि जो बड़े आदमी हैं वह तो पक्के मकान बना रहे हैं ...

श्री उपाध्यक्ष—झोपड़ी के संबंध में सरकार एक दूसरा संशोधन मंजूर करने जा रही है, इसलिये उसके बारे में आपको ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—लेकिन मैं तो तीनों के बारे में कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने अर्ज किया कि सरकार झोपड़ी के बारे में एक संशोधन मंजूर कर रही है।

श्री कमलासिंह यादव—मैं कह रहा हूं कि झोपड़ी के साथ इन दोनों को भी ले लिया जाय। जिस प्रकार से झोपड़ी में गरीब लोग रहते हैं उसी प्रकार से गरीब लोग अलाहिदा अस्तबल बनाते हैं, उनको भी छोड़ दिया जाय। शेष और सब धारा ३ में कवर हो ही जाते हैं। मैं समझता हूं माननीय मंत्रीजी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—झोपड़ी को हटाने की बात तो मैं स्वीकार कर रहा हूं। बाकी और शब्दों को निकालने की आवश्यकता इसमें है नहीं क्योंकि वह तो रेंटल वेल्यू पर रखा जा रहा है। किसी झोपड़ी से अगर १०० रुपया माहवार की आमदनी है तो क्यों न उससे लिया जाय और अगर किसी मकान से जो पक्का बना है, उससे अगर एक पैसा भी वसूल नहीं होता है तो उससे वसूल नहीं किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप अपना संशोधन वापस लेते हैं ?

श्री कमलासिंह यादव—वापस लेने का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—मंत्री जी ने अभी कहा था कि झोपड़ी को वह मान रहे हैं तो इसमें उसे स्वीकार कर लिया जाय।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—संशोधन जिस रूप में है उसी रूप में तो रहेगा। उस सारे को माना नहीं जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष—क्या आप अपने संशोधन को प्रेस करते हैं ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—मंत्री जी झोपड़ी वाला संशोधन स्वीकार कर लेंगे। हमें यह कैसे मालूम हो कि आगे वह उसको स्वीकार करने वाले हैं ? वह आपके पास आ गया होगा, हमारे पास तो है नहीं। यह एक अजीब चीज होगी कि एक संशोधन एक जगह तो नामंजूर कर दिया जाय और दूसरी जगह उसको मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—उसको तो मंत्रीजी ने स्वयं स्वीकार ही कर लिया है।

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) की पंक्ति १ से शब्द 'अस्तबल, छादक, झोपड़ी' निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है—

खंड २ के उपखंड (२) की पंक्ति १ में से शब्द 'छादक, झोपड़ी' पंक्ति २ में से शब्द 'मिट्टी' तथा पंक्ति ४ में से 'शब्द किसी भी अन्य पदार्थ की बनी हों और चाहे किसी भी काम में लायी जाती हो' निकाल दिये जायं ।

मेरा मतलब यह है कि यह छादक और झोपड़ी....

श्री उपाध्यक्ष—मंगलदेव जी, 'छादक, झोपड़ी' को निकालने पर तो राय ली जा चुकी है, आप बाकी को रखिये ।

श्री मंगलदेव—आगे पंक्ति २ और ४ के संशोधन रह जाते हैं ।

जब इस प्रकार से संरचना का नाम लेकर किसी भी तरह की चीज बनती है या किसी भी काम में लायी जाती है तो इसकी मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता कि "मिट्टी" शब्द को यहां रखा जाय, क्योंकि मिट्टी के बने हुये मकान गरीब आदमियों के ही होते हैं और खपरैल छाये हुये होते हैं। इसलिये मेरा संशोधन है कि इसमें से शब्द "मिट्टी" को निकाल दिया जाय ।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—मुझे यह स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में से शब्द "मिट्टी" तथा पंक्ति ४ में से शब्द "किसी भी अन्य पदार्थ की बनी हों और चाहे किसी भी काम में लायी जाती हो" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) में शब्द "झोपड़ी" निकाल दिया जाय। इस संबंध में मुझे केवल इतना कहना है कि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा—कि हमें शब्द से नहीं बल्कि इसके कन्टेंट से मतलब है । माननीय सदस्यों के जो भाषण हुये हैं उनकी भावना का आदर करते हुये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि इसमें से "झोपड़ी" शब्द को निकाल दिया जाय क्योंकि यह पी० एस० पी० का सिम्बल भी है ! मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे यह स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) में शब्द "झोपड़ी" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

***श्री कमलासिंह यादव**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) की पंक्ति २ से शब्द "मिट्टी" निकाल दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस जमाने में यह देखा जाता है कि हर आदमी को रहने के लिये मकान की जरूरत होती है । अगर बड़े आदमी हैं तो वे तो ईंटों से या और बहुत सी चीजें होती हैं जिनसे वे मकान बना सकते हैं लेकिन वे गरीब जिनके रहने के लिये कोई स्थान नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

है वह किसी तरीके से अपना कमा करके मिट्टी का छोटा सा मकान अगर बनाता है तो उस पर भी आप टैक्स लगाने जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने इसमें झोपड़ी के लिये छूट रखी है लेकिन मान लीजिये कि कोई मिट्टी का मकान हो और खपरैल हो तो उसकी क्या पोजीशन होगी? उस पर भी आप टैक्स लगा रहे हैं। इसलिये जो ऐसे छोटे-मोटे मकान मिट्टी के बने हुये हैं और खपरैल से छाये हुये हैं उनमें रहने वाले किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, कम से कम उन पर टैक्स न लगावें। अगर ऐसे मकानों का वैल्यूएशन किया जाय तो वह भी बहुत ज्यादा नहीं होगा और उनका किराया भी ज्यादा नहीं होगा लेकिन उन पर भी आप टैक्स लगाने की सोच रहे हैं। आजकल के जितने अपटुडेट आदमी हैं अगर उनको ऐसे किसी मिट्टी के मकान में बसने के लिये कहा जाय तो वे उसमें बसना पसन्द नहीं करेंगे। ऐसे मकानों में तो ऐसे ही आदमी बसना पसन्द करेंगे जो गरीब हैं और जिनके लिये दूसरा कोई सहारा रहने का नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोग जो गरीब हैं और किसी तरह से मिट्टी के मकान बना कर उनमें रहते हैं उनको अगर आप बरी करते हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं है क्योंकि उसकी वेल्यूएशन अधिक नहीं है और इस तरह से गरीब लोगों को इससे छुटकारा मिल जायगा, यही भावना हमारी इस में है। मुझे आशा है कि मंत्री जी जो कहते हैं कि हम गरीबों की रक्षा करते हैं या जो वह कहते हैं कि जो टैक्स नहीं दे सकते उनको बरी करेंगे तो ऐसे मंत्री जी से मैं आशा करता हूं कि बिना किसी भेदभाव के वह "मिट्टी" शब्द को निकालने की कृपा करें।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस बिल की परिधि में जो सूची संलग्न की गई थी वह कुछ सीमित थी और वह इसलिये थी कि वहां की जनसंख्या और वहां की आय ऐसी थी कि जिस पर टैक्स लगाया जा सकता था लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल सदन को सूचित किया कि वह प्रदेश की सभी नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया, और अन्य स्थानीय निकायों पर कर लगाने वाले हैं। मैं अर्ज करूंगा कि अमूमन टाउन एरियाज बिलकुल देहाती क्षेत्र ही होते हैं और उसमें दो चार ही पक्के मकान होते हैं। वह केवल एक प्रबन्धात्मक सिलसिला सा ही होता है। वहां पर गरीब किसान, मजदूर, हरिजन और छोटे लोग ही रहते हैं और किसी तरह से वह अपने इन कच्चे मकानों में बसर करते हैं। इसकी परिधि और बढ़ेगी और टैक्स अपनी सीमा पर लगेगा। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि छप्पर में सोने के अंडे निकलते हों तो हो सकता है कि उनकी बात सच्ची हो और उनके कर निर्धारण अधिकारी भी यही समझें कि इनमें सोने के अंडे निकलते होंगे। वह उस पर खूब अधिक असेस करेंगे और इस तरह से उन टाउन एरियाज और नोटिफाइड क्षेत्रों में गरीबों पर अधिक से अधिक टैक्स लग जायगा। वह धन एकत्र होकर किस काम में लगेगा, इसका कोई अन्दाजा नहीं है, बहाना तृतीय पंचवर्षीय योजना का जरूर है, अभी तक ब्लाकों में यह टाउन एरियाज हैं लेकिन उन से कोई भी राहत हमें नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता और जब कुछ नहीं मिलता तो उसके नाम पर उनसे पैसा वसूल किया जाय, यह कफन खसोटी होगी और गरीबों को चूसना होगा। नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया का चेयरमैन पदेन ब्लाक समिति का अध्यक्ष होता है और उस नाते वह अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी स्थिति में उसका हिस्सा क्षेत्र में समझना चाहिये, वहां पर दूसरा प्रबन्ध है ऐसा कोई टकराव नहीं है। मिट्टी से बने मकान गरीब किसान मजदूरों के होते हैं जिन के पास पक्के बनाने के लिये पैसा नहीं होता, अगर जरा भी किसी की हालत सुधरती है तो वह एक कोठरी ही, एक पक्का दालान ही, एक पक्का दरवाजा ही बनाने की बात सोचता है लेकिन जिस के पास पैसा ही नहीं वह कच्चे में गुजर करता है। ऐसी हालत में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कच्चे छप्पर के मकान किसी भी हालत में कर लगाने लायक नहीं हैं। वह उन पर कर लगाने की बात न सोचें और कम से कम उनको बरी कर दें।

श्री विचित्र नारायण शर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि उन भाइयों ने अहद कर लिया है कि समझ की बात को भी नहीं समझेंगे। बार-बार कह दिया गया कि

मकानों का वैल्यूऐशन उनकी यूटीलिटी वैल्यू के ऊपर होगा, वह आप ही कम होगा। अगर टाउन एरिया कहीं है वहां टूटे-फूटे मकान हैं और उनका रेंट बहुत कम होगा ७ रुपया, ८ रुपया होगा तो वे मकान छूट जायेंगे। कोई टाउन एरिया खुशहाल है और वहां मामूली छप्परों का किराया ५० रुपया और १०० रुपया है तो उन्हें छोड़ने का कोई सवाल नहीं है। जहां सम्पत्ति की वेल्यू ज्यादा है, मकानों का किराया ज्यादा है, वेल्यू ज्यादा है और जगह ज्यादा प्रासपरस है तो थोड़ा बहुत कर जरूर मकानों पर लगेगा चाहे वह मिट्टी के ही बने हुये हों लेकिन अगर कहीं अच्छे अच्छे मकान हैं लेकिन लोग कम हैं और किराया बहुत कम है, वेल्यू मकानों की बहुत कम है तो वहां कर का सवाल पैदा नहीं होता। यह तो वेल्यू पर और किराये पर निर्भर करता है।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन रखा है माननीय कमला सिंह जी ने इसका मैं समर्थन करता हूं। मंत्री जी की बात मेरी समझ में नहीं आती। यह बड़े घपले की बात मालूम होती है। जितने बड़े लोग हैं यह मिट्टी को आने ही नही देते अपने मकान में। वे मुश्किल से बर्तन मलने के लिये ही मिट्टी आने देते हैं। हम और आप सब जानते हैं कि मिट्टी के मकान किसके होते हैं। अगर सरकार की नीयत साफ है तो इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये और इस संशोधन के मान लेने में क्या हानि उसकी होगी? यह तो अटक लड़ाई की बात है कि आ बैल मुझे मार। वरना आपको इस संशोधन के मानने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये। मिट्टी व खपरैल वाले मकान बिड़ला, टाटा, डालमिया पदमपत, हीराचन्द वालचन्द, माननीय चन्द्रभानु गुप्त, सब मिनिस्टर और एम०एल०ए० रख नहीं सकते और वही शख्स रखेगा जिसको रोजी और रोटी तक का इन्तजाम नहीं होगा। जो बारिश के चार महीने इन मिट्टी के मकानों में रह जाते हैं उनके बच्चों व बीबी को रात में नींद नहीं आती है।

श्री उपाध्यक्ष--छोटे-छोटे मकानों पर तो माननीय मंत्री कर छोड़ रहे हैं।

श्री लखीसिंह--कहां छोड़ रहे हैं? मंत्री जी कानन बना कर कलेक्टर को भेज दग और वहां जो घिस्सा पट्टा होती है वह सभी जानते हैं। वहां अधिकारी मिट्टी तथा खपरैल वालों की खाल तक खींच लेते हैं और वह कानून की पंक्तियों पर मस्त हो जाते हैं। मैं तो तब मानूंगा जब माननीय मंत्री जी कमला सिंह जी के संशोधन को मान लेंगे। यात्री-कर और मोटर कर वाला जो विधेयक आया था उसको लाने वाले बहुत अच्छे मंत्री थे। उन्होंने कई संशोधन मान लिये। हमारी लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब यह खंडों का मामला चल दिया है और मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उन्होंने अपने भाषण में बड़ी भागवत की कथा सुनायी हमको और हम सुनते रहे। पंडित जी हैं, बहुत बढ़िया चीजें थीं, लेकिन मेरे अन्दाज में उसमें यही था कि जो हमारी तरफ कहा करते हैं गांवों में कि पंडित जी जब कथा कहते हैं तो कहते हैं कि बैंगन के स्वाद में दोष होता है, बैंगन की सब्जी मत खाओ और पंडिताइन से कहते हैं कि बैंगन मंगवा लीजिये। तो पंडित विचित्रनारायण शर्मा जी महाराज, देखिये, आपने कहा था कि हम खादी में बड़ा अच्छा काम करते हैं, मुझे खादी वाले बुला रहे थे। हम सब खादी पहनते हैं, मैं तो ३०-३५ साल से खादी पहनता हूं। आपको एक सुझाव दूंगा कि आप इस फजीते में से निकल कर, गुप्ता गिरोह से अलग हो के, खादी बेचो, आपकी भी मुक्ति होगी, हमारी भी मुक्ति होगी, जनता धन्यवाद देगी कि माननीय विचित्रनारायण शर्मा जी इस विधेयक को लात मार कर खादी का कमंडल ले कर चले गये। हम तो आपके पुराने साथी हैं। हमने भी तो कहा था जनता से कि आधी आबपाशी होगी, आधा लगान होगा, रिश्वतखोरों को ठोंक दिया जायगा और जमींन्दारी प्रथा खत्म करने के बाद कोई मुआविजा नहीं दिया जायगा। लेकिन महाराजजी, यह क्या हो रहा है? बताइये पंडित विचित्र नारायण शर्मा जी, हम जनता से क्या कहेंगे। असेम्बली के द्वार पर जा कर देखिये, कई हजार आदमी इस सरकार के नाम पर रो रहे हैं....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय लखीसिंह जी, यह तो विषय नहीं है।

श्री लखीसिंह—मैं तो आपकी आज्ञा सदा मानता हूं। जितने संशोधन आये हैं बड़े अच्छे विद्वानों ने सोच कर लिखे हैं। इधर के लोग बड़े विशेषज्ञ हैं और इनका दिमाग सही है। उधर के लोगों का भी दिमाग सही है लेकिन कुछ लोगों का, ज्यादा का नहीं, मगर वे भी बेचारे डर के मारे कुछ नहीं कहते हैं, हमसे तो लाबी में कहते हैं, नोटिस दिखाते हैं कि यह हमने लिखा है, हम तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी का एलेक्शन का पैर लचता है तब टिकट कौन देगा? टिकट तो कांग्रेस महारानी ही देगी। लेकिन मैं बता देता हूं कि जितने भी माननीय सदस्य उधर बैठे हैं, जिनको गुप्ता जी पीछे बैठने वाले कहते हैं, हम भी पीछे बैठने वाले हैं, तो इधर के और उधर के सब पीछे बैठने वाले एक हो जायं और ये जितने विधेयक हैं इनका भंडाफोड़ करें और इन संशोधनों को एकमत से स्वीकार करें, अगर आपको और हम को जनता को मुंह दिखाना है और फिर आगे एम० एल० ए० बनना है तो। नहीं तो, विचित्रनारायण शर्मा जी से मैंने कह दिया है कि हम भी कमंडल ले लें और वे भी कमंडल ले लें और गुप्ता जी महाराज के मंत्रि मंडल को खुली छुट दे दें। यह खूब मनमाने कर लगाते रहें, हमें कोई मतलब नहीं है। इन शब्दों के साथ, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी हमारी बात मानेंगे।

***श्री चैतन्यराज सिंह** (जिला अलीगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा दरख्वास्त करूंगा, जैसा कि उन्होंने कहा है कि नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया में किराये कम होते हैं, वहां पर कच्चे मकान और पक्के मकान में कोई अन्तर नहीं होता है, और यूटिलिटी पर टैक्स लगता है, इस बात को सही मान लिया जाय तो मैं निवेदन करूंगा कि 'मिट्टी' जो शब्द है उसे स्वीकार किया जाय। लेकिन जिस रूप में है उसमें उसे स्वीकार न करके जहां म्युनिसपैलिटीज हैं, जहां पर कच्चे मकान बहुत कम हैं और जहां पर कच्चे मकान और पक्के मकान के किराये में काफी डिसपैरिटी है वहां पर कवाल टाउन्स में मिट्टी के मकानों को जरूर छूट दी जाय। यह मेरा मंत्री जी से निवेदन है।

***श्री कमलासिंह यादव**—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मिट्टी का सवाल है, मंत्री जी ने यह बताया कि वैल्यूएशन या किराये पर है। अगर ऐसी कोई बात विधेयक में होती जिसमें डिस्टिंकशन किया गया होता, तो ठीक था और इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां वैल्यूएशन का सवाल नहीं है। यहां गरीब और अमीर में कुछ डिस्टिंकशन मैं नहीं पाता हूं। गरीब को भी टैक्स देना पड़ रहा है और अमीर को तो देना है ही। लेकिन साथ ही साथ हम भी आदमी हैं और अमीरों को बचाने के लिये यह कहा गया है कि किरायेदार पर टैक्स रख दिया गया है। गरीब आदमी अगर एक मकान बना कर रहता है, किराये पर नहीं उठाता है तो उस पर भी टैक्स है। इसलिये जरूरत होती है कि 'मिट्टी' शब्द निकाल दिया जाय और मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने भूल की है और हो सकता है कि कुछ दिन बाद संशोधन आये। इसलिये मैं चाहूंगा कि सदन इस संशोधन को पास करे और 'मिट्टी' शब्द निकाल दिया जाय।

श्री विचित्रनारायण शर्मा— श्रीमन्, जो निवेदन मुझे करना था कर दिया, मुझे यह मान्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उप-खंड (२) की पंक्ति २ से शब्द 'मिट्टी' निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारा संशोधन निम्न है कि खंड (२) के उप-खंड (२) के अन्त में निम्न प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—"प्रतिबन्ध यह है कि झोपड़ी, मिट्टी एवं ईंट की दीवाल-खपरैल की छाजन वाले भवन के स्वामी से कर वसूल नहीं किया जायगा, जिसका इस्तेमाल स्वामी स्वयं करता हो।"

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा संशोधन ऐसा है कि पिछले जितने संशोधन आये हैं जैसे जगदीशशरण अग्रवाल जी का है कि 'झोपड़ी' शब्द निकाल दिया जाय, श्री मंगलदेव का है कि 'छाजन' शब्द निकाल दिया जाय, मैं समझता हूं कि ये सारे संशोधन इस संशोधन में कवर हो जाते हैं।

(इस समय ४ बज कर ३१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इस संशोधन मे यह बात कही गयी है कि सिर्फ झोपड़ी वाले का मकान या ऐसी झोपड़ी जिस की मिट्टी या ईंट की दीवाल हो, और उसके उपर छाजन या खपरैल हो, या खरपात का छप्पर हो, ऐसे मकान को कर मुक्त कर देना चाहिये, जिसका स्वामी स्वंय उस मकान में रहता हो। मैं यह मान कर चलता हूं कि बहुत शहरों में ऐसे अमीर लोग हैं जो बीसों, सैकड़ों मकान खपरैल के बना कर किराये पर दिये हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिये प्रतिबन्ध की जरूरत नहीं है। छूट सिर्फ उसको मिलनी चाहिये जो स्वंय उस मकान में रहता हो। मैं शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वह लखनऊ शहर में घूमते होंगे। शहर में बहुत से मकान ऐसे हैं, जिनके नीचे नालियों में पाखाना और पेशाब बहता रहता है। उन्हीं नालियों के पास घर पर छप्पर डाल कर हजारों लोग रहते हैं। जरा सोचने समझने की बात है। मेहतर हैं, भंगी हैं, इक्का हांकने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, छोटे छोटे गरीब आदमी अगर इस तरह का मकान बना कर रहते हैं तो उन पर भी आप टैक्स लगाने जा रहे हैं। हमारा मंशा यह है कि जो इस तरह का मकान बना कर जो रहता हो किराये पर न दिया हो ऐसे व्यक्ति से किराया न वसूल किया करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इतने संशोधन हैं सब संशोधनों से अच्छा संशोधन यह है। इससे माननीय शर्मा जी की कठिनाई भी दूर हो जायगी और प्रदेश के उन लोगों को राहत मिलेगी जो सही मानों में गरीब हैं। दूसरे के मकान में न रहते हुए झोपड़ी में रहते हैं। मेरा विश्वास है कि इस संशोधन को माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी स्वीकार करेंगे

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, एक तो यह संशोधन बहुत ही गलत जगह है। जहां पर हम उसकी परिभाषायें दे रहे हैं वहां पर यह लाना कि क्या नहीं लगाया जायगा, वह बिल्कुल स्थान भ्रष्ट है। इसके अलावा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि जब हम दूसरे आदमी से लें तो जो आदमी खुद अपने मकान में रहता है उससे टैक्स न लिया जाय। यह कोई वैलिड ग्राउन्ड डिस्क्रिमिनेशन का नहीं है। इसलिये मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—श्रीमन्, मैं इस संशोधन के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। झोपड़ी, मिट्टी ईंट की दीवार, खपरैल की छाजन जिस पर हो, यह इसमें शामिल है। श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि यह तो वैल्यूएशन पर निर्भर करता है कि किस पर टैक्स लगे, किस पर न लगे। मुझे यह निवेदन करना है कि शहरों में, नोटीफाईड एरिया में, टाउन एरियाज में जैसा मैंने पहले कहा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पक्के मकान हैं और अपने मकान के अलावा भी उन्होंने कुछ मकान बना रक्खे हैं जिनको उन्होंने किराये पर उठा रक्खा है, अगर उन पर कोई टैक्स इस किस्म का आता है तो वह इस स्थिति में हैं कि टैक्स दे सकें। कुछ तो वह आमदनी से दे देंगे इस लिए कि वह इस स्थिति में हैं कि टैक्स दे सकें, और कुछ किरायेदारों से लेकर के दे देंगें। किरायेदारों पर यह टैक्स पड़ रहा है। लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जो म्युनीसिपैलिटीज, नोटीफाइड ऐरिया और टाउन एरियाज में रहते हैं और जिन्होंने अपने अकेले रहने के लिए मकान बना रखा है। वह मिट्टी का है, झोपड़ी के रूप में है या कोई और ढंग का है, थोड़े बहुत बाबू किस्म के लोग हैं जो कुछ पैसा कमाते हैं उन्होंने ईंट की दीवार बना ली है लेकिन खपरैल उसके उपर रख छोड़ी है, उनके

[श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय]

पास इतनी आमदनी नहीं है कि वह उसकी छत बनवा सकें और उसे पक्का करा सकें। इस किस्म के लोगों पर यह टैक्स पड़ेगा, वह उचित नहीं है क्योंकि एक ही मकान उसके पास है श्रीमन्।

अब जरा अन्दाज आप करें कि अब तक तो ऐसे लोगों को म्युनीसिपैलिटीज का टैक्स वगैरह ही देना पड़ता था। उसे दे कर के किसी तरह हर मुसीबत से बच कर रात में वह शान्तिपूर्वक अपने घर में, उसे अपना समझकर सोता था। अब ऐसी स्थिति पैदा हो जायगी श्रीमन्, कि उनको अपने घर में भी चैन से नींद नही आयेगी। किस समय कुर्क अमीन वारन्ट ले करके आ जाय, उनके बाल बच्चों को निकाल कर बाहर कर दें, उनका सामान बाहर फेंक दे, उनको बेघरबार का कर दे। अगर उसके बच्चे बीमार हैं, परेशान हैं, और उस समय उससे टैक्स मांगा जाता है और उसे बे घरबार का किया जाता है, तो यह कहां तक मुनासिब है? ऐसे आदमी को जिसके पास केवल एक ही मकान है, अगर आपकी जनतन्त्रात्मक सरकार राहत न दे सके तो फिर यह अन्याय की बात होगी। अपना घर जो होता है वह कितना प्यारा होता है। "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।" अपनी जन्मभूमि से कितना प्रेम आदमी को होता है। आप विलायत चले जांय, लेकिन जब आप वहां से चलेंगे तो आपकी निगाह उस झोपड़े पर ही होगी, उस खंडहर पर ही होगी जहां पर आप पैदा हुये हैं, जहां पर आप अपनी आगे की जिन्दगी बसर करने की इच्छा रखते हैं। श्रीमन्, अगर ऐसे लोगों के मकान भी इससे बरी नहीं किये जायेंगे जो कि साधनहीन हैं, गरीब हैं, उनका भी खयाल नहीं किया जायगा, तो फिर काम चलने वाला नहीं है। यह एक ऐसी चीज है जिससे जनसाधारण में एक क्षोभ पैदा होगा और इस सरकार के प्रति एक घृणा पैदा होगी। माननीय मंत्री जी ने झोपड़ी निकाल दिया, उसके लिये उन्हें धन्यवाद है। मिट्टी के लिये वह इसरार कर रहे हैं। लेकिन मिट्टी और खपरैल इन दोनों को भी अगर वह निकाल दें तो सही माने में जनतांत्रिक ढंग से जनता की सेवा होगी और आपका यह बिल सार्थक होगा। गरीबों का खून चूसकर अगर आप कोई महल खड़ा करना चाहते हैं तो महल तो खड़ा हो सकता है लेकिन वह कभी फलीभूत नहीं हो सकता है।

एक राजा थे, श्रीमन्, वह जंगल में शिकार खेलने गये। परेशान थे गर्मी की वहज से, प्यास लगी। एक झोपड़ी में चले गये। वहां पर एक बुढ़िया मां थी। उससे कहा मां, प्यास लगी है। मां ने कहा 'अच्छा', वह फौरन एक गिलास लेकर बाहर गयी और उसने जंगल की घास को निचोड़ा। गिलास भर गया। गिलास लाकर उसने राजा को दे दिया। राजा ने पिया। उसके बाद उसको कुछ शांति प्राप्त हुई, लेकिन तुरन्त उसके दिमाग में एक फितूर पैदा हुआ। उसने यह सोचा कि यह घास, बुढ़िया के यहां रहना चाहिये या राजा के दरबार में रहना चाहिये। इतनी बात उसके दिमाग में आते ही फिर उसको प्यास लगी और उसने कहा "मां एक गिलास और पिला दे"। उसने कहा, "अच्छी बात है", और बुढ़िया ने गिलास में, जितना घास उसके आंगन में था, उस सब को निचोड़ा लेकिन एक बूंद भी रस उसमें से नहीं निकला। उसके बाद बुढ़िया लौटकर आती है और कहती है, "बेटा, राजा की नीयत खराब हो गई है।" मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नीयत को दुरुस्त कीजिये और जब नीयत दुरुस्त होगी तब यह जनतन्त्र पनपेगा। इन शब्दों के साथ, मैं फिर आपसे अपील करता हूं कि इन बेचारे गरीबों को तो आप जरूर राहत पहुंचावें।

(श्री कमलासिंह यादव का नाम पुकारने पर)

श्री अध्यक्ष—एक बात मैं अर्ज कर दूं कि माननीय मंत्री जी ने जो आपत्ति की है वह यह है कि यह गलत जगह पर आप लिख रहे हैं और जब हमको कैपिटल वैल्यू निकालना है तो उसमें यह है कि "ऐसी अन्य भूमियां और भवन जिनका पूंजीगत मूल्य ऐसी धनराशि से अधिक न हो जो राज्य सरकार आदेश द्वारा तदर्थ निश्चित करे"। तो जो आपको कहना हो, इस बात को ध्यान में रखकर ही बोलें, तो अच्छा होगा।

*श्री कमलासिंह यादव—जहां तक इस संशोधन का सवाल है इसकी अहमियत जिस स्थान पर होनी चाहिये वह तो उससे स्पष्ट है। माननीय रामसुन्दर जी द्वारा जो यह संशोधन रखा गया है मैं इसकी भावना की सराहना करता हूं। जिस भावना के साथ उन्होंने इसको उपस्थित किया है वह भावना ऐसी है जिसको सामने रखकर माननीय मंत्री जी को इस संशोधन को, कहीं न कहीं किसी रूप में, रखना जरूर चाहिये। चाहे टाउन एरिया हो, नोटिफाइड एरिया हों, वहां पर आप जायं तो पता चलेगा और खासकर पूर्वी जिलों में कि वहां की हालत बहुत खराब है। मैं अग्रवाल जी को दावत देता हूं कि अगर वह मेरे साथ देखने के लिये गाजीपुर जिले में चलें और वहां की म्युनिसिपल बोर्ड की हालत देखें, माननीय शर्मा जी उसको देख आये हैं, तो पता चलेगा कि वहां पर खंडहर ही खंडहर दिखाई देते हैं। आज वहां पर मकान पक्के कुछ लोगों ने खड़े किये हैं लेकिन सीमेन्ट और ईंटें न मिलने के कारण आज मकानों का बनना वहां पर मुश्किल हो गया है और खासतौर से आजकल वहां पर बाढ़ आ रही है। जनता परेशान है और जनता की हिम्मत नहीं है कि वह पक्का मकान बना सके। उनके खपरैल के मकान बने हुये हैं। खपरैल के लिये जो यह संशोधन आया है उसका भाव यह है कि आज हमें यह देखना चाहिये कि असल में टैक्स किस आदमी पर लगना चाहिये। टैक्स उन पर लगना चाहिये जिनके अन्दर क्रय शक्ति हो, जो टैक्स को अदा कर सकें उन्हीं पर टैक्स लगना चाहिये।

हम यह देख रहे हैं कि सरकार की पालिसी यह है कि किसी न किसी तरीके पर हर आदमी से रुपया लिया जाय और वह रुपया लेकर गरीब आदमी के स्तर को ऊंचा करने के लिये व्यय किया जाय। सरकार उनके स्तर को ऊंचा करने के लिये कोशिश करेगी लेकिन हम यह देखते हैं कि टैक्स ऐसे आदमी पर भी लग रहा है जो उसको दे नहीं सकता है। जिसने अपना कच्चा मकान बना लिया या खपरैल डालकर एक मकान बना लिया है उस पर भी आप यह टैक्स लगा रहे हैं जो कि किसी तरीके से अपने रहने के लिये एक कोठा बना लेता है। जब आप उस पर टैक्स लगायेंगे तो उसकी क्या हालत होगी? एक तरफ तो आप यह बात कहते हैं कि गरीबों के स्तर को ऊंचा किया जाय और दूसरी तरफ उनके पास जो पैसा है, जो किसी तरीके से मजदूरी करके कमाते हैं, उसको भी आप छीनने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यदि किसी घड़े में एक सूराख कर दिया जाय तो उसका नतीजा यह होगा कि धीरे-धीरे सब पानी खत्म हो जायगा लेकिन अगर सूराख बन्द कर दें तो हो सकता है कि वह घड़ा एक एक बून्द करके भर जाय। जो आज गरीब किसान हैं उससे टैक्स के रूप में जो आप वसूल करने की कोशिश करते हैं यदि आप उसको बन्द कर दें और उसको मदद देने की कोशिश करें तो हो सकता है कि उनका स्तर ऊंचा हो जाय और एक समय ऐसा आ जाय कि उन्नति के शिखर पर वह पहुंच सके लेकिन इस वक्त जब गरीबी उनके सामने है, रोटी का सवाल उनके सामने है, उनको अपने बच्चों का पालन करना है और उनके सामने खाने का प्रश्न है, रहने के लिये मकान का प्रश्न है, तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि जैसा संशोधन है, उसकी भावना को ले कर ऐसे लोगों को, जो गरीब हैं, जिनके पास सहारा नहीं है, उनको अगर बरी नहीं किया तो बड़ी मुसीबत होगी और यह किसी तरीके पर उचित न होगा। मैं बनारसीदास जी से कहूंगा कि उनको शायद पूर्वी जिलों की तरफ जाने का मौका नहीं मिला है। अगर वह वहां जाकर देखें, वहां के मकानों की, लोगों की हालत देखें तो जरूर उन गरीबों को राहत मिल जायगी। अगर वहां के टाउन एरियाज, नोटीफाइड एरियाज की हालत देखते हुए वे उन पर रहम खा जायं तो अति सुन्दर होगा।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन है वह अपनी जगह पर माना जाना चाहिये। मंत्री जी ने जो बात कही, वह ठीक है, लेकिन उसमें निहित पांडेय जी की भावना का मैं समर्थन करता हूं और मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जहां पर उन्होंने परिभाषा की है उस परिभाषा में तीसरी लाइन जो है, किसी भी काम में लाया जाता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

हो, अगर उसके स्थान पर यह लिख दिया जाय कि वह किराये या भाड़े पर उठाया जाता हो, तो माननीय रामसुन्दर जी की भावना का समर्थन हो जायगा और इस तरीके से जो गलत संशोधन पेश किया गया है उसकी भी शुद्धि हो जायगी और यह भाव बिल्कुल स्पष्ट हो जायगा कि यह कर उसी पर लगेगा कि जिस मकान को उसका मालिक किराये पर उठाता हो और उससे मुनाफा कमाता हो। साथ ही साथ, मंत्री जी इस बात को भी मानेंगे कि कोई भी सरकार जो टैक्स लेती है वह आमदनी पर ही टैक्स लेती है। जिस मकान से मुनाफा नहीं कमाया जाता, उस पर टैक्स लगाना जनतांत्रिक मर्यादा से परे होगा और नैतिकता से परे होगा। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस भावना का समादर करते हुए माननीय रामसुन्दर जी के संशोधन को यथास्थान पर रख कर वे उसे स्वीकार करें तो मैं उनका बड़ा आभारी होऊंगा।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधन की भाषा से स्पष्ट है कि यह उन लोगों के मकान होंगे जो बहुत गरीब होंगे। टैक्सेशन क उसूल माननीय मंत्री जी जानते होंगे कि क्या हुआ करता है। एक किताब है "इंट्रोडक्शन टु इन्कम टैक्स" जिसका १९३० का संस्करण मेरे सामने है। उसमें कुछ ग्राउंड्स दिये गये हैं कि टैक्स किस पर लगना चाहिये। इसमें एक शर्त है—एबिलिटी टु पे। इसे हमें देखना चाहिये। यह ठीक है कि हमारे यहां भारतीय शास्त्र बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स की परिभाषा बहुत अच्छी की है, लेकिन यह अंग्रेजी में है और इसका कुछ अंश मैं आप की आज्ञा से पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। इसके पेज ३ पर लिखा है :

"That taxation should be placed upon those shoulders best able to bear it, is a proposition about which there is general agreement, on grounds of simple justice as well as on grounds of the fruitfulness of the tax."

यानी टैक्स उनके ऊपर लादना चाहिये जो अपने कंधों पर उसे सम्हाल सकें। ऐसा न हो कि हमारे माननीय मंत्री जी सब को एक ही डंडे से हांक दें, चाहे वह गरीब हो या अमीर या कोई भी टैक्स, जरूर लगेगा और लगेगा योजनाओं के लिये। इस पुस्तक में यह भी है कि टैक्स ऐसे लोगों से लिया जाना चाहिए जो टैक्स दे सकें, जिनकी इनकम इतनी हो कि वे टैक्स बर्दाश्त कर सकें। इन शब्दों के साथ, मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों को टैक्स से माफ कर दिया जाय जो कि बहुत गरीब हैं और जिनके पास इतने छोटे-छोटे मकानात हैं कि वे टैक्स बर्दाश्त करने के लायक नहीं हैं।

***श्री सहदेवसिंह** (जिला इटावा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी श्री पांडेय जी की तरफ से जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन दो शब्दों में करना चाहता हूं। स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने जो अपनी भावनायें इस बिल के संबंध में व्यक्त की हैं और जो उत्कंठा देश के कल्याण और प्रदेश की आर्थिक उन्नति की ओर दिखाई है, उसका मैं आदर करता हूं। लेकिन अगर उन्हीं की मंशा को स्वीकार कर लिया जाय तो भी इन छोटे और गरीब आदमियों पर टैक्स लगेगा जो कि बहुत ही अनुचित होगा। यदि देश में उत्पादन बढ़ाना है, यदि प्रदेश को खुशहाल बनाना है तो उसके लिये यह बड़ा जरूरी है कि मनुष्य में, यहां की जनता में काम करने की ताकत रहे, परिश्रम करने की क्षमता रहे। जब अन्यायपूर्ण और अनुचित टैक्सेशन होगा तो जनता को जीवन-यापन की सुविधा नहीं रहेगी। उनकी क्रय-शक्ति बिल्कुल नष्ट हो जायगी। जो चीजें बहुत ही अनिवार्य हैं वे भी उनको उपलब्ध नहीं होंगी। इन सब से यहां की जनता बहुत ही निर्बल हो जायगी और वह किसी बड़े काम को करने के योग्य नहीं रह जायगी।

जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने बताया कि टैक्स उस पर लगना चाहिये जिसमें टैक्स अदा करने की योग्यता हो, जिसमें टैक्स देने की क्षमता हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो उसका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिणाम यह होगा कि सरकार की तरफ से जुल्म बढ़ जायगा। टैक्स की वसूली करने के लिये जनता के साथ कड़ाई करनी पड़ेगी और अन्याय होगा। इस तरह से जनता में मानसिक कुंठा उत्पन्न होगी। जनता का कल्याण होने के बजाय और अधिक अवनति होगी। यह टैक्स तरक्की के लिये रखा जा रहा है परन्तु उसका परिणाम रेग्रेसिव होगा और उससे लोगों में क्लेश बढ़ेगा। इसी लिये यह संशोधन रखा गया है कि उन लोगों पर जिनके पास खपरैलें हैं, जिनके निजी अपने छोटे-छोटे मकान हैं, उन पर यह टैक्स न लगाया जाय। मैं यह चाहता हूं कि उन्हें कर मुक्त कर दिया जाय। इसलिये यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। मैं इसकी सिफारिश करता हूं और इसे रिकमेंड करता हूं कि इसे स्वीकार कर लिया जाय।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं माननीय रामसुन्दर पांडेय जी के इस संशोधन के समर्थन में दो शब्द कह देना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं कि पूर्वी जिलों के टाउन एरिया आदि में लोग कच्चे मकानों में रहते हैं और उनके छोटे-छोटे खपरैल हैं उन पर आप कृपया टैक्स न लगायें। आप उन टाउन एरियाओं के लोग बंबई और कलकत्ता में फुटपाथ पर या छोटे-छोटे मकानों में एक-एक कमरे में १०–१२ की संख्या में रहते हैं। कुछ लोग कोलरी में रहते हैं। उनको तो आपको छोड़ ही देना चाहिए। जो छोटे-छोटे किसानों के मकान हैं, जो गरीब तबके के लोगों के मकान हैं, जो खेत मजदूरों के मकान हैं, जिनकी रोजी-रोटी का प्रबन्ध नहीं है और जिनके घर में चूल्हा तक दोनों वक्त नहीं जल पाता है, उनको तो आप को छोड़ना ही चाहिये। मिसाल के तौर पर मैं आपको दो टाउन एरियाज का नाम बताता हूं रुद्रपुर और रामपुर कारखाना जो कि देवरिया जिले में हैं। रामपुर कारखाना एक जमाने में, कारखानों का अड्डा था और आज खण्डहर है। कारखाने टूट गये हैं और ये नगर एकदम उजड़ रहे हैं। रुद्रपुर में कच्चे मकान सैकड़ों की तादाद में गिरे हैं। उनके मकान मालिक बाहर बसे हुए हैं। सप्रहार में ५०० घर पण्डा के हैं। एक-एक घर में सुअरों की भांति ४–४ परिवार रहते हैं। उन पर कच्चे मकान एवं खपरैल पर टैक्स लगाना एक लाठी से सबको हांकना होगा। मिट्टी के मकानों पर, खपरैलों पर टैक्स लगा तो निश्चित तौर पर भुखमरी बढ़ेगी। दूसरे मंत्री तो भाग जायंगे, लेकिन शर्मा जी, जिनके नाम और काम के पीछे गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ है, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होगी। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि शर्मा जी इस सुझाव को, इस संशोधन को स्वीकार कर लें जो रामसुन्दर जी ने रखा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने हमारे संशोधन को स्वीकार नहीं किया, यह कोई नयी बात नहीं है और ताज्जुब तो मुझ को यह होता है कि झोपड़ी और छादक ये शब्द निकाले गये हैं परिभाषा में से तो, मैं जानना चाहूंगा कि झोंपड़ी और छादक किस पर होता है? अगर दीवार मिट्टी की बना दी गयी हो और उस पर खरपतवार की झोपड़ी डाल दी गयी हो तो क्या परिभाषा आपकी निगाह में होगी? यह संशोधन जो हमने रखा है वह भ्रष्टाचार रोकने के लिए रखा है और इसे आप स्वीकार नहीं करते हैं तो हम यह मान कर चलेंगे कि आप भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हैं। झोपड़ी और छादक जो निकाला है वह सब जगह इस्तेमाल होगा, मिट्टी की दीवार होगी तो हरगिज-हरगिज टैक्स नहीं लगेगा। यह दूसरी बात है कि जो आपके कार्यकर्त्ता होंगे उनकी जेब में पैसा जायगा गरीब का, लेकिन अपने खजाने में आप नहीं ले जा सकते।

मंत्री जी ने कहा कि यह स्थान ठीक नहीं है। मैं मान लेता हूं, लेकिन उनको अगर ऐसे सलाहकार न मिले होते और वह भी हम जैसे साधनहीन रहते, इधर बैठे होते तो उस ओर से यह संशोधन नहीं आ सकता था। मैं मान कर चलता हूं कि स्थान पर नहीं है तो अपनी शब्दावली भी वैसी ही आप स्वीकार कर लीजिये। इच्छा नहीं है तो बहानेबाजी करने की क्या जरूरत है? उन्होंने दूसरी बात बतायी कि जो दूसरे से किराया लेता है तो वह क्यों नहीं देगा। मैं क्या कहूं, मैं आक्षेप नहीं करना चाहता हूं, मुझे माफी देंगे। जगदीशशरण जी बरेली शहर के रहने वाले हैं, हम भी देहात से आये हैं और हम सब लोग दारुलशफा में रहते हैं। हम लोग किराया देते हैं या नहीं? घर पर मकान, यहां भी मकान और मुफ्त। हम लोग तो

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

२०० रुपया तनख्वाह पाते हैं, मुफ्त मकान में रह सकते हैं, श्री जगदीशशरण जी रह सकते हैं, लेकिन इक्का हांकने वाला, रिक्शा हांकने वाला, मेहतर और सफाई का काम करने वाला यदि नहर से बहते हुए पाखाने के पास अपनी झोपड़ी डाल लेता है तो उससे भी किराया लेना चाहते हैं, उनसे टैक्स लेना चाहते हैं। जिनको आपने जिन्दगी में कुछ दिया नहीं है उनसे ही लेना चाहते हैं और भूल जाते हैं अपनी घोषणाओं और कर्त्तव्यों को।

श्रीमन्, ड्रामा होता है। ड्रामे में काम करने वाले बहुतेरे आदमी होते हैं। नेगी साहब जानते हैं उसके बारे में। ड्रामे में राहू चमार दो घंटे के लिये राजा बना दिया जाता है, मगर जब ड्रामा खत्म हो जाता है तो वह फिर चमार का चमार ही रहता है। उसी तरह से यह हमारी सरकार हर पाँचवें साल जब जनता के सामने जाती है तो उनको उनकी खपरैल का मालिक बना दिया जाता है, उनको झोपड़ी का मालिक बना दिया जाता है, और जिस वक्त वह जनता उनको मंत्री बना देती है तब वह जनता की सलामी तक नहीं लेते, जनता को पहचानते तक नहीं और उलटे उस पर टैक्स लादते जा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी कहा करते हैं कि जनता ने हमें वोट दिया है, चुना है, टैक्स लगाने का अधिकार दिया है। श्रीमन्, आप भी उसी टिकट से चुन कर आये हैं और आपने अपनी घोषणाओं में सुना होगा, मैंने भी उसको पढ़ा है क्योंकि मुकाबला करना पड़ता है, कहीं किसी घोषणापत्र में यह नहीं लिखा है जब हमारे हाथ में ताकत आयेगी तो हम किसानों की मालगुजारी ड्योढ़ी कर देंगे, इक्केवालों पर टैक्स लगा देंगे। आप जरा उनको नेक सलाह दें जिससे प्रदेश की जनता को कुछ राहत मिले। लोकतंत्रात्मक पद्धति कायम करने का हमने निर्णय किया है, उस पर इस प्रकार की धाराओं से आघात पहुंचता है। दुनिया के इतिहास में जहाँ-जहाँ भी जनता की इच्छाओं का दमन किया गया है, नागरिकों के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है वहाँ क्रान्ति हुई है, जन-विद्रोह हुआ है जिसे न आप चाहते हैं और न हम चाहते हैं। सरकारा को समझना चाहिये इस चीज को। हम विरोधी लोग तो सरकार को रोशनी देने के लिये बैठे हैं। सरकार मद में काम करती है, हम उसको रोशनी देते हैं। अगर सरकार हम लोगों की राय से काम करे तो उससे देश की रक्षा होगी, उसकी उन्नति होगी, वरना सरकार पर कलंक लगेगा, माननीय जगदीशशरण जी पर कलंक लगेगा, श्री रामप्यारे जी पर नहीं, क्योंकि जनता आपसे पूछेगी कि आप तो विद्वान आदमी थे, आप तो हवा के रुख को पहचानते थे, आपने कैसे टैक्स लगने दिया। आप कैसे बिना लोगों की मर्जी के टैक्स लगाते चले जा रहे थे। उसका परिणाम हम सब को भुगतान पड़ेगा। इसलिये मैं हाथ जोड़ कर माननीय शर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने को बचाइये, देश और इस प्रदेश को बचाइये और साथ-साथ हम सब लोगों को बचाइये। नहीं तो, श्रीमन्, आप जावेंगे और प्रदेश की सरकार जायगी तो हमें कोई परवाह नहीं है। देश को हानि होगी। गरीब आदमी का सिर टूट रहा है, हौसला पस्त हो रहा है, उसके दिल का विराग बुझ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि गरीब आदमी भरपेट रोटी खाकर अपनी मढ़ई में सो रहे, तो आप हमारे संशोधन को मान लीजिये। आपके सचिवालय के, कलेक्टरी कचेहरी के छोटे-छोटे कर्मचारी खानाबदोशों की तरह से जिन्दगी बसर करते हैं। जिसे आप मकान नहीं दे सके, जिसे आप दवा शिक्षा नहीं दे सके, उससे आप टैक्स माँगते हैं। मैं समझता हूं कि यह बेरहमी है, निर्दयता है और मानवता के परे है। मैं उधर के बैठने वालों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि इस प्रदेश के गरीब लोगों को बचवावें।

श्री झारखंडे राय (जिला आजगमगढ़)—श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि पाँडेय जी ने जिस नाते कहा है उसी नाते इस बिल को वापिस कर लें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैंने जो निवेदन किया था उसे पाँडेयजी ने समझा नहीं। मैंने कहा था कि गलत जगह पर पहुंच गये। साथ ही यह भी कहा था कि जो उन्होंने तर्क दिया है वह रैशनल नहीं है। भावना में बहकर गलत जगह पहुंच गये। मैं चाहता हूं कि उनको ठीक जगह ले आऊं। लेकिन उनके संशोधन को शायद एकाध ने छुआ, तिवारीजी

की कविता भी हमने सुनी। संशोधन यह है कि अगर स्वामी स्वयं इस्तेमाल करता हो तो कर न लिया जाय। इसका मतलब यह है कि अगर करायेदार रहता हो तो उससे लिया जाय। यानी, जिस आदमी के पास मकान है, उसे किराया नहीं देना पड़ता है, उससे तो हम कर न लें और जिसके पास मकान नहीं है उससे ल। जिस कम्बख्त को इस रद्दी मकान में रहकर किराया देना पड़ता है उससे हम कर लें, यह उनका मंशा है। यह डिस्टिन्कशन मोस्ट इर्रेशनल है और इसे मानना अपनी बुद्धि का दिवालापन होगा। इसलिये मैं इस संशोधन को अस्वीकार करता हूं।

एक सदस्य—'कम्बख्त' शब्द जो मंत्री जी ने इस्तेमाल किया है, शायद वह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—'कम्बख्त' के मायने हैं बदकिस्मत। इसमें कोई हर्ज नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) के अन्त में निम्न प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय :—

"प्रतिबन्ध यह है कि झोपड़ी, मिट्टी एवं ईंट की दीवाल-खपरैल की छाजन वाले भवन के स्वामी से कर वसूल नहीं किया जायगा, जिसका इस्तेमाल स्वामी स्वयं करता हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव यह है कि—

खंड २ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित उपखंड बढ़ा दिये जायं :—

"(२—क) 'छावनी' का तात्पर्य केन्टोन्मेंट्स ऐक्ट, १९२४ की धारा ३ के अधीन केन्टोन्मेंट के रूप में घोषित किसी स्थान से है ;

(२—ख) 'छावनी बोर्ड' का तात्पर्य केन्टोन्मेंट्स ऐक्ट, १९२४ की धारा १३ के अधीन संघटित केन्टोन्मेंट बोर्ड से है।"

श्री कमलासिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके संबंध में एक लीगल आब-जेक्शन है। माननीय मंत्री जी ने यह ऐलान यहाँ किया था कि हम केन्टोन्मेंट बोर्ड्स को नहीं ले रहे हैं और न उसका इस विधेयक में कहीं जिक्र है, जब ऐसा डिक्लेयर हो गया है तो फिर ऐसा अमेंडमेंट नहीं आ सकता।

श्री अध्यक्ष—छावनी और छावनी बोर्ड, ये दोनों शब्द इस विधेयक में कहीं हैं अथवा नहीं हैं, फिर ये इसमें क्यों जोड़ दिये गये हैं ?

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मान्यवर, खंड २ में १ से लेकर ६ तक की उपधा-रायें हैं। इन धाराओं में विभिन्न शब्दों का प्रयोग हुआ है जिन पर टैक्स लगाना उचित समझा गया है। मैंने इस प्रस्ताव के द्वारा यह प्रस्तावित किया है कि छावनी और छावनी बोर्ड भी इसमें शामिल कर दिये जायं। इसका तात्पर्य यह होगा कि कैन्टूनमेंट और केन्टून्मेंट बोर्ड्स पर भी टैक्स लग जायगा। इसके अलावा आगे मेरे इस संबंध में और भी प्रस्ताव हैं, इसलिये डैफीनिशन में इसको इन्क्ल्यूड किया जा रहा है। हमारी प्रक्रिया में कहीं इस प्रकार की बात नहीं है कि इस प्रकार से कोई संशोधन पेश नहीं किया जा सकता जिसका कि मैंने इस संशोधन में जिक्र किया है।

श्री कमलासिंह यादव—मान्यवर, इसके साथ में हमें जो प्रपत्र मिला है उसमें कहीं भी कैन्ट अथवा छावनी का जिक्र नहीं है। उसमें केवल म्युनिसिपल एरिया का जिक्र है जो इससे बिलकुल अलग चीज है। उसका तो चुनाव भी अलग होता है। इसके अलावा माननीय मंत्रीजी ने यह डिक्लेयर किया था कि हम कैन्टून्मेंट्स पर कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं तब फिर इस प्रकार का संशोधन लाकर टैक्स लगाना उचित नहीं है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैंने अपने वाक्यों में इसका इसलिये जिक्र नहीं किया था कि इस विधेयक में उसका जिक्र नहीं था। हमारा पहले ऐसा खयाल था कि हम कैन्टून्मेंट्स पर टैक्स नहीं लगा सकते। लेकिन जब हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया तो हमने लीगल एडवाइजर की ओपीनियन इस बारे में ली। उन्होंने बताया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह चीज जब हमारे सामने आयी तो यह सोचा गया कि अगर इस प्रकार का कोई संशोधन हमारे सामने आया तो उसको स्वीकार कर लिया जायगा। इस प्रकार, मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से इसमें बहुत से संशोधन लाये जा रहे हैं। इससे मालूम होता है कि गवर्नमेंट भी अपने दिमाग में साफ नहीं है। इसलिये हमारा पहला प्रवर समिति में भेजे जाने वाला संशोधन मान लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। वहाँ से सब ठीक हो कर आ जायगा और वहाँ अच्छी तरह से ठंडे दिल से इस पर विचार भी हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—इस चीज को अगर आप क्लोजर से पहले कहते, तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और उसका कारण यह है कि....

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—श्रीमन्, यह विरोध का स्टेज नहीं है, अगर कोई आपत्ति हो, तो कहें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—इसलिये हमें आपत्ति है कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में साफ लिखा हुआ है "नगरों और शहरों", इसके अलावा इसमें कहीं भी "कैन्टोनमेंट" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, अगर पूरे विधेयक को आप देखें। मैं समझता हूं कि इस शब्द के शामिल कर लिये जाने से हजारों और लाखों व्यक्तियों का नुकसान होगा। और हम श्री जगदीशशरण अग्रवाल से यह उम्मीद नहीं करते थे कि वे भी औरों के साथ अपने हाथ को भी खून से लथपथ कर लेंगे। यह जो शब्द बढ़ाने का संशोधन है उस पर मुझे आपत्ति है और सदन को इसे हर्गिज स्वीकार नहीं करना चाहिये।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की यह परिपाटी चली आ रही है कि अगर एक बार वचन दे दिया जाय तो उसके पालन में अगर प्राण भी चला जाय तो उसकी परवाह नहीं की जाती। माननीय मंत्री जी ने कल ही घोषणा की कि हम छावनी के अन्दर कोई टैक्स नहीं लगाने जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस घोषणा के बाद इस तरह का कोई संशोधन आवे और उसको मान लिया जाय तो यह बहुत ही अनैतिक होगा। सरकार का बल कानून हो सकता है....

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जो बात कही, उसका उत्तर दे दीजियेगा। माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि हमें कानूनी राय यह मिली है कि नागर क्षेत्र के अन्दर अगर कैन्टोनमेंट हो तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा सकते हैं। अब आप बतलावें कि इस पर आपको क्या आपत्ति है।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—जहाँ तक कानूनी बात का सवाल है, वह बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि किसी सरकार का बल कानून हो सकता है, उसका डंडा हो सकता है, लेकिन इन दो बल से बढ़ कर उसका यह नैतिक बल है। नैतिक बल का जिस दिन भी ह्रास होगा उन दिन कोई भी सरकार टिक नहीं सकती, विशेषकर जनतांत्रिक सरकार तो कभी नहीं टिक सकती है। इस संशोधन के साथ-साथ मैं देखता हूं कि विचित्र भाई भी अपने नैतिक बल का ह्रास कर रहे हैं। इसलिये उनसे मैं अपील करता हूं कि नैतिकता के नाते, जनतंत्र के नाते, वे अपने वचन का पालन करें और इस संशोधन को न आने दें।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि किसी माननीय सदस्य ने भी कोई तर्क इस बात के पक्ष में नहीं दिया कि इसमें कोई कानूनी आपत्ति भी होनी चाहिये। प्रस्ताव के प्रस्तुत करने में व संशोधन के प्रस्तुत करने में दो रायें हो सकती हैं, उसका विस्तार बढ़ाने में दो रायें हो सकती हैं लेकिन श्रीमन्, जब आप इसके समर्थन करने का मुझे मौका देंगे तब मैं निवेदन करूंगा कि किस भावना से प्रेरित होकर मैंने इस संशोधन को रखा है। इस समय तो केवल इतना प्रश्न है कि उसका रखना उचित है या नहीं। विपक्ष से भी कई बातें कही गयीं। यह सदन सर्वोपरि है और सदन का फैसला, सदन की राय सबसे बड़ी है। सदन को अख्तियार है अगर इस बिल के ऊपर कोई संशोधन रखा जाय तो वह उसे माने या न माने। अगर उसकी मंशा के विपरीत न हो तो सारे संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। सदन के एक अकिंचन सदस्य होने के नाते मैंने इस संशोधन को यहाँ रखा है और मुझे आशा है कि इसमें किसी को कोई आपत्ति न होगी।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, कल तो मैं बोला भी नहीं और मुझे याद भी नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात कही हो कि मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कैन्टूनमेंट वालों से टैक्स न लूंगा, वह मेरे रिश्तेदार हैं उनसे मैं नहीं लूंगा। बात केवल इतनी थी कि उनको कानूनी गलतफहमी की वजह से छोड़ा हुआ था, राय ली जा रही थी उनको भी हम छोड़ना नहीं चाहते थे, हम समझते हैं कि सबको देना चाहिये। यह एक पुण्य कर्म है और मैं उसमें कैन्टूनमेन्ट के भाइयों का योगदान न लूं तो मैं दोषी होऊंगा, मैं उनका भी आवाहन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि....

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—श्रीमन्, अभी तो यह विचाराधीन है कि इसको प्रस्तुत करने की आज्ञा दी जाय या न दी जाय, उसके बाद मुझे कुछ निवेदन करने की आप आज्ञा तो दें।

श्री अध्यक्ष—मैं उसे सदन के सामने रखे देता हूं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—श्रीमन्, अभी तक तो यह आपत्ति थी कि यह पेश ही नहीं हो सकता, वही अभी आप के विचाराधीन है।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, आप संशोधनों की ग्राह्यता की शर्तों को देखें। नियम १३९ (१) में लिखा है कि 'संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका सम्बन्ध हो उसके विषय से सुसंगत होगा।' इसके अनुसार जो संशोधन श्री अग्रवाल जी का है वह इस विधेयक की व्याप्ति के बाहर है।

श्री अध्यक्ष—श्री जगदीशशरण अग्रवाल ने जो संशोधन रखा है वह सुसंगत होगा, तो लिया जायगा, मुझे अधिकार है कि जो सुसंगत है वह साथ ही ले लूं या आगे भी ले लूं।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि यह संशोधन इस विधेयक की परिधि के बाहर का है।

श्री अध्यक्ष—श्री जगदीश शरण जी कहें, क्या कहना है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन को जिस भावना से मैंने रखा है वह केवल यह थी कि जो बोझ इस कर से जनता पर पड़ने वाला है वह और जरा हल्का हो जाय, इसमें बोझ बढ़ाने की बात नहीं है बल्कि और उसको हल्का करने की बात है। सरकारी संशोधन मानकर इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। सरकार की ओर बैठने वाले सदस्यों को भी आप की तरह अधिकार है और उन का भी कर्त्तव्य है कि अगर कोई चीज बेहतरी की समझ में आये तो उस को यहाँ रखें। इससे हमारी भावना केवल यही है कि किसी तरह से पूरे प्रदेश की जनता का कर भार कम हो जाय, इस दृष्टि से यह संशोधन एक महत्वपूर्ण संशोधन है। इससे मेरा अनुमान है कि छावनी से ३०–४० लाख की सालाना आय बढ़ जायगी।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

हमारा अनुमान इस बिल की आय का २ करोड़ रुपये का था। मेरा भाव यह है कि इस ३०-४० लाख की आय को उधर से लेकर आप सूबे की गरीब जनता के भार को हल्का करें और कम से कम उस हद तक तो जरूर हल्का करें जिस हद तक कैन्टूनमेंट्स से अधिक आय हो, इस सदन का यह कर्त्तव्य है कि हमारे सामने जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिये धन और साधन जुटायें।

बार-बार माननीय सदस्यों ने यह कहा कि हम चाहते हैं कि धन उपलब्ध हो और वह कहाँ से निकले और कौन दे, इसमें कुछ मतभेद हो सकता है। लेकिन जिस भावना से यह रखा गया है इसका कोई औचित्य नहीं है कि एक टाउन एरिया, एक म्युनिसिपैलिटी के रहने वाले पर तो टैक्स लगता है और कैनटूनमेन्ट एरिया में रहने वालों पर जिनकी क्षमता पेइंग कैपेसिटी औरों से कम न हो, उन पर वह टैक्स न लगे। इस सिलसिले में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, कानूनी कोई दिक्कत नहीं है। कदाचित् सरकार इसको नहीं छोड़ती, अगर कानूनी दिक्कत होने की कोई गलतफहमी पैदा न हो गयी होती। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस परिधि को बढ़ा देने से हमें कुछ विशेष धन उपलब्ध हो जाता है और इसके अधिकार सरकार के पास जो हैं कि १० प्रतिशत तक वह ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा सकती है उसे वह ५ प्रतिशत से किसी तरह से ज्यादा नहीं लगायेगी। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब उसका अनुमानित धन उपलब्ध हो जाय तो उसका यह लक्ष्य न रहे कि जनता से जितना भी धन उपलब्ध हो जाय उतना ही अच्छा है, लक्ष्य पूरा हो जाने पर सरकार उस बोझ को जनता पर से हटा देगी। दूसरा अधिकार जो सरकार ने अपने में निहित कर रखा है कि छोटे छोटे मकानों पर वह कर एग्जेम्प्ट कर सकती है उसकी कोई व्याख्या बिल में नहीं है। ऐसा सुनने में आया है कि १० रुपये प्रतिमास के किराये जिन मकानों पर हैं उनको वह एग्जेम्प्ट कर रही है.....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब कर देने की बात आई है तो नियमानुसार जब माननीय मंत्री इस तरह का प्रस्ताव लाते हैं कर बढ़ाने के लिये, तो उसमें वित्तीय ज्ञापन होता है। उसमें व्यय तथा आय किस प्रकार होता है उसका ब्योरा होता है। जगदीशशरण जी अग्रवाल जो संशोधन पेश कर रहे हैं उससे ३०,४० लाख रुपये बढ़ाने की बात पैदा होती है। माननीय मंत्री जी उसका ज्ञापन पेश करते वर्ना यह नियम के विरुद्ध है। फिर किसी भी कर को बढ़ाने का प्रस्ताव सदस्यगण कर ही नहीं सकते, मंत्री ही कर सकते हैं। लिहाजा उस समय तक यह संशोधन पेश नहीं किया जा सकता जब तक माननीय मंत्री जी अपनी तरफ से यह संशोधन पेश न करें और उसके सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन न दें।

श्री अध्यक्ष—संशोधन कोई भी प्रस्तुत कर सकता है। वित्तीय ज्ञापन के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कितना विशेष आय या खर्चा इससे होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने वित्तीय ज्ञापन दिया है वह हमें प्राप्त है, वह आपको मिल सकता है। उसके अतिरिक्त जरूरत होगी तो वह बतलायेंगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—इस प्रकार का संशोधन जिसमें कि धन और आय का सवाल निहित हो, उसे सरकार की ओर से आना चाहिये। इसमें विशेष प्रक्रिया है, उसे आप देख लें। उसके साथ-साथ सरकार इसे स्वीकार करती है तो पहले हमको वित्तीय ज्ञापन दे तब आगे चले। जब तक मंत्री महोदय वित्तीय ज्ञापन नहीं देते, तब तक यह हमारी वैधानिक आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी कह चुके कि उन्हें स्वीकार है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—एक व्यवस्था मैं चाहता हूं। जो विधेयक में उद्देश्य और कारण हैं और विधेयक जिस परिधि में है तो क्या संशोधनों के द्वारा उसकी परिधि भी बढ़ाई जा सकती है?

श्री अध्यक्ष—वह तो बहस में, बाद में कह लीजियेगा। उन्हें पहले प्रस्ताव तो रख लेने दीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—व्यवस्था पहले दे दीजिये। उद्देश्य और कारण में, कैन्टूनमेंट शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। छावनी भी नहीं है और मैं समझता हूं कि इस संशोधन के आ जाने से इस विधेयक की परिधि बढ़ेगी और इसके बिना प्रवर समिति में गये सरकार की ओर से परिधि बढ़ाने के अलावा, संशोधनों के द्वारा, परिधि नहीं बढ़ायी जा सकती। मेरा ऐसा खयाल है कि इस संशोधन के आ जाने से इस विधेयक की परिधि बढ़ती है इसलिये इस संशोधन को पेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं इसको स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं कि परिधि बढ़ती है इस वास्ते कि नगर क्षेत्र के अन्तर्गत जो भी भूमि और भवन होंगे उनके ऊपर कर लगाया जायगा और कंटूनमेंट नागर क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

श्री कमलासिंह यादव—व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्। जब मैं आब्जेक्शन कर रहा था तो मैंने रेफर किया था कि उसमें जो ज्ञापन पत्र दिया गया है मंत्री जी की तरफ से, उसमें तीसरे में दिया गया है कि छावनियों से इस कर द्वारा कितनी आय अनुमानित की जाती है....

श्री अध्यक्ष—वह पढ़ दीजिये।

***श्री कमलासिंह यादव**—इसमें है—

"जहां तक मद संख्या (१) का संबंध है यह पाया गया है कि पांच नगर महापालिकाओं के अतिरिक्त १३३ नगरपालिकाओं में से ६७ नगरपालिकाएं भवनों पर कर लगा रही है। गत वर्षों में नगरपालिकाओं एवं महापालिकाओं ने इस स्रोत से लगभग ९७ लाख रुपया प्रति वर्ष की धनराशि वसूल की जबकि कर की दर वार्षिक मूल्य पर ३ प्रतिशत से १६ प्रतिशत तक थी। (वर्ष १९६१–६२ से संबंधित नवीतम आंकड़ों, जो बाद में एकत्रित किये गये, के अनुसार यह आय १०२ लाख रुपया लक्षित होती है)। यह देखते हुए कि नगर महापालिकाओं सहित समस्त नगरपालिकाओं की सम्पूर्ण जन-संख्या ८०,६२,०४६ है और लखनऊ की जनसंख्या ६,०१,६३२ है यह निष्कर्श निकला कि समस्त नगरपालिकाओं (जिनमें नगर महापालिकाएं भी सम्मिलित हैं) की कुल जनसंख्या लखनऊ की जनसंख्या से १३ गुना है। भवन कर की उस दर के आधार पर जो लखनऊ नगर में प्रभावी है....

श्री अध्यक्ष—अब समय हो गया है। आपका मतलब यह है कि इस ज्ञापन में छावनी का जिक्र नहीं है इसलिये आप कहते हैं कि यह ज्ञापन छावनी से संबंधित नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—और छावनी के बारे में कोई ज्ञापन-पत्र नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष—तो इस वक्त हम उठते हैं और सोमवार को साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद ५ बज कर ३२ मिनट पर, सोमवार १० सितम्बर, १९६२ के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
७ सितम्बर, १९६२।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८९ पर)

चोरी गये ड्रामों का विवरण निम्न प्रकार है:—

स्थान	चोरी गये ड्रामों की संख्या
३० मील १ फर्लांग	९
४० मील	२९
४१ मील ४ फर्लांग	२३
४४ मील	२७
कुल ..	८८

इन ड्रामों की अनुमानित कीमत छः हजार रुपये है।

विधान सभा सचिवालय प्रदेश उ०प्र०

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ११९७ पर)

जखनिया ब्लाक

क्रम-संख्या	गांव समाज के नाम			भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या	दी गई भूमि का क्षेत्रफल
१	बेलहरा	..	..	३	१–००
२	ओड़लाई	..	..	२	२–००
	योग		..	५	३–००

बिरनो ब्लाक

१	नखतपुर	..	..	७	५–२५
२	कौर	..	..	२	०–३७
३	चौथी	..	..	५	४–५२
४	मुस्तफादाबाद	..	..	३	२–२८
५	मोजापुर	..	..	५	४–१२
६	वोगना	..	..	६	४–००
७	धनेशपुर	..	..	१	१–७२
८	गजपतपुर	..	..	३	१–६५
९	लहुरापुर	..	..	१	१–९७
१०	चक कविल	..	..	१	०–१५
११	विरानों	..	..	२	२–००
१२	भड़सर	..	..	४	२–५०
१३	कहोतरी	..	..	६	३–७५
१४	सआदतपुर	..	..	४	१–३६
१५	मिठनपारा	..	..	२	२–५०
१६	अरलदपुर	..	..	३	३–८५
	योग			५५	४१–९९

मरदह ब्लाक

१	हमीरपुर	..	..	५	२–२५
२	बिजौरा	..	..	४८	२–२५
३	सरार उर्फ हैदरगंज	..	..	१	०–७५
४	रापुर वाधपुर	..	..	१	१–००
५	गाई	..	..	३	२–७२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	गांव समाज के नाम			भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या	दी गई भूमि का क्षेत्रफल
६	टिसौरी	..	..	५	२–२५
७	नोनरा	..	..	२	१–००
८	मड़ही	..	..	१	०–३४
९	गेहुडी	..	..	१	१–००
१०	बेलसड़ी	..	..	६	१०–२५
११	कसवा गौर	..	..	३	२–७५
१२	मौरहा	..	..	२	१–००
१३	वीरवलपुर	..	..	४	१–७५
१४	विहरा	..	..	४	२–००
१५	पारा	..	..	१	२–५०
१६	पिरथीपुर	..	..	१	०–१९
१७	नसीरुथीनपुर	..	..	२	०–५६
			योग	९०	३४–५६

उदेश्य विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११९८ पर)

ग्रामों की सूची

परगना धौरहरा

१--गैसापुर
२--धौरहरा (दो बार अग्निकांड हुआ)
३--अमेयपुर
४--सरसावा
५--दूनीपुरवा
६--कफारा
७--काजीपुरवा
८--चमरौधा
९--मटेरा

परगना फीरोजाबाद

१०--पलिया
११--धूंधाकलां

संसद पुस्तकालय सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२०० पर)

क्रम-संख्या	कर्मचारियों की श्रेणी	कुल कर्मचारियों की संख्या	परिगणित जाति के कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
१	प्रथम श्रेणी (ई०ई०)	१	..	..
२	द्वितीय श्रेणी (ए० ई०)	३	..	..
३	तृतीय श्रेणी लिपिक, अधिदर्शक (Nusur) मान चित्रकार (Drafts men)	३७	..	..
४	चतुर्थ श्रेणी (सहायक चौकीदार)	१०	१ प्रतिशत	१०
५	वर्क चार्ज कर्मचारी	३८	६ प्रतिशत	१५.८

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२०३ पर)

TO PERSONS PROCEEDING ABROAD FOR HIGHER STUDY

1. The assistance would generally be given to scholars who have a uniformly meritorious academic record.

2. The assistance will be limited to an amount which will generally suffice to cover passage money from India to the country where the candidate proposes to pursue his studies or back. Generally, the assistance will range between Rs. 1,000 and Rs. 1,500. The total assistance in any case shall not exceed a sum of Rs. 2,000.

3. The assistance would generally be available to only such students as have either been able to secure a fellowship or a Scholarship to pursue a course in a foreign country or who have made necessary arrangements to bear the expenditure of their full stay for the course of study in that country from their own resources.

N. B.—Preference will be given to such candidates who proceed abroad for higher studies in which facilities for undertaking such courses are not available in this country and whose knowledge after training in a foreign country can profitably be utilized in the interest of progress of the State.

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२१३ पर)

क्रम-संख्या	विद्यालय का नाम
१	तिलकधारी सिंह क्षत्रिय इन्टर कालेज, जौनपुर ।
२	आर० एस० के० डी० इन्टर कालेज, जौनपुर ।
३	रजा डी० एम० इन्टर कालेज, जौनपुर ।
४	बी० आर० पी० इन्टर कालेज, जौनपुर ।
५	नेशनल इन्टर कालेज, पट्टी नरेन्द्रपुर, जौनपुर ।
६	एस० बी० इन्टर कालेज, बदलापुर, जौनपुर ।
७	सेन्ट थामस इन्टर कालेज, जौनपुर ।
८	सर्वोदय हायर सेकेन्डरी स्कूल, खुदौली खेतासराय, जौनपुर ।
९	राजा हरपाल सिंह इन्टर कालेज, सिगरामऊ, जौनपुर ।
१०	बी० एन० बी० इन्टर कालेज मणियाहूं, जौनपुर ।
११	हायर सेकेंडरी स्कूल, नीभापुर, जौनपुर ।
१२	बलभद्र इन्टर कालेज, पाली सुभाषपुर, जौनपुर ।
१३	इन्टर कालेज, मछलीशहर, जौनपुर ।
१४	सहकारी इन्टर कालेज, मेहरावां, जौनपुर ।
१५	राष्ट्रीय इन्टर कालेज, जमुहाई, जौनपुर ।
१६	गणेशराय इन्टर कालेज, डोभी, जौनपुर ।
१७	नागरिक इन्टर कालेज, जंघई, जौनपुर ।
१८	होरिल राव इन्टर कालेज, कुंवरपुर पंवारा, जौनपुर ।
१९	किसान आदर्श राष्ट्रीय इन्टर कालेज, प्रतापगंज, जौनपुर ।
२०	राजा श्रीकृष्ण दत्त इन्टर कालेज, जौनपुर ।
२१	मोहम्मद हुसैन इन्टर कालेज, जौनपुर ।
२२	ब्रजेश हायर सेकेंडरी स्कूल, गुलालपुर पोटरिया, जौनपुर ।
२३	श्रीकृष्ण विद्यामन्दिर हायर सेकेंडरी स्कूल गजेन्द्रपुर पिलबिछा, जौनपुर ।
२४	आर्य विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल आर्यनगर लेदुका, जौनपुर ।
२५	राम जानकी हायर सेकेंडरी स्कूल सरीखनपर, जौनपुर ।
२६	बयालसी हायर सेकेंडरी स्कूल, जलालपुर, जौनपुर ।
२७	गांधी सार्वजनिक हायर सेकेंडरी स्कूल, बजगांव, जौनपुर ।
२८	बी० डी० हायर सेकेंडरी स्कूल, मनिहा गोविन्दपुर भदेवरा, जौनपुर ।
२९	पब्लिक इन्टर कालेज, केराकत, जौनपुर ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १५९ एल० ए०—१९६२—८४५ ।

विधान सभा